महानगर नई दिल्ली बुधवार 18 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा

इस्लामाबाद, 17 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को यहां की एक विशेष अदालत ने संविधान बदलने के लिए देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। वह पहले ऐसे सैन्य शासक हैं जिन्हें देश के अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं, पाकिस्तान की सेना ने कहा कि मुशर्रफ कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकते।

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व सैन्य प्रमुख को देशद्रोही करार देकर मौत की सजा सुनाई गई है।

पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत के तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई। अदालत के फैसले पर सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, 'पूर्व सैन्य प्रमुख, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति (परवेज मुशर्रफ) ने 40 वर्षों से ज्यादा समय तक देश की सेवा की। देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने वाला निश्चित तौर पर देशद्रोही बाकी पेज 8 पर

नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन

सीलमपुर में हिंसा, आगजनी

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

दिल्ली के जामिया इलाके में स्थिति शांत भी नहीं हुई कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस चौकियों में आगजनी की। तीन बसों और कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। इस घटना में सात स्थानीय निवासी और 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में दो थानों में मामला दर्ज किया है। पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

मंगलवार रात में ब्रिजपुरी में भी प्रदर्शन हुए और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रात करीब साढ़े आठ बजे हुई। हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। उधर, दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान जामिया और सीलमपुर में हुई हिंसा और राष्ट्रीय राजधानी की मौजूदा स्थिति के बारे में मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि माना जाता है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने तीन दिन के भीतर हुई इन दोनों घटनाओं पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। बाकी पेज 8 पर

दो पुलिस चौकियों में आगजनी, पांच हिरासत में *सात* स्थानीय लोग, 11 पुलिसकर्मी जख्मी *ब्रिजपुरी* में भी प्रदर्शन और पुलिसकर्मियों पर पथराव

सीलमपुर में मंगलवार को नागरिकता कानून के खिलाफ आगजनी और पथराव करते प्रदर्शनकारी।

'हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध की घटनाओं की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश बाकी पेज 8 पर

पुलिस को इजाजत नहीं दी : प्रशासन

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने इनकार किया कि चीफ प्रॉक्टर ने पुलिस को विवि परिसर में घुसने की इजाजत दी थी। वैसे बिना इजाजत के पुलिस के परिसर में घुसने की सबसे पहले प्रॉक्टर ने ही निंदा की थी।

राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में एक दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें बाकी पेज 8 पर

नागरिकता कानून में कुछ भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि नागरिकता कानून में कुछ भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। नागरिकता कानून पर विपक्ष दुष्प्रचार में शामिल है।

उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए नागरिकता कानून के प्रावधानों के मुताबिक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुसलिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे देश में सम्मान के साथ जी सकें।

शाह ने नए कानून का विरोध करने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि वे जितना चाहें कानून का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने नई दिल्ली और मुंबई में अलग-अलग बाकी पेज 8 पर

हिंसक प्रदर्शनों पर रेल राज्य मंत्री ने दिया विवादित बयान

बेंगलुरु : नागरिकता कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। - खबर पेज 13 पर

ठंड से ठिठुरे दिल्लीवासी

देश के अन्य हिस्सों में भी सर्दी का सितम जारी

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को लोगों को सुबह ठंड के कहर का सामना करना पड़ा। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में पिछले 16 साल में सबसे अधिक ठंडा दिन रहा। वहीं देश के अन्य कई हिस्सों में भी सर्दी का सितम जारी है।

मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार को कड़ाके की ठंड रही। अधिकारी ने बुधवार को दिन में आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे हवा में सापेक्ष आर्द्रता 85 प्रतिशत रही। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 रहा।

लद्दाख, जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड

सोमवार को दिल्ली में पिछले 16 साल में सबसे अधिक ठंडा दिन रहा था, जब अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया । देश के अन्य कई हिस्सों में भी सर्दी बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री ने भोगनाडीह की रैली में कहा

शहरी नक्सली भड़का रहे हैं युवाओं को

रांची/भोगनाडीह, 17 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून से किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होने का दावा दोहराते हुए कहा कि शहरी नक्सली देश में समस्या पैदा करने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं। साथ ही कांग्रेस समेत विपक्ष को यह सार्वजनिक ऐलान करने की चुनौती दी कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार रहें।

मोदी ने झारखंड के भोगनाडीह में एक चुनावी रैली में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून ना तो किसी भारतीय के अधिकार लेता है, ना ही उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है।

भोगनाडीह में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता कानून को लेकर मुसलमानों के बीच डर का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि देश का कोई भी नागरिक इस कानून से प्रभावित नहीं होगा। *उन्होंने* छात्रों से लोकतांत्रिक तरीकों से अपने विषय उठाने की अपील की।

भोगनाडीह में उन्होंने कांग्रेस पर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर झूठ फैलाने व मुसलमानों के बीच डर का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए छात्रों से लोकतांत्रिक तरीकों से अपने विषय उठाने की अपील की। मोदी ने यहां चुनावी रैली में संशोधित कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील की बाकी पेज 8 पर

अभिनेता और रंगकर्मी श्रीराम लागू का निधन

पुणे, 17 दिसंबर (भाषा)।

मशहूर अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू का वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के चलते मंगलवार शाम पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे।

उनके परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। नाटककार सतीश आलेकर ने बताया, 'मैंने उनके दामाद से बात की। वृद्धावस्था संबंधित बीमारियों के कारण उनका निधन हुआ।' प्रशिक्षित ईएनटी सर्जन लागू ने विजय तेंदुलकर, विजय मेहता और अरविंद देशपांडे के साथ आजादी के बाद वाले काल में महाराष्ट्र में रंगमंच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी।

सेना ने तीन घुसपैठिए और दो पाकिस्तानी कमांडो किए ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

घुसपैठ की कोशिश के दौरान भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में पाकिस्तानी कमांडो दस्ते का हमला सोमवार रात को नाकाम कर दिया गया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी फौज के दो कमांडो ढेर कर दिए। उनके साथ आने वाले तीन घुसपैठिए भी मार गिराए गए।

इस कार्रवाई में सेना का एक हवलदार और एक राइफलमैन शहीद हो गए। एक जवान की पहचान हवलदार सीजे गणपति और दूसरे की राइफलमैन सुखविंदर सिंह के रूप में की गई है। भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में सीमा से लगे पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है।

पाकिस्तान की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गईं। साथ ही, मोर्टार और तोपखाने से भी गोलाबारी बाकी पेज 8 पर

सेना के हवलदार और एक राइफलमैन शहीद *सुंदरबनी* सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से दागे गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मोर्टार व तोपखाने

समुद्री लुटेरों ने गिनी की खाड़ी में 20 भारतीयों को अगवा किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

पश्चिमी अफ्रीका स्थित गिनी की खाड़ी में समुद्री लुटेरों ने तेल 'एमटी ड्यूक' पर हमला कर 20 भारतीयों को अगवा कर लिया। यह जहाज अंगोला के लुंडा से लुम (टोगो) जा रहा था। लुटेरों ने जहाज पर मौजूद नाइजीरियाई नागरिकों को छोड़ दिया।

चालक दल के भारतीय सदस्यों को छुड़ाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू की है। अबुजा स्थित भारतीय मिशन नाइजीरियाई अधिकारियों के जरिए बातचीत में जुट गया है। इस साल इस क्षेत्र में अपहरण की यह तीसरी घटना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, यह घटना 16 दिसंबर सुबह की है। जहाज एमटी ड्यूक के चालक दल के 20 सदस्यों का अपहरण चिंता का विषय है।

अबुजा स्थित हमारे अधिकारियों ने इस विषय को नाइजीरिया और पड़ोसी देशों के सामने उठाया है। जहाज बाकी पेज 8 पर

नाइजीरिया के पास गिनी की खाड़ी में हुई वारदात *लुटेरों* ने जहाज पर मौजूद नाइजीरियाई नागरिकों को छोड़ दिया

आउटगोइंग कॉल पर शुल्क एक साल के लिए बढ़ाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी ऑपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा।

ट्राई के सचिव एसके गुप्ता की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के मुताबिक वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा। पहले यह शुल्क 14 पैसे प्रति मिनट था।

एक अक्तूबर, 2017 को इसे घटा कर छह पैसे प्रति मिनट किया गया था। एक जनवरी, 2020 से इस शुल्क को समाप्त किया जाना था। नियामक ने कहा कि बाकी पेज 8 पर

ट्राई का निर्णय, जारी रहेगा कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट का शुल्क

पंद्रह फरवरी से होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

सीबीएसई ने बारहवीं और दसवीं कक्षा का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू होंगी। दसवीं की परीक्षाएं 20 मार्च और बारहवीं की परीक्षाएं 30 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज के मुताबिक दोनों कक्षाओं के वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं पहले और मुख्य विषयों की परीक्षाएं बाद शुरू होंगी। दसवीं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं 27 फरवरी और बारहवीं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं दो मार्च से शुरू होंगी। परिणाम मई में जारी किया जाएगा।

संघ नेता, चार अन्य पर मामला दर्ज | कार्रवाई | छात्रों के प्रदर्शन की तारीफ की थी किरण बेदी ने

महंगा पड़ा बाबरी विध्वंस का नाट्य रूपांतर

बंगलुरु, 17 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंतवाल के पास एक विद्यालय प्रबंधन के पांच सदस्यों के खिलाफ छात्रों द्वारा संस्था के वार्षिक खेल दिवस के दौरान कथित रूप से बाबरी ढांचा विध्वंस का नाट्य रूपांतरण दिखाने पर मामला दर्ज किया गया है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा समेत कई गणमान्य लोग रविवार को हुए इस कार्यक्रम में मौजूद थे।

तटीय शहर मंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर कल्लाडका में श्री राम विद्या मंदिर का संचालन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कल्लाडका प्रभाकर भट और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) और 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कल्लाडका प्रभाकर भट

आधे मिनट का वीडियो

दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया, 'पीएफआइ कार्यकर्ता से शिकायत मिलने के बाद हमने विद्यालय प्रबंधन से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच जारी होने की वजह से हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब आधे मिनट का एक वीडियो है जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। हम साक्ष्य जुटा रहे हैं।'

पुलिस ने यह कार्रवाई इसी इलाके में रहने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता अबुबकर सिद्दीकी की शिकायत पर की है।

दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया, 'पीएफआइ कार्यकर्ता से शिकायत मिलने के बाद हमने विद्यालय प्रबंधन से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच जारी होने की वजह से हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब आधे मिनट का एक वीडियो है जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। हम साक्ष्य जुटा रहे हैं।'

किरण बेदी ने ट्वीट कर इस कार्यक्रम की और छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया होने पर भट ने कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि यह इतिहास के प्रकरण के बारे में जागरूकता और देशभक्ति की भावना के प्रसार का प्रयास था।

उन्होंने कहा कि छात्र हर साल वार्षिक समारोह के लिए एक प्रासंगिक विषय चुनते हैं और इस बार उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उन्होंने अयोध्या का मुद्दा चुना।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,t,is for general information that I, Parvinder Pal Singh Chhabra,S/o-Prakash Singh Chhabra Residing-at-249,ground floor,Arunodaya Apartment,Vikaspuri, Delhi-110018,declare that name,of mine has been wrongly,written as P.P.Singh in my minor son's Harman Singh Chhabra aged,16-Years,in educational documents.The actual name of mine,is Parvinder Pal Singh Chhabra respectively which may be amended,accordingly. 0040524527-3

I,Suneel Kumar S/o-Shri Shripal R/O-A-141,Sector-25, Rohini,Delhi-110085,have changed my name to Sunil Kumar S/O Shri Shripal. 0040524527-5

I,Seema Wife S/o Sukhmeet Singh R/o-92,Block-AC, Shalimar Bagh,Delhi-110088, have changed my name to Gurpreet Kaur for future. 0040524527-1

I,Satpal Singh (Army No.2690593A Sep),R/o-Village-Tanda Ram Dass,Tehsil-Mukerian, Distt-Hoshiarpur, (Punjab)-1442210,have changed,my daughter name,from JIYA to TIYA wef of endorsement my service document for all future purpose. 0040524527-7

I,Meera Kumari Balmiki D/o hari Kishan Balmiki R/o-Flat.No.3,Third.Floor, Gahlot Niwas,Building.No.3,kakrola-Village,Dwarka,Delhi-110078,have changed my name to meera Kumari. 0040524527-4

I, hitherto known as Sonali Bansal alias Sonali Aggarwal D/o Sohan Lal Bansal W/o Sachin Raj Aggarwal residing at E-4/20C, 1st Floor, Model Town-2, Delhi-110009 have changed my name and shall hereafter be known as Sonali Aggarwal. 0040524521-0

I, Yash Pal S/O Punnu Ram R/O C-151, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Have Changed My Name To Yash Arora. 0040524482-5

I, Vikrant Singh,S/o Sh. Vijay Singh,R/o H.No 264B,Hind Nagar Colony,Lucknow,U.P.-226012,have changed my name from Vikrant Singh to Vickrant Siingh for all future purposes. 0040524461-2

I, Usha Aggarwal W/o R.P. Aggarwal R/O-D-39, Satywati Colony, Ashok-Vihar Phase-III, Delhi-110052 have changed my name to Usha Agarwaal. 0040524488-1

I, Tripti Sharma D/O-Virender Kumar R/O-N-3/27-A, Mohan Garden, Uttam-Nagar, N.Delhi -110059. Have Changed My Name To Tripti Kumar. 0040524502-10

I, Tripta Baraja W/o Dinesh Bareja R/o-N-99, 2nd-Floor, South-City-1 sector-40, Gurgaon,Haryana changed my name to Tripta Bareja, for all purposes. 0040524488-2

I, Varinder Paul Kaur w/o Harvinder Singh R/o I-194, Karampura, New Delhi-110015, have changed my name to Varinder Pal Kaur. 0040524502-5

I, Tinku Gupta S/o-Shri Pardeep Gupta R/o-Plot.No.2,Kidwai Nagar West,New Delhi-110023,have changed my name to Harsh Vardhan Gupta for all,future purposes. 0040524506-3

I, TRIPTI KAUR W/O INDERJEET SINGH RESIDENT OF-92, BLOCK-AC, SHALIMAR BAGH,DELHI-110088,have changed my name TRIPAT KAUR for future. 0040524527-6

I, Surojeet Mazumdar, S/o Sh. Ratan Kumar Mazumdar R/o-H.No.B-1059, Third-Floor, Shastri Nagar, Delhi-110052. Have changed my name from Surjeet Mazumdar to Surojeet Mazumdar for all future purposes. 0040524502-3

I, Surendra Kumar Tyagi alias Surender Tyagi and Surender Kumar S/o Khacheru Mal R/o-C-304, Mandakini-Apartment, Sector-2, Plot No.3C, Dwarka, N.Delhi-110075 changed my name to Surendra Kumar. 0040524488-4

I, Sunil Kumar s/o Ram Kishan Verma R/o WZ-481A, Basai Darapur, New Delhi-110015, also known as Sunil Verma. Both are same person. 0040524453-1

I, Sukhinder Kaur D/o Sh Amar Singh R/o,H-26 B.K.Dutt Colony Lodhi-Road, N.Delhi-110003. Have changed my name to Sukhninder Kaur. 0040524502-7

I, Sudhir Kumar S/o Jugal Kishore R/o House no-9, 1st floor , NRI Complex Mandakini , G.K-4 Delhi-110019 Have Changed My Name to Sudhir Saluja. 0070688583-1

I Jitender S/O Subhash Chand Sharma R/O-46/2c/1, Gali No-17. East Azad Nagar Krishna Nagar Shahdara Delhi-110051, Changed My Name To Jitender Sharma. 0040524518-5

I Charan Jeet S/o Sant Lal Bajaj R/o-Flat No.-905 Merton-Tower Omaxe-Heights Sector-86 Faridabad have changed my name to Charanjeet Bajaj. 0040524518-2

व्यक्तिगत

I, Sreelekha KV W/o Subin Das R/o 143/9, 2nd Floor Room No-5, Gaushala Road, Kishangarh, Vasant Kunj, Delhi-110070, have changed my name to Sreelekha Kuttikalayil Vijayan for all purposes. 0040524520-1

I, Shubham S/o Vijay Pal Singh R/o 25/7, Sector-1, Pushp Vihar, New Delhi-110017 have changed my name from Shubham to Shubham Pal Singh for all future purposes. 0040524457-1

I, Shelja Devi W/o Kailash Chander Agarwal, D/o Sushil Kumar R/o-3724 3rd-Floor Street No.1 Kanhaiya-Nagar Trinagar Delhi-110035 changed my name to Shailja Agarwal. 0040524482-10

I, Sanjay Kumar Gupta S/O Arjun Dass Gupta R/O-519 B/1 Street No-2 Vishwas Nagar Shahdara Delhi-110032. Changed My Name To Sanjay Gupta. 0040524521-5

I, Resham Arora D/o, Surender Pal Arora, H.No.77/1-A, Rashan-Waligali, Circular-Road, Jwala-Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Rasna Arora. 0040524488-6

I, Ram Kishan S/o Deepak Bhaudhar R/O H.No-18,, Mubarik-Bagh, Model-Town-1, Delhi-110009, Changed my name to Jannat Giri. 0040524494-2

I, Preet Kaur Kalsi D/o Rajender Singh R/O J-323, Block-J, Old Seemapuri, Delhi. have changed my name to Prabhnoor Kaur.D.O.B.-26.12.1997. 0040524488-10

I, Parveen Nikhat W/o Shamim Ahmed D/o Mohd. Zamir R/o 4999/3, Lal Gali, Kucha Rehman, Chandni Chowk, Delhi-110006, Born on 28/09/1950, have changed my name to Parveen Begum for all future purposes. 0040524450-1

I, Parkash Sehgal S/O Jai Kishan Sehgal R/O Ad-134 B, Shalimar Bagh West, Delhi-110088. Changed My Name To Prem Prakash Sehgal. 0040524482-3

I, Pankaj S/o Shyam Sunder R/o- Block No.1, H.No.98, Dakshinpuri Extension, Delhi-110062 have changed my name to Pankaj Raj. 0040524488-5

I, Om Kumari D/o-Ram Parsad R/o:GH-6, Flat No-99, Prachin-Apartment, Smt.Mark Public-School, Paschim-Vihar, New-Delhi-87. Have Changed My Name to Khushboo Parsad. 0040524502-9

I, No.14839220X SEP/MT Khandekar Appasaheb Ravasaheb S/o Ravasaheb Pandurang Khandekar R/o VPO/Teh. Jath, Distt. Sangli, M.H-416404, inform that in my service record my wife name wrongly written as Anjana Naneshwar G instead of Anjana Appasaheb Khandekar. 0040524445-1

I, Nitika Goel D/O Shri Sushil Kumar Goel R/O 212, Nimri Colony, Ashok Vihar, Phase-4, Delhi-110052, have changed my name to Nikita Goel. 0040524535-3

I, Neetu D/o, Sher Singh W/o Adarsh Saini R/o-16/10, Block-A-1, Sant-Nagar, Burari Delhi-110084,have Changed my name to Neetu Saini for all purposes. 0040524437-1

I, Neeta Rani W/o Manoj Jain R/o 36, SF, Gali No.8, Madan Park, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026, have changed my name to Neeta Jain. 0040524453-2

I, Narayan Singh s/o Durga Singh R/o-khasra No.10/10 H.No.8. Gali No.1 Block-A, Shastri-Park Ext. Uttrakhand-Enclave(Burari), Delhi-110084, have changed my name Narayan Singh to Narayan Singh Bisht for all purposes. 0040524521-10

I, Narain Singh S/o Bachche Singh R/o A-79, 2nd Floor, Front Side Nanhey Park, Uttam Nagar Delhi-110059 Have Changed My Name to Narayan Singh. 0070688585-1

I, Mukesh Kumar Goel S/o Mahender Pal Goel Resident 1365, Sector-15, Sonipat, Haryana. Have Changed My Name To Mukesh Goel. 0040524494-4

I, Mohan Singh S/O-Gopal Singh, R/O-2a/PlotNo.-102 Flat.No.-F-2, SECTOR-2, VAISHALI Ghaziabad, Up.Have Changed My Name To Mohan Singh Bisht,S/O Gopal Singh Bisht. 0040524482-1

I, Megha Goyal D/o Manoj Kumar Goel R/o B-301, Ground-Floor B-Block Prashant Vihar, Delhi-1100085, changed my name to Megha Goel. 0040524502-1

I, Maya Devi W/o Sone Lal R/o H.No.104, Street No.9, East Azad Nagar, Krishna Nagar, New Delhi-51, have changed my name to Sudama. 0040524489-1

I Poonam D/O Gajendra Singh Rawat, H-No.H-16/1056, Sangam Vihar South Delhi 110062. Changed My Name To Poonam Rawat. 0040524518-4

I Manish S/o Sh.Babu Lala R/o 3244/5, Buddha Gali, Aryapura, Subzi Mandi, Delhi-110007 have changed my name to Manish Sahay for all purposes. 0040524440-1

I Mahender Kumar Goel S/o Omparkash Goel Resident 1365, Sector-15, Sonipat, Haryana. Have Changed My Name To Mahender Pal Goel. 0040524494-5

I, Manpreet Singh S/O Gurdip Singh R/O 1/211, Subhash Nagar, I-Floor, Tagore Garden, Delhi-110027. Changed My Name to Manpreet Singh Sethi. 0040524482-2

I, Manoj Kumar S/o Subhash Chander Bhardwaj R/o Flat No-6F, Gasta Appt. Block B-3, Paschim Vihar Delhi-110063 Have Changed My Name to Manoj Kumar Bhardwaj. 0070688587-1

I, Manish Aggarwal S/o R.P. Aggarwal R/O-D-39, Satyawati Colony, Ashok-Vihar Phase-III, Delhi-110052 have changed my name to Manish Agarwaal. 0040524488-7

I, Mahek D/o Jagjeet Singh R/O J-6/45, Third Floor,Rajouri Garden, New Delhi-110027. Have Changed My Name To Mahekpreet Kaur. 0040524494-1

I, Kusum Kumari W/o Dinesh Bidhuri-246-Kuan Mohala Tuglakabad-village, New Delhi-110044, Change of name Kusum Bidhuri. 0040524502-6

I, Keith Elvis Michael Pereira S/O Phillip Pereira, R/O-160-B, Shipr Sun-City, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.201014, Have Changed My Name Keith Pereira. 0040524521-9

I, Jayakrishnan Achath S/O Sekharam Nambiar Nammilkara. R/O-332, Huda Sector-3, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana-121004. Changed My Name To Achath Thekkoot Jayakrishnan. 0040524521-7

I, Kalsum W/o Arif R/o 1818/41 Anar Kothi Malka Ganj Delhi have changed my name to Tabassum. 0040524482-9

I, Jaswinder Pal Singh S/o Kirpal Singh R/o 2/5, A-1 block, Sant Nagar,, Burari, Delhi-110084 have changed my name to JASVINDER PAL SINGH. 0040524446-1

I, Jai Prakash S/O Veer Bhan R/O-3c 62 Nit Faridabad Haryana Have Add Surname To Jai Prakash Virmani For All. 0040524488-3

I, Jai Karan Singh S/o Khajan Singh Nagar R/o-D-86/A, Lal Bagh, Loni,Ghaziabad-201102 have changed my Name to Jaikaran Singh Nagar 0040524506-1

I, Inder Singh S/O Narinder Singh R/o-92,Block-AC, Shalimar Bagh,Delhi-110088,have changed my name to Inderjeet Singh for future. 0040524527-2

I, Harshita Prathyani, D/o-Ashok Prathyani, R/o-B-204, Telecom-City, Sector-62,Noida.have changed my name from Harshita Prithyani to Harshita Prathyani,for all future purposes. 0040524535-1

I, Gurvinder Kaur W/o Gurmeet Singh R/o A-94/1, Block-A, Hari Nagar, Clock Tower, New Delhi-110064, have changed my name to Gurwinder Kaur for all purposes. 0040524484-1

I, Gunjan Jain D/o Yogesh Jain R/o-40, Pragatisheel Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Kashish Jain. 0040524494-6

I, Ghayasuddin S/O Sharfuddin R/O 5138/39, 2nd Floor Gali Barna Sadar Nala Road Sadar Bazar Delhi-110006. Changed My Name To Gyasuddin. 0040524521-8

I, Eslamuddin S/O Abdul Kadir R/O 324 Block O Street No.5 Sunder Nagari Delhi 110093. Changed My Name To Mohd Islamuddin 0040524521-4

I, Dushyant Singhal S/o Shri Gian Chand R/o H.No. A-8, Jawahar-Park, Devli-Road Khanpur, New Delhi-110062, informs that Dushyant Singhal and Dushyant Kumar are same person, in future, I will known my actual name Dushyant Singhal. 0040524494-3

I, Durgesh Kumar,S/o Shri Om Parkash R/o-N-29, Prem-Nagar-II, Kirari-Suleman-Nagar, Delhi-110086, Have Changed My Name From Durgesh Kumar To Durgesh for All Future Purposes. 0040524502-4

I, Dinesh Baraja S/o Jai Dayal R/o-N99, 2nd-Floor, South-City-1 sector-40, Gurgaon Haryana,have changed my name to Dinesh Bareja,for all purposes. 0040524488-1

I, Charnjeet Singh S/O Amarjeet Singh R/O-67/74, First-Floor, Block-A, Sector-25, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Charan Jeet Singh. 0040524502-2

I, Brijesh Kumar Markan S/O Raghunath Sarup Marken R/O-Flatno.254, III-Floor, Pkt-4, Akash Ganga Appt, Sector-24, Delhi-110085. Changed My Name to Brijesh Marken. 0040524482-4

I, Brahm Swaroop Arora S/o Late. Sh. Chanan Shah R/o 38/3, Ashok Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Brahm Arora. 0040524494-7

I Shakam Singh S/o Shyam Singh R/O-RZD-32/A, Gali No.5, Syndicate-Enclave, New Delhi-110045, have changed my name to Shakam Singh Ramola. 0040524518-8

I Savitri Devi W/o Sh.Mukesh Berry D/O Sh.Chunni Lal Meena R/o I-133B/213,Gali No.8, West Sagarpur, Nangal Raya, Delhi Cantonment, South West Delhi-110046 have changed my name to Geeta Berry for all purposes. 0040524440-2

व्यक्तिगत

मैं, सुरेंद्र कुमार और सुरेंद्र अरोड़ा एक ही व्यक्ति के नाम है पुत्र श्री हरबंस लाल, पता 567 झील कुरंजा, कृष्णा नगर दिल्ली–51

मेरे आर्मी रिकार्ड मे मेरा नाम BHADOURIA दर्ज है जोकी गलत है, सही नाम आर्मी न. 7781518 वाई हवलदार (MP) BHADOURIYA RITESH KUMAR SANTOSH BHAI निवासी मकान न. सी–324 आरती सोसायटी, निकोल रोड अहमदाबाद (गुजरात) हैं।

I, Bhupinder Singh Oberoi S/o, Late S.Surinder Singh Oberoi R/o-34/14, Old Rajinder-Nagar, N.Delhi-110060, changed my minor daughter's name Eshleen Kaur to Eshleen Kaur Oberoi. 0040524488-9

I, Aquila Suleman W/O Khurshid Akhter R/O-D-238, Tripathi-Enclave, Prem Nagar-2, Kirari, Suleman Nagar, Delhi-86 Have Changed My Name To Akila Suleman. 0040524518-6

I, Amrit Lal S/O Ram Karan Dass R/O D-1/14, Budh Vihar Phase-1, Delhi-110086. Changed My Name To Amrit Lal Garg. 0040524482-6

I, Anwari W/O Mohammad Islamuddin R/O 324 Block-O Street No-5, Sunder Nagari Delhi-110093. Changed My Name To Anwari Nisha. 0040524521-6

I, Anita W/O late Cfn Surender Singh, H.No.-20, second-Floor.M-Block, Malkaganj, N.Delhi-110007, have changed my name to Anita Devi for,all purpose. 0040524521-1

I, Anil Kumar Khanna S/o Om Prakash Khanna, R/o-D-202, 1st-Floor, West-Patelnagar, Delhi-110008, have changed my name to Anil Khanna, Permanently. 0040524518-1

I, Anil Goel S/o-Laxmi Narayan Goel R/o-C-101, VinobhaKunj, Sector-9 Rohini, Delhi-110085.inform that my name Anil Kumar,Anil Goel,Anil Agravanshi and Anil Kumar Goel are same person. 0040524535-2

I, Amanpreet D/o-Harbhajan Singh R/o-E-5, Hari-Nagar-Extn., Jaitpur, Badarpur, New Delhi-110044. Have changed my name to Amanpreet Kaur for all future purposes. 0040524502-8

I, Akhlesh Kumar Srivastava S/o Ishwar Dayal Srivastava R/o D-80 Govind Puram Ghaziabad UP and Akhilesh Srivastava are one and the same person, which shall be considered for all future purposes and in my son's (Suyash Srivastava) educational certificates my name is incorrectly mentioned as Akhilesh Srivastava whereas the correct name is Akhlesh Kumar Srivastava. 0040524478-1

I, Ajit Singh S/o Jaikaran Singh Nagar R/o-D-86/A, Lal Bagh, Loni, Ghaziabad-201102 have changed my Name to Ajeet Singh Nagar 0040524506-2

I, A.K. Sharma S/o Vishnu Dutt Sharma R/o H-53, Mansarover Park, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Adarsh Kumar for all purposes. 0040524481-1

I hitherto known as Gulafsha daughter of Mohammed Ahmed and wife of Azharuddin Saifi, a House wife,residing at A-86, Main Mangal Bazar Road, Sangam Vihar,New Delhi-110062, India,have changed my name and shall hereafter be known as Gulafsha Saifi. 0040524464-1

I Shiv Prasad Mishra S/O Damodar Mishra R/O RZ-11/313, Gali No-6-A, Geetanjali park, West Sagarpur ,New Delhi-110046 Have Changed My Name to Siba Prasad Mishra. 0040524521-3

I Shalley Mahey W/o Shankar Sirwani R/o B247 1st Floor Derawal Nagar Delhi-110009, CHANGED My Name To Shelly Sirwani. 0040524482-7

I Ashwin Rajagopal S/O Raja Gopal, K.H.No-G-117,/S-1, Dilshad Colony, Delhi-110095. Changed My Name To Ashwin Raja Gopalan. 0040524518-3

I Anjana Kumari C/o Sahib Singh R/O Plot No.83 1st-Floor Pratap-Nagar Maya Enclave New Delhi-110064, have changed my name to Anjana Sharma. 0040524518-7

I Anil Kumar V.B alias Anil Kumar Valluparambil Bhaskaran S/o K K Bhaskaran R/o.H.No.-130-D, J-and-K-Pocket, Dilshad-Garden Jhilmil, Delhi-110095 have changed my name to Anil Kumar Valuparambil Bhaskaran. 0040524482-8

I, Arun Kumar Antil S/o Ramesh Kumar R/o House no-688, Pana-begwan, Bawana, Delhi-110039 Have Changed My Name to Arun Kumar. 0070688584-1

सूचना

सूचित करना है कि मैंने अपना नाम, जो कि पूर्व मे Pranshu Agarwal था, को बदलकर Pranshu Aggarwal रख लिया है। भविष्य मे मुझे Pranshu Aggarwal के नाम से जाना व पहचाना जाये।

PRANSHU AGGARWAL
पुत्र श्री अवधेश कुमार अग्रवाल
निवासी मकान नं० 610,
नालापर दक्षिणी, तहसील
फतेहपुर, जिला बाराबंकी

खोया-पाया

I, Naman Mehra S/o Sharad Mehra R/o Flat No-101, Aashriward Appt. Plot No-74 Patparganj I.P Extn Delhi-92, informs that my Original 3rd Semester MBA marksheet has been lost. 0040524473-1

I, TARANKITA Pandey D/o-Mahendra nath pandey R/o-Delhi public-school Sec-C pkt-V.Vasantkunj Delhi. Have lost my original-certificate class-12th year-2019 Roll no.9176215 CBSE-Delhi. 0040524494-10

I, DEAN S/o Rakesh Kumar R/o H.No-430 Durgapuri-extn st.no.8, Delhi-93, have lost my original certificate class-10th year-2007, Rollno-6312772 CBSE-Delhi. 0040524494-8

I, Jyothy Kumari D/o Pratap Singh R/o G-31/111, Sector-3, Rohini, Delhi-85, have Lost my original UP Nursing Registration Certificate (R.No.-1204, Training Period July-2008 to June-2012). Finder may contact at above noted address. 0040524479-1

I, ANSHIKA Solanki D/o-Mukat Singh R/o-Qtr.no-8 block-17 CRPF-camp Greater Noida Surajpur G.B. Nagar. Have lost my original-certificate class-10th year-2019, Roll no-8179363 CBSE-Delhi. 0040524494-9

I, Rakesh Pandey S/o Narayan Pandey, R/o-370 Prem Nagar-3 Agarnagar-Kirari Suleman-Nagar, Delhi-110086,has been lost Original-Educational certificate of 10th-class (CBSE), vide Roll No.8735461,vide-LR No.1693217/2019 Date 07/10/2019. 0040515292-4

LOST

The conveyance deed executed by DDA with respect to Property No. B-5/114, Paschim Vihar, New Delhi-110063 in favour of late Krishna (Krishan) Prakash Gupta has been misplaced. If anybody finds it, please intimate at Mobile No. 9811319379.

It is also notified that if anybody deals with the said property in any way that shall be null and void and will do at his/her own risk as I, Vijay Gupta, is the lawful owner of the said property.

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed in the general public that my client Mr. Shiv Kumar S/o Shri Bal Krishan and Mrs. Neelam W/o Mr. Shiv Kumar both are residing at J-29, Azad Basti, Mohammadpur, R.K. Puram, New Delhi-110066, have debarred/ evicted their daughter namely Mrs. Kajal Maurya and her husband Mr. Rahul Rana from claiming any right, title & interest whatsoever for all the purposes & intent. They are having no connection with any kind of Moveable or Immoveable properties of my client and any person dealing with him/her, monetary or otherwise, he/she shall do so at his/her own risk, costs & consequences. My client shall not be liable & responsible for the same and they are not liable to claim before any Court in the above mentioned properties.

Vijay Lakshmi (Advocate)
Supreme Court of India, New Delhi-110001

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती कुसुम गर्ग ने योजना विहार, दिल्ली–110092 में स्थित आवासीय सम्पत्ति सं. बी–296 का भाग में सम्पूर्ण भूतल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल "कथित भाग", एरिया परिमाप 366.67 वर्ग यार्ड का स्वामी एवं कब्जेदार होने का दावा किया है। इस सम्पत्ति के दो हक विलेख अर्थात मूल स्थायी उप–पट्टा विलेख दिनांक 26.03.1984 एवं मूल कन्वीयेंस डीड दिनांक 07.09.2000 कहीं खो/गुम हो गये हैं और श्रीमती कुसुम गर्ग ने वित्तीय सहायता के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से संपर्क किया है और इसलिए संपत्ति उक्त बैंक के पास गिरवी रखनी होगी। उक्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा होने पर, इस सूचना के दिनांक से 10 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को मुक्त या परित्यक्त माना जाएगा और हमारा मुवक्किल उक्त संपत्ति पर ऋण के संवितरण और उसके संबंध में इसे बंधक रखने की प्रक्रिया करेगा।

Sunil Parsad (Advocate)
Juris NextGen Law Offices
E-56, Greater Kailash Enclave
Part-1 New Delhi-110048

Public Notice

Be it known to general public that our clients S.Pritpal Singh S/o Late S. Hira Singh R/o WZ-L-2/7 New Mahavir Nagar, New Delhi-18 do hereby legally debarred his daughter Inderjeet Kaur w/o Jaspal Singh r/o WZ 48/4H, Gali No-10, Krishna Park Extn., New Delhi-18 because of her bad behavior and conduct from his movable and immovable property on 16.12.2019 as she have made life of our client miserable and consequently, our client have severed up all his relations and connection with her & her family members and in cae if any one dealt with her in the past and will deal with her in future, he or she did or shall be doing so at his/ her own risk and consequences our client shall not be responsible for her any acts & deeds in any manner whosever.

Rakesh Walia (Advocate)
For Legal Solution (Law Firm)
D/3348/99

PUBLIC NOTICE

Be it known to the public at large that my clients Mst. Roshan Jahan Begum W/o Shri Aziz Taimuri and Saleem Temuri, S/o Shri Aziz Taimuri, both R/o 2529, Tiraha Bairam Khan, Darya Ganj, Delhi 110006 have made Hibba with respect to their undivided half share each in property bearing No. X/102 (Old) / 160 - 165 (New), Gali Mata Wali, Chhatta Lal Mian, Delhi Gate, Delhi in favour of Mumtaz W/o Zahid R/o H.No. 1126, Near Delite Cinema, Raqab Ganj, Darya Ganj, Delhi in presence of witnesses. Mst. Roshan Jahan Begum had made Hiba on 08.05.2001 and Saleem Taimuri had made Hiba on 05.04.2004 and had delivered respective undivided symbolic possession on the respective dates of Hiba. My clients have been left with no right, title and interest in aforesaid property and Mumtaz W/o Zahid is owner of the said property for all purposes and is entitled to deal with the same in any manner she like. All the documents have been delivered to said Mumtaz.

Sd/-
MEENAKSHI, ADVOCATE
Enrol. No. 6430/2018
(M) 8527577903

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Ved Prakash Sharma S/O Sh. Jai Bhagwan Sharma & Veerwati Sharma W/o Sh. Ved Prakash Sharma r/o 4688/16, Jai Mata Market, Tri Nagar, Delhi-110035 has severed their relations with their sons and daughters-in-law i.e. Manish Sharma his wife Ritu Sharma & Pankaj Sharma his wife Shalini Sharma due to their rude & dishonest behavior and illegal threatening to my clients. They shall have no right, claim in my client's moveable and immovable properties. Anybody dealing with them shall be doing so at their risk and costs.

Sd/-
MOHAN SHARMA (Advocate)
Ch. No. 702, Rohini Courts Delhi-85.

PUBLIC NOTICE

It is notified to public at large that my client Ms. Usha Rani W/o Jagan Nath R/o 8/118, Ramesh Nagar, New Delhi-15 has disinherited, disowned, debarred his son Sh. Yash Kashyap & his wife Smt. Seema Kashyap R/o 8/118, Ramesh Nagar, New Delhi-15 from all her movable & immovable properties. She has also severed all her relation with them due to their constant misconduct and misbehavior. My client shall not be held liable any act & conduct for their dealings with other person as my client has no control over them and my client is not responsible for any act.

Amit Prasad (Advocate)
Ch. 712 W. Wings Tis Hazari Court

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients (1) Mahendra Kumar Sharma s/o Girdhari Lal Sharma & Santosh Sharma w/o Mahendra Kumar Sharma both R/o I-66, SF, Karampura, New Delhi-110015, have disowned/debarred their son Vinay Kumar Sharma (@ Happy) working with Nextra Communication Pvt. Ltd. Plot No.17-18, Udyog Vihar, Phase-1, Gurugram-122016, & daughter-in-law Ruchi Kaushik from their all assets, moveable & immovable properties located at anywhere & also severed all relations with them as they have become disobedient, dishonest towards my clients. Any person/s dealing with them, shall be at his/her own risk. **Jagdish Chandra Trikha Advocate, M-4, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.**

PUBLIC NOTICE

I, Mahender Kumar Garg S/o Gyan Chand Garg Alias Gian Chand Alias Gyan Chand Alias Gian Chand Garg R/o P-190, Krishan Vihar, Street No, 4 and 5, Shri Sheetla Mata Mandir Marg, Delhi-110086 do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I have changed my name from Mahender Kumar Garg Alias Mohinder Kumar Garg Alias Mohinder Kumar Alias Mahender Kumar Alias Mahender Garg to **MAHENDER KUMAR, GARG** for all purposes in future vide Weekly Gazette Notification dated 14.12.2019.
2. That name of mine and my father have been wrongly written in my Indian passport No. B 0391983, Matriculation Marks sheet Serial No.c18395, Degree of Bachelor of Commerce Serial No. 622 and other documents as Mohinder Kumar S/o Gian Chand Mahender Kumar S/o Gyan Chand, Mohinder Kumar Garg S/o Gian Chand Garg but actual and correct name of my father is **GYAN CHAND GARG.**

PUBLIC NOTICE

General Public at large is hereby informed that my client AMIT GROVER son of late Shri Satpal Grover, resident of 11/40, West Punjabi Bagh, New Delhi have severed his all relations from his son **Rann Veer Singh Grover (Minor), daughter Shreya Grover and wife Meghna Sahni Grover d/o Shri Mohan Lal Sahni** dis-owned all of them from all their properties movables and immovables due to their disrespectful behaviour and threatening. If any person dealing with aforesaid persons shall be doing so at his own risk, costs and consequences.

Sd/- **(HIMANSHU NAGPAL) ADVOCATE**
OFF: 2790/20, BEADON PURA, AJMAL KHAN ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

PUBLIC NOTICE

Known to All Men that my client Sh. Ujjager Lal S/o. Sh. Guljari Lal R/o. Gali No. 6, Sangam Vihar Wazirabad Delhi-110084 hereby debar, his Son namely Surender Pal Singh S/o. Sh. Ujjager Lal and his wife and childrens from all his movable and immovable properties situated in Delhi and Uttar Pradesh and swear all his relation from them, any person doing any kind of transaction or relations with them shall be doing their own risk and my client and any other family member shall not be responsible for the same, after publishing this Public Notice.

Sd/-
RAMBIR CHAUHAN (Advocate)
Ch. No. C-85, C.L. Joseph Block, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that Two Original Builder Buyer's Agreements dated 03/08/1992 and 24/12/1992 executed by M/s. R.C. Sood & Co. Pvt. Ltd. International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi – 110 019 in respect of First Floor, Plot No. 71, Block-1, Eros Garden, Faridabad, Haryana has been lost and is not traceable and any person finding the same may contact on this Mobile No. 9711807051 and any person dealing with the original Agreements shall do so at his/her/their own cost and peril.

Mr. Noor Alam, Advocate
Chamber No. 702, Lawyers' Chamber Block, Saket Court Complex, New Delhi – 110017

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that We, Ramdhan Singh S/o Late Sh. Malkhan Singh and Sushila W/o Ramdhan Singh both resident of WZ-25A, Possangipur Village, Janakpuri, New Delhi-110058 have disowned our son Harish S/o Ramdhan Singh and his wife Priyanka and their respective legal heirs from our movable and immovable properties. We are not responsible for their actions.

Ramdhan Singh and Sushila
Nishtha Chawla (Advocate)
419, Lawyer's Chamber Block,
Dwarka District Court Complex,
New Delhi-110075
Mob: 9999661422

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned and the general public that my client Dr. Harbans Singh Sachdeva son of Shri Sohan Lal Sachdeva of Flat No. 1080, Vikas Kunj, Vikaspuri, New Delhi- 110018, presently at 23, Farview Road, Hope Well Junction, New York-12533, U.S.A. is seeking transfer of HIG Flat No. 1080, situated in the layout plan of the Central Government Service Co-operative Group Housing Society Ltd., Vikas Kunj, Vikaspuri, New Delhi-110018 from the said Society on the basis of Nomination made in his favour by the allottee of the flat Prof. Gurbakhsh Singh son of late Sant Singh, who expired on 10.01.1998, leaving behind Smt. Bhupender Seetal as his only legal-heir, who also died on 17.11.2011. Any person having claim, interest or right in the above flat, being a legal-heir or legal representative of the said persons may file his objection to the Society within thirty days from the issue of this Public Notice, whereafter the Society will act on the basis of the Nomination and do the needful and will not entertain any claim from any person on any basis whatsoever.

Sd/-
B.L. Chawla (Advocate)
Chamber No. 319, Civil Wing, Tis Hazari Court, Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री राज कुमार पुत्र श्री छोटे लाल और श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री राज कुमार जिनका पता प्लाट न. 86/1, डी ब्लॉक राजीव नगर एक्सटेंशन दिल्ली–110086 ने अपने पुत्र श्री नवीन कुमार और श्री विनय कुमार व पत्नी श्रीमती खुशबू देवी से हर तरह के संबंध विच्छेद कर दिये है और आगे भविष्य मे उनसे कोई व किसी भी प्रकार के संबंध नही रखना चाहते है।

आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति श्री नवीन कुमार और श्री विनय कुमार व पत्नी श्रीमती खुशबू देवी से संबंध रखेगा तो वह अपनी पूर्ण जिम्मेदारी पर ही रखेगा/रखेगी।

मेरे मुवक्किल श्री राज कुमार पुत्र श्री छोटे लाल और श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री राज कुमार की कोई व किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी। मेरे मुवक्किल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे व उनका श्री नवीन कुमार और श्री विनय कुमार व पत्नी श्रीमती खुशबू देवी के पूर्व व भविष्य के कृत्यों से कोई लेन देन नहीं है।

AJAY GARG (ADVOCATE)
Delhi High Court
Enrl No- D-2157/2016

ट्रेन की चपेट में आने से मां और दो बेटियों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

नई दिल्ली से सटे शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे और बहादुरगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पटरी के साथ चल रहे थे।

रेलवे पुलिस के उपायुक्त हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे बिहार के बांका जिले के रहने वाले अरुण अपनी पत्नी शांति देवी, आठ साल की बेटी नीतू और अपनी भाभी अलका और भाभी की बेटी 13 साल की लवली और आठ साल की प्रिया के साथ भागलपुर से दिल्ली आए थे। भागलपुर से साप्ताहिक आने वाली इस ट्रेन से वे लोग नई दिल्ली नहीं जाकर शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर उतर गए। वे बहादुरगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, तभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही एक ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वे सभी गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया अलका, लवली और प्रिया को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि शांति देवी और नीतू की हालत गंभीर है। अरुण ने बाल–बाल बच गए।

बच्चों की सुरक्षा में छह स्कूल अव्वल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

पूर्वी दिल्ली के 50 स्कूलों में हनीवेल सेफ स्कूल कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान छह स्कूल बच्चों को सुरक्षा देने के मामले में अव्वल साबित हुए। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया। सेस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलेपमेंट सोसाइटी (सीड्स) की ओर से यह कार्यक्रम चलाया गया था। सीड्स के संस्थापक डॉ मनु ने बताया कि विजयी स्कूलों में गर्वमेंट को–एड सेकेंडरी स्कूल, खिचड़ीपुर, ईडीएमसी प्राथमिक बालिका विद्यालय चंद्र विहार मंडावली, ईडीएमसी प्राथमिक बालिका विद्यालय, चिल्ला सरोदा, मयूर विहार फेज 1, आरएसकेवी बालिक विद्यालय, वेस्ट विनोद नगर, एसकेवी बालिका विद्यालय, शंकर नगर, ईडीएमसी प्राथमिक सह–एड स्कूल, पांडव नगर शामिल हैं।

ठंड से दो लोगों की मौत की आशंका, 40 जगह जलेंगे अलाव

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 दिसंबर।

दिल्ली और आसपास में शीतलहर के चलते दो लोगों के शव मिले हैं। दोनों शव पर चोट के कोई निशान नहीं हैं। पुलिस ने ठंड के चलते मौत होने की आशंका जताकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे हैं। वहीं, प्राधिकरण ने शहर में ठंड के चलते 40 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। रैन बसेरे के अलावा देर रात तक भीड़–भाड़ वाले इलाकों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। थाना सेक्टर– 49 के एसएचओ धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार देर रात हातिम नाम के युवक सेक्टर– 48 के पास शव मिला है। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं।

The Indian EXPRESS Classifieds FROM ANYTHING TO EVERYTHING
EXPRESS EDUCATION

M. PURI ONLINE
GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
MUKHERJEE NAGAR
NEW BATCH FOR JUDICIARY
17th DEC. 8800660301
Registration Open Till :16 DEC.
JHARKHAND JUDICIARY MOCK INTERVIEW 2019...
SCARED OF FACING THE REAL INTERVIEW ???
COME HAVE THE MOCK INTERVIEW
REGISTER AS SOON AS POSSIBLE
CALL/MGS - 8800660301/8800662130
Email-ambitionlaw1@gmail.com
PUSA ROAD
17th DEC. NEW BATCH FOR JUDICIARY
JOIN IAS LAW TEST SERIES 22nd DEC.
Toll Free No. : 1800-12000-2001
8800662140, 011-49841810
32-B, 3rd Floor, Pusa Road, Near Metro Pillar No. 122, New Delhi- 110005
www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

19वीं मंजिल से कूदकर बुजुर्ग ने की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 दिसंबर।

सेक्टर–121 स्थित अजनारा होम्स की 19वीं मंजिल से मंगलवार सुबह कूदकर 73 वर्षीय बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। 19वीं मंजिल से बुजुर्ग आठवीं मंजिल के छज्जे पर जा गिरे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों से पूछताछ में पता चला है कि बुजुर्ग काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी थेरेपी चल रही थी। थाना फेज थ्री पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने लिए हैं।

गुलशन चड्ढा (73) एक निजी कंपनी से सेवानिवृत्त थे। वह अपने बेटे राहुल और मनीष के साथ होम्स 121 की अजनारा सोसायटी में रहते थे। मनीष चड्ढा का फ्लैट 13वीं मंजिल और राहुल का फ्लैट 17वीं मंजिल पर है।

www.readwhere.com

केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शिलान्यास, 524 करोड़ होंगे खर्च

200 एकड़ में बनेगा पहला भारत वंदना पार्क

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

200 एकड़ क्षेत्र में दिल्ली में पहला भारत वंदना पार्क तैयार होगा। मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने इस पार्क का शिलान्यास किया। पार्क को मिनी भारत की थीम पर तैयार किया जाएगा और इस पर करीब 524 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उपराज्यपाल अनिल बैजल व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा भी उपस्थित थे। यह पार्क द्वारका में तैयार किया जाएगा और मार्च 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पार्क में आसानी से जनता पहुंच सके इनको भी शहरी विकास मंत्रालय ने ध्यान में रखा है। यह पार्क डीडीए तैयार करेगा। यह पार्क आइजीआइ एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर, द्वारका मेट्रो स्टेशन 9 से 300 मीटर और तैयार हो रहे इंटर नेशनल एक्सपो केंद्र से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय का मानना है कि इस पहल ने पार्क को न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश व दुनिया से आने वाले लोगों को भी यहां तक लाया जा सकेगा। इस केंद्र सरकार को डीडीए बतौर एक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करेगा। दावा किया जा रहा है कि इस प्लान के लागू होने से हरित क्षेत्र में 58 फीसद व जलाशय को 11 फीसद तक विकसित करने में मदद मिलेगी।

इस पार्क को मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत विकसित किया जाएगा। इस पार्क का 11 फीसद क्षेत्र जलाशय के आसपास विकसित किया जाएगा, जिसका प्रयोग बोटिंग के लिए किया जा सकेगा। इन जलाशय के लिए नजदीक के जल शोधन संयंत्र से 200 किलोलीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यहां आम जनता के लिए बड़ा हरित क्षेत्र होगा जिसका प्रयोग सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। यहां सांस्कृतिक केंद्र, लेन रेस्तरां, पेवेलियन व खानपान के केंद्र तैयार किए जाएंगे। इस पार्क को एक हर्बल वाटिका के तौर पर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में आने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग की व्यवसथा रहेंगी।

‘40 लाख लोगों के सिर से छत छिनने की चिंता दूर की’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

मंगलवार भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने कच्ची कॉलोनी में रहने वालों के सिर से छत छिन जाने का डर खत्म किया है। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना रोककर दिल्ली के गरीबों को आवास से वंचित रखा है। वे दिल्ली की 70 विधानसभाओं में आयोजित बाइक रैली के दौरान आम जनता को सम्बेधित कर रहे थे। बाइक रैली कार्यक्रम की अगुआई भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से इन कॉलोनियों में खुशी की लहर है। 58 महीनों तक दिल्ली सरकार इस योजना को लागू होने से रोकने क लिए पूर्ण कोशिश की लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों के रहने वाले लाखों लोगों को पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी ने ठगा है। उन्होंने बताया कि अब डीडीए दिल्ली के विभिन्न जगहों पर 50 कैम्प लगाकर रजिस्ट्रेशन का काम कर रही है ताकि लोगों को असुविधा न हो। रजिस्ट्रेशन के काम करने के लिये दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता भी अलग-अलग टोली बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि लोक-लुभावने वादे करने वाली केजरीवाल सरकार के पास अब दिल्ली के लोगों के सवालों का जवाब नहीं है।

जेएनयू कुलपति के घेराव के आरोप में दो विद्यार्थी को किया गया निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) कुलपति का घेराव मामले में जेएनयू प्रशासन ने दो विद्यार्थियों पर कार्रवाई की है। दोनों विद्यार्थियों को मामले की जांच पूरी होने तक अकादमिक गतिविधियों से निलंबित करने, छात्रवास से निष्कासित करने और जेएनयू परिसर से बाहर रहने की सजा सुनाई गई है।

जेएनयू के प्रॉक्टर की ओर से सोमवार को दोनों विद्यार्थियों का निलंबन जारी किया गया। निर्देश के मुताबिक दोनों विद्यार्थियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। विद्यार्थियों के खिलाफ कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकारियों का घेराव करने, कुलपति की कार को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही अभद्रता व धक्का-मुक्की करने के साक्ष्य हैं। प्रॉक्टर की ओर से कहा गया है कि इन दोनों विद्यार्थियों को परिसर में किसी ने भी जगह दी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जेएनयू कुलपति की कार के घेराव का मामला शनिवार को सामने आया था। इस संबंध में कुलपति की ओर से कहा गया था कि जब वह स्कूल ऑफ ऑट्र्स एंड एस्थेटिक्स गए थे, तो वहां 10 से 15 विद्यार्थियों ने उनका घेराव किया था और विद्यार्थियों ने उन्हें कार से बाहर खींचने की कोशिश की थी। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बचाया। कुलपति के इस आरोप के बाद विद्यार्थियों ने एक वीडियो जारी किया था जिमसें कुलपति की कार की बोनट में एक विद्यार्थी लटका हुआ नजर आ रहा था और कार तेजी से पीछे की ओर जाती दिख रही थी। वहीं, छात्र संघ ने कुलपति पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों ने कुलपति से शुल्क बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछे थे तो कुलपति सवालों से बचते हुए वहां से भाग गए।

परिसर में बना पुलिस कैंप

जेएनयू के विद्यार्थियों के मुताबिक परिसर में प्रशासनिक खंड के पास मौजूद एक पार्क में पुलिस कैंप बनाया गया है। टेंट में बने इस कैंप में कुर्सियां भी डाली गई हैं। वहीं, एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जेएनयू परिसर में कोई कैंप या चौकी नहीं बनाई गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद परिसर में कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें से कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में जबकि कुछ पुलिस की वर्दी में रहेंगे।

प्रधानमंत्री की रैली के लिए भाजपा ने किया भूमि पूजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

22 दिसंबर को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। कच्ची कॉलेनियों का पक्का करने के फैसले का स्वागत करने के लिए भाजपा ने यह रैली रखी है। मंगलवार को भाजपा नेताओं ने मैदान में भूमि पूजन व हवन किया और इस कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, राज्यसभा सांसद विजय गोयल, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, निगम पार्षद एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

नियुक्तियां

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
विज्ञापन-1/2019
विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ssvv.ac.in पर उपलब्ध है।
कुलसचिव

‘आप’ और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने ली भाजपा की सदस्यता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं में जिला उपाध्यक्ष आदर्श नगर जिला कांग्रेस पार्टी ललित रोहिल्ला, त्रिनगर विधानसभा के प्रभारी आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पवन कुमार गर्ग, यूथ विंग ‘आप’ (शकुरपुर मंडल) विशाल मलिक, पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी (त्रिनगर) रामधारी शर्मा पप्पू पंडित, अध्यक्ष कांग्रेस जेजे सेल (वजीरपुर) डॉक्टर विनोद कुमार, आप संयोजक बंगाली समिती (शकूरपुर) डॉक्टर विकास मलिक सहित सैकड़ों कार्यकताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा नेताओं ने इन्हें पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं का परीक्षा कार्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं और बाहरवीं की परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू होंगी।

दसवीं कक्षा की परीक्षा तिथियां

15 फरवरी को मीडिया, हेल्थ केअर, सुरक्षा, रिटेलिंग, कृषि, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, बैंकिंग एंव इंश्योरेंस आदि, 17 फरवरी को गृह विज्ञान, एनसीसी, ई प्रकाशन एवं ई दफ्तर, 20 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग एंड सेल्स, 24 फरवरी को स्थानीय भाषाएं, 26 फरवरी को अंग्रेजी, 29 फरवरी को हिंदी, 2 मार्च को हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत, 4 मार्च को विज्ञान, 7 मार्च को संस्कृत, 12 मार्च को गणित (बेसिक और स्टडैंर्ड), 14 मार्च को पेंटिंग, 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान और 20 मार्च को कम्प्यूटर ऐप्लीकेशंस, आइसीटी की परीक्षा होगी।

बारहवीं कक्षा की परीक्षा तिथियां

15, 17 और 20 फरवरी को वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं होंगी, 22 फरवरी को शारीरिक शिक्षा, 25 फरवरी को आंत्रप्रन्यॉरशिप, ऑफिर प्रॉसिजर, टेक्सटाइल डिजाइन व पारंपरिक भारतीय टेक्सटाइल, 26 फरवरी को वेब ऐप्लीकेशन, 27 फरवरी को अंग्रेजी, 28 फरवरी को संस्कृत, उर्दू, एनसीसी, इंजीनियरिंग साइंस व एअरकंडिशनिंग, 29 फरवरी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, फैशन स्टडीज आदि, 2 मार्च को भौतिक विज्ञान, 3 मार्च को इतिहास, 4 मार्च को मार्केटिंग, 5 मार्च को अकाउंटेंसी, 6 मार्च को राजनीतिक विज्ञान, 7 मार्च को रसायन विज्ञान, 12 मार्च को पर्यटन, 13 मार्च को अर्थशास्त्र, 14 मार्च को जीवविज्ञान, 16 मार्च को हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत व टेक्सेशन, 17 मार्च को गणित, 18 मार्च को लीगल स्टडीज, 19 मार्च को स्थानीय भाषाएं, 20 मार्च को हिंदी, 21 मार्च को आइपी व कम्प्युटर साइंस, 23 मार्च को भूगोल, 24 मार्च को बिजनेस स्टडीज, 26 मार्च को गृह विज्ञान 28 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी और 30 मार्च को समाजशास्त्र विषय की परीक्षा होगी।

SBI भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
सार्ब शाखाः सहारनपुर रोड, देहरादून

(नियम 8(1) के तहत) कब्ज़ा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद-13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था।
ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक, सार्ब शाखा सहारनपुर रोड, देहरादून को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।
बंधक सम्पत्तियों को अवमुक्त कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की तरफ आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	ऋणी:- मैसर्स सुरेन्द्र कुमार एवं कम्पनी, रजिस्ट्रार आफिस: 137-बी, नवीन मंडी स्थल, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)- 251001 एवं श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल एच यूएफ (प्रोपराइटर), 844/1 योगेन्द्रपुरी, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)- 251002 एवं श्रीमती मंधु बाला पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल, 844/1, योगेन्द्रपुरी, मुजफ्फरनगर -251002 (उ0प्र0)	व्यावसायिक प्लॉट खसरा नं0 1989, ग्राम- सुजडू, मुजफ्फरनगर भूमि क्षेत्र 1695 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती मंधु बाला पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस मुजफ्फरनगर (उ0प्र0), दस्तावेज नं0/ बिक्री विलेख नं0 1776 पेज नं0 179 से 194 वोल्यू नं0 2820 दिनांक 22.02.2006 पर पंजीकृत है।)	29.06.2019	13.12.2019	रु. 1,52,47,335.20/- दिनांक 28.06.2019 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 29.06.2019 से
2.	ऋणी:- मैसर्स संगल एवं कम्पनी, रजिस्ट्रार ऑफिस: 201-बी, नवीन मंडी स्थल, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)- 251001, एवं श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल एचयूएफ (प्रोपराइटर), 844/1 योगेन्द्रपुरी, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) -251002 एवं श्रीमती मोनिका संगल पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार, 844/1, योगेन्द्रपुरी मुजफ्फरनगर- 251001 (उ0प्र0)।	व्यावसायिक प्लॉट खसरा नं0 693, ग्राम- सिसौना, मुजफ्फरनगर भूमि क्षेत्र 2412.86 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल पुत्र श्री दाताराम (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेज नं0/बिक्री विलेख नं0 9375 पेज नं0 325 पेज नं0 551 से 558 वोल्यू नं0 2868/2909 एडी दिनांक 29.07.2019 पर पंजीकृत है। एवं सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) पर दस्तावेज नं0/बिक्री विलेख नं0 9393 पेज नं0 374/675 से 682 वॉल्यू नं0 2849/2909 एडी दिनांक 05.09.1986 पर पंजीकृत है।	29.07.2019	13.12.2019	रु. 1,51,61,832.77 दिनांक 28.07.2019 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 29.07.2019 से
3.	ऋणी:- मैसर्स कुमार इंडस्ट्रीज, रजिस्ट्रार ऑफिस: प्लॉट नं0 1, हरिजन इंडस्ट्रीयल एस्टेट, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)- 251001 एवं श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल एचयूएफ (प्रोपराइटर), 844/1 रामपुरम तहसील-सदर, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)- 251002 एवं श्रीमती मोनिका संगल पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार, 844/1, योगेन्द्रपुरी मुजफ्फरनगर- 251001 (उ0प्र0)।	औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नं0 1965, ग्राम- सिसौना, मुजफ्फरनगर भूमि क्षेत्रफल 1100 वर्ग गज एवं 919.60 मीटर सम्पत्ति स्वामी श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार एवं श्रीमती मोनिका सिंघल पत्नी श्री सतेन्द्र कुमार (कवर्ड सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) में दस्तावेज नं0/बिक्री विलेख नं0 8627 पेज नं0 115 से 120 वॉल्यू नं0 3937 दिनांक 03.12.1999 पर पंजीकृत है।)	29.08.2019	13.12.2019	रु. 1,64,31,602.28 दिनांक 28.08.2019 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 29.08.2019 से

दिनांक: 13.12.2019 स्थान: मुजफ्फरनगर प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com

जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा मामला

दस लोग 31 तक न्यायिक हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के बाबत गिरफ्तार किए गए 10 लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने 31 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कामरान खान ने पहले 10 गिरफ्तार लोगों में से छह लोग जिसमें मोहम्मद हनीफ, दानिश उर्फ जफर, समीर अहमद, दिलशाद, शरीफ अहमद, मोहम्मद दानिश को न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने 14 दिन के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ की इजाजत मांगी थी। हालांकि बाद में अदालत ने अन्य चार यूनुस खान, जुम्मन, अनल हसन, अनवार काला को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने जामिया के समीप हिंसा में शामिल होने के आरोप में सोमवार रात को इन्हें गिरफ्तार किया था। इनमें से कोई भी छात्र नहीं है।

आरोपियों की पहचान रविवार को जामिया में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लिए गए वीडियो के जरिए की गई। विश्वविद्यालय रविवार और सोमवार को उस समय जंग के मैदान में तब्दील हो गया था जब पुलिस परिसर में घुस आई थी और वहां बल प्रयोग किया था। प्रदर्शन के दौरान रविवार को हिंसा और आगजनी हुई थी जिसमें चार डीटीसी बसों, 100 निजी वाहन और 10 पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से लगा बाटला हाउस बाजार दोपहर तक सुनसान रहा और यहां स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले भी अपने पहले ग्राहक की प्रतीक्षा करते रहे। बाटला हाउस, न्यू गोले, अबु फजल, जाकिर नगर और गफ्फार मंजिल इलाके में मंगलवार की सुबह से ही सन्नाटा छाया हुआ रहा।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर मानव शृंखला बनाकर विरोध जताया।

विरोध में जामिया के बाहर प्रदर्शन जारी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ मंगलवार को भी जामिया मिल्लिया में प्रदर्शन जारी रहा। इलाके में तनावपूर्ण शांति है। विद्यार्थी और स्थानीय नागरिकों समेत प्रदर्शनकारियों ने सुबह करीब 10 बजे विश्वविद्यालय के गेट नंबर 7 पर जमा होना शुरू कर दिया। इस दौरान 'आवाज दो, हम एक हैं' जैसे नारे लग रहे थे। लोगों के हाथों में तिरंगे और पोस्टर थे। इस दौरान यहां पर कई लोगों ने मानव शृंखला बनाई। विद्यार्थियों ने बताया कि उनके कई दोस्त अपने घर जा चुके हैं लेकिन उन्होंने यहीं रहने का और तब तक लड़ाई जारी रखने का फैसला किया जब तक कि कानून वापस नहीं लिया जाता है। रविवार को प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद यह लगातार दूसरा दिन है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास विश्वविद्यालय जाने वाले रास्तों पर पुलिसकर्मी तैनात थे। सुखदेव विहार और जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खुले रहे। सोमवार को हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने घटना की जांच की मांग की।

एबीवीपी ने समर्थन में डीयू में निकाली रैली : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने मंगलवार को डीयू में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में डीयू के विद्यार्थी शामिल हुए।

गृह मंत्रालय ने गोली चलने से इनकार किया

जामिया में हुए हिंसक विवाद पर गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि रविवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली नहीं चलाई लेकिन इलाके से कारतूस का एक खोखा बरामद हुआ है। कुल तीन व्यक्तियों को सफदरजंग और होली फैमिली अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

जिस व्यक्ति को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके शरीर पर गोली लगने का कोई जख्म नहीं था और अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। हालांकि, मौके से बरामद हुए कारतूस के खाली खोखे को लेकर जांच जारी है।

उस कथित वीडियो क्लिप के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर सिविल कपड़ों में एक व्यक्ति नजर आ रहा है, अधिकारी ने कहा कि वह व्यक्ति दिल्ली पुलिस का कॉन्स्टेबल है। दक्षिणपूर्वी जिले में तैनात है और ऑटो चोरी रोकने वाले दस्ते का हिस्सा है।

एक अन्य सवाल के जवाब में, अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास घटना वाले दिन रबर की गोलियां नहीं थीं। एक स्थानीय विधायक से जुड़े सवाल पर अधिकारी ने कहा, 'यदि किसी को हिंसा में शामिल पाया जाता है तो, वह जो भी हो, उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

वाम छात्र संगठनों ने जामिया के विद्यार्थियों के पक्ष में किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

वामपंथी छात्र संगठनों ने मंगलवार को एकत्र होकर डीयू में सीएए के खिलाफ और जामिया के विद्यार्थियों के समर्थन एवं एबीवीपी द्वारा आइसा के साथ मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) का कहना है कि सोमवार को कुछ छात्र डीयू में जामिया के विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला किया। इसी के विरोध में मंगलवार को दोबारा विद्यार्थियों ने दोपहर करीब दो बजे प्रदर्शन किया तो मंगलवार को भी मारपीट की गई। जिसकी लिखित शिकायत मौरिस नगर थाने में दी गई है। इस बारे में आइसा दिल्ली की अध्यक्ष कवलप्रीत कौर का कहना है कि हमलोग शांतिपूर्ण तरीके से एबीवीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विद्यार्थी वापस जाने लगे तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जाकिर हुसैन की छात्रा के मारपीट की।

उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री की शांति की अपील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसक घटनाओं के बाद मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम जनता से शांति की अपील की है। उपराज्यपाल ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे शांति बनाएं रखें। उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं हो और किसी के बहकावे में भी ना आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सभ्य समाज में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा और अपनी बात शांति से कहनी है।

आरोप-प्रत्यारोप

'आप' नेताओं के भड़काऊ भाषण जिम्मेदार : भाजपा

नई दिल्ली। मंगलवार को भाजपा नेताओं ने हिंसक प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोग पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं और बाद में वह प्रदर्शन अग्र हो जाता है। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना भड़का सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ही प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ओखला विधायक अमानतुल्ला खान के भड़काऊ भाषण के बाद जामिया में हिंसा भड़की। कहा कि मंगलवार को भी सीलमपुर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी इशराक खान ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया जिसके कारण वहां हिंसक प्रदर्शन हुए। **(जसं)**

कांग्रेस ने भाजपा और 'आप' पर साधा निशाना

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ व दिल्ली के सीलमपुर व जामिया में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कहर, आंसू गैस व लाठी चार्ज व वहां हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। चोपड़ा ने कहा कि इस असंवैधानिक कानून के खिलाफ कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन से परेशान भाजपा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की गंदा खेल खेल रही है और उसको आप आदमी पार्टी और केजरीवाल का मौन समर्थन हासिल है।

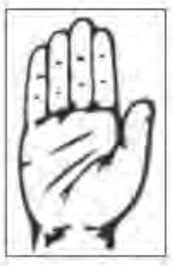

प्रदेश प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में हिंसा का गुजरात मॉडल लागू कर-के अपना राजनीतिक हित साधने में लगी हुई है। उधर, कांग्रेस के पूर्व विधायक हसन अहमद ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में बाकायदा एक जुलूस निकालकर लोगों से किसी उकसावे में नहीं आने और शांति बनाए रखने की अपील की। **(जसं)**

कानून को लेकर किया जा रहा है झूठा प्रचार : महेश शर्मा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 दिसंबर।

गौतम बुद्ध नगर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता कानून पर देश को बदनाम करने के लिए झठा प्रचार किया जा रहा है, कि संशोधन से देश में रहने वाले अल्पसंख्यक, विशेषकर मुसलमानों के अधिकार कम हो जाएंगे। यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से विपरीत है। इस संशोधन से भारत के किसी भी नागरिक के किसी भी तरह के अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने जनता से ऐसे असमाजिक तत्वों के जाल में न फंसकर उनके मनसूबे असफल करने की अपील की है। डॉ. शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि हाल ही में संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संसोधन विधेयक पारित हुआ है।

adani Gas

ADANI GAS LIMITED
Registered Office: "Adani House", Near Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad 380 009 | Phone : 079-26565555 | Fax : 079-26565500
Email : info@adani.com | Website : www.adanigas.com
(CIN: L40100GJ2005PLC046553)

Recommendation of the Committee of Independent Directors **("IDC")** constituted by the board of directors of Adani Gas Limited **("Target Company")** on the open offer made by TOTAL HOLDINGS SAS **("Acquirer")** to the public shareholders of the Target Company, for acquiring up to 27,71,46,602 (Twenty Seven Crore Seventy One Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred and Two) fully paid up equity shares having a face value of INR 1 (Rupee One) each **("Equity Share")**, constituting 25.2% (Twenty Five point Two per cent) of the Equity Shares and Voting Share Capital of the Target Company **("Open Offer")**, pursuant to Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the **"SEBI SAST Regulations"**).

1	Date	December 17, 2019
2	Name of the Target Company (TC)	**Adani Gas Limited**
3	Details of the Offer pertaining to TC	The Open Offer has been made by the Acquirer pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(1) and 15(1) of the SEBI SAST Regulations for the acquisition of up to 27,71,46,602 (Twenty Seven Crore Seventy One Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred and Two) Equity Shares, representing 25.2% (Twenty Five point Two per cent) of the Equity Shares and Voting Share Capital of the Target Company, at a price of INR 149.63 (Rupees One Hundred and Forty Nine and Sixty Three Paise only) per Equity Share ("Offer Price"), payable in cash.
4	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	**The Acquirer:** TOTAL HOLDINGS SAS **("Acquirer")**. **Person Acting in Concert (PAC):** Acquirer has stated that it does not have any person acting in concert with it, as defined under Regulation 2(1)(q) of the SEBI SAST Regulations, for the purpose of this Open Offer.
5	Name of the Manager to the offer	**Citigroup Global Markets India Private Limited ("Manager")** **SEBI Registration Number:** INM000010718 **Regd. Off.:** 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098 **Tel:** +91 22 61759999 | **Fax:** +91 22 61759898 **Website:** www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm **Email:** adanigas.openoffer@citi.com **Contact Person:** Ms. Garima Maheshwari
6	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	1. Mr. Maheswar Sahu, Chairman 2. Mr. Naresh Kumar Nayyar, Member 3. Mrs. Chandra Iyengar, Member
7	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	The Members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Target Company. None of the Members of the IDC hold any Equity Shares or other securities of the Target Company. None of the Members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the Members of IDC hold Equity Shares or other Securities of the Target Company and have not traded in equity shares/ other securities of the Target Company during a period of 12 months prior to the date of the public announcement relating to the Open Offer issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer on October 14, 2019; and since then till date.
9	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the Members of IDC is a Director of the Acquirer. They neither have any contractual relationship with Acquirer nor hold any equity shares of the Acquirer.
10	Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	Not applicable
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on a review of the public announcement **("PA")**, the detailed public statement **("DPS")** and Letter of Offer **("LOF")** relating to the Open Offer issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer, the IDC is of the opinion that the Offer Price offered by the Acquirer through the PA, the DPS and the LOF: • is in accordance with the the SEBI SAST Regulations; and • appears to be fair and reasonable. However, with regard to reasonableness of the price, IDC would like to draw the attention of shareholders to the current market value of the shares of the Company. The shareholders of the Target Company should independently evaluate the offer and take their own informed decision. They are also advised to seek appropriate tax opinion before taking any decision.
12	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder.)	IDC has taken into consideration the following for making the recommendation: IDC has evaluated the PA, the DPS and the Letter of Offer **("LOF")** dated December 11, 2019, issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer. Further IDC has engaged Grant Thornton India LLP as Independent Advisors and received its opinion. Based on the above, the IDC is of the opinion that under Regulation 8(2)(a) to (f), the Offer Price of INR 149.63 per share under Regulation 8(2)(a) is the highest price and that the Offer Price of INR 149.63 (Rupees One Hundred and Forty Nine and Sixty Three Paise only) per Offer Share is fair and reasonable and recommends the acceptance of the Open Offer, in light of the following: • The Equity Shares are frequently traded on the stock exchanges within the meaning and definition of "frequently traded shares" under clause (j) of sub-regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI SAST Regulations. • The Offer Price offered by the Acquirers is fair and reasonable in terms of Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations. However, it is advised to the shareholders to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision before participating in the Open Offer.
13	Details of Independent Advisors, if any.	Grant Thornton India LLP 16th Floor, Tower II, Indiabulls Finance Centre, S B Marg, Elphinstone (W), Mumbai - 400013.
14	Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST Regulations.

For and on behalf of Committee of Independent Directors of
Adani Gas Limited
Maheswar Sahu
Chairman of Committee of Independent Directors
DIN : 00034051

Place: Ahmedabad
Date: 17/12/2019

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA
7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में
1. **मनोहर अरोड़ा,** एच. नं. 25/8, मरला, न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा-121102
2. **मोना अरोड़ा,** एच. नं. 25/8, मरला, न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा-121102
3. **मै. ओम साई एण्टरप्राईजेज,** द्वारा उसके प्रॉप. मनोहर अरोड़ा, एच. नं. 25/8, मरला, न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा-121102

प्रिय महोदय/महोदया,

एलएएन 7280161 में 30.4.2017 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ **12 दिसम्बर, 2019** को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 7280161 में **रु. 1,24,53,778.38 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तिड़ेपन हजार सात सौ अठहत्तर एवं पैसे अड़तीस मात्र)** की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार **8 दिसम्बर, 2019 को** एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 11 मार्च, 2018 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता में रु. **रु. 1,24,53,778.38 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तिड़ेपन हजार सात सौ अठहत्तर एवं पैसे अड़तीस मात्र)** की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

सम्पूर्ण मकान सं. 25/8, माप 200 वर्ग यार्ड्स (सचिदानंद पार्क के निकट), मरला न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा-121102. बिक्री प्रलेख तिथि 17.3.2015 के अनुसार चौहद्दी इस प्रकार है:
पूर्वः अन्य **पश्चिमः रोड**
उत्तरः प्लॉट नं. 24, **दक्षिणः प्लॉट नं. 26**

चूंकि सूचना दिसम्बर 12, 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 18 दिसम्बर, 2019

(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

ऐक्सिस बैंक **आधिपत्य नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **भौतिक कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. सं.	ऋणी/ सह-ऋणी एवं जमानतकर्ता का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1.	**श्री इकान फैसल (ऋणी),** पुत्र फसी उल्लाह निवासी 273, चामुण्डा वाली गली, बारवालॉन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-244001 **एवं:** द्वारा इकान मेटल इण्डस्ट्रीज, चामुण्डा मन्दिर, बारवालॉन, मुरादाबाद, 3090, भारत-244001 **श्री गुलफाम फसी (सह-ऋणी),** पुत्र फसी उल्लाह निवासी 273, चामुण्डा वाली गली, बारवालॉन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-244001	स्थित ई डब्ल्यू एस, म0नं0 6ग, कबीर नगर आवासीय योजना, रामपुर रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत **क्षेत्रफल-53.35 वर्गमी0** **चौहद्दी: पूर्व:** सड़क **पश्चिम:** ईडब्ल्यूएस म0नं0 ग/11, **उत्तर :** ईडब्ल्यूएस म0नं0 ग/07, **दक्षिण:** ईडब्ल्यूएस म0नं0 ग/05	**रु.22,60,870.00** दिनांक 13.07.2018 +देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि** **13.07.2018** **कब्जा दिनांक** **13.12.2019**
2.	**श्री अब्दुल समद अफजल (ऋणी),** पुत्र श्री अफजल अली निवासी म0नं0-135, खोकरन्स तबाकिया खोकरन्स मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-244001 **एवं:** द्वारा मैसर्स शाने करीम होटल अफजल, गढ़ रोड, नूरी मस्जिद, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 **श्रीमती अनवर फातमा (सह-ऋणी),** पत्नी श्री अफजल अली निवासी म0नं0-135, खोकरन्स तबाकिया खोकरन्स मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-244001	स्थित म0नं0 ईडब्ल्यूएस, ग-28, कबीर नगर योजना, रामपुर रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 **क्षेत्रफल-53.76 वर्गमी0** **चौहद्दी: पूर्व:** म0नं0 ईडब्ल्यूएस ग-45, **पश्चिम:** 5.40 मी0 चौड़ी सड़क, **उत्तर :** म0नं0 ईडब्ल्यूएस ग-29, **दक्षिण:** म0नं0 ईडब्ल्यूएस ग-27.	**रु.8,27,823.00** दिनांक 20.01.2018 +देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि** **20.01.2018** **कब्जा दिनांक** **13.12.2019**

दिनांक : 18.12.2019, स्थान : लखनऊ

(प्रा0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि0

www.readwhere.com

हर बच्चे को मिल रहा शिक्षा का अधिकार

शिक्षा की मशाल से जीवन उजियारा

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्कूल चलो अभियान, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मध्याह्न भोजन, मिशन टॉपर, ऑपरेशन कायाकल्प, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान जैसी अनेक योजनाएं चलाकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा को हर विद्यार्थी की पहुंच में ला दिया है।

वर्तमान सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस किया है। उच्च शिक्षा में सत्र नियमित किया गया है। अवस्थापना सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं। 48 नये राजकीय कॉलेजों तथा 2 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की नकलविहीन परीक्षा कराने में सफलता मिली। मात्र एक महीने के रिकॉर्ड समय में परीक्षा कराकर परिणाम घोषित किया गया। एनसीईआरटी की तर्ज पर पाठ्यक्रम अपनाया गया, जिससे अखिल भारतीय सेवाओं में यूपी बोर्ड के विद्यार्थी सफल हो सकें।

*– **योगी आदित्यनाथ**, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश*

योगी आदित्यनाथ ने जगाई शिक्षा की अलख, रोशन हुआ उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नयी अलख जगायी है। 32 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में स्कूली शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच सार्वभौमिक हो गई है। आज प्रदेश के हर हिस्से में सरकारी स्कूलों का जाल बिछ चुका है। सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी सरकारी स्कूलों ने उपस्थिति दर्ज करा दी है। कई स्कूल तो गुणवत्ता में निजी स्कूलों को भी मात दे रहे हैं।

माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी इस सरकार ने उपलब्धियों के कई नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 'स्कूल चलो अभियान' में इस वर्ष 1.80 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया।

15,000 प्राथमिक विद्यालयों और 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया। इन स्कूलों में मदरसे भी शामिल हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता और मोजा का वितरण कराया गया। उन्हें मध्याह्न भोजन योजना से भी लाभान्वित कराया गया। निजी विद्यालयों में ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 लागू किया गया।

स्कूल न आने वाले बच्चों के चिह्नांकन, पंजीकरण और नामांकन के लिए प्रदेश सरकार ने एक नवीन कार्यक्रम **'शारदा-स्कूल हर दिन आयें'** शुरू किया। इसके तहत 80,836 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया।

शिक्षा के महायज्ञ में जाति, लिंग या धर्म पर ध्यान दिये बिना सभी को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज प्रदेश के ज्यादातर परिवार सार्वजनिक शिक्षा की पहुंच के दायरे में आ चुके हैं। आज सही मायनों में प्रदेश में स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ है। एक प्रदेश के रूप में 'सभी तक शिक्षा की पहुंच' का लक्ष्य करीब-करीब हासिल कर लिया गया है। इसके सबसे बड़े लाभार्थी ऐसे समुदाय हैं जिनकी पहली पीढ़ी तक शिक्षा की पहुंच बनी है।

15,000 प्राथमिक विद्यालय और 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस के अवसर पर 'अध्यापक पुरस्कार समारोह' में शिक्षिका को सम्मानित करते हुए।

बालिका शिक्षा ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क

बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और राजकीय इंटर कॉलेजों में सह शिक्षा की व्यवस्था की गयी। दूरस्थ शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने जाने से बालिकाओं को होने वाली दिक्कतें दूर करने के लिए शैक्षिक दृष्टि से सबसे पिछड़े 25 ब्लॉकों में बालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। 107 ब्लॉकों में बालिका छात्रावास का निर्माण प्रगति पर है।

45,383 शिक्षकों की भर्ती

शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वर्ष 2018 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 45,383 अध्यापकों की भर्ती की गयी। ये पद पिछली सरकारों के वक्त से खाली थे।

69000 शिक्षकों की भर्ती अन्तिम चरण में है।

माध्यमिक शिक्षा की तस्वीर बदली

माध्यमिक शिक्षा का भी कायाकल्प हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 149 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेजों का संचालन शुरू किया। इनमें शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 4,150 पदों का सृजन किया गया। 7 नवीन राजकीय इण्टर कॉलेज एवं एक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया गया। 193 नये इण्टर कॉलेज शुरू किये गये और 55 नये इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति प्रदान की गयी। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं नकलविहीन हुईं।

मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, पुरस्कार

पहली बार, मेधावी विद्यार्थियों को एक लाख रुपये की धनराशि, टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। **'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना'** के तहत 100 टॉपर छात्राओं, 100 टॉपर एससी/एसटी छात्र-छात्राओं तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के 300 टॉपर विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया गया।

चतुर्दिक बदलाव के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में

बुनियादी शिक्षा का हो रहा कायाकल्प

- ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के सीखने का स्तर ऊपर उठेगा
- विद्यालयों का स्तर भी बेहतर होगा

स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली और कक्षा आठवीं तक किसी विद्यार्थी को फेल न करने की नीतियों ने प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा दिया था। कक्षा 3 का बच्चा हिन्दी की एक लाइन नहीं पढ़ पाता था। कक्षा 5 का बच्चा दो अंकों की संख्या जोड़ नहीं पाता था। समय-समय पर होने वाले सर्वे में यह तथ्य सामने आते रहे हैं। शिक्षा को गर्त से निकाल कर फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से **'ऑपरेशन कायाकल्प'** संचालित कर रही है।

यह अभियान कक्षा 1 से 5 तक के लिए चलाया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और नेशनल अचीवमेंट सर्वे में सामने आता रहा कि जो लर्निंग इंडीकेटर निर्धारित किये गये हैं, वहां तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए बच्चों को लर्निंग इंडीकेटर तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को दो समूहों में बांट कर पढ़ाया जायेगा। कक्षा 1 व 2 के बच्चे एक समूह में होंगे और कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे दूसरे समूह में। इसके लिए कक्षा आधारित स्तर नहीं, बल्कि बच्चों के स्तर के मुताबिक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया शुरू की गयी। इस कार्यक्रम का बेसलाइन, छमाही व वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। छमाही सितम्बर में और वार्षिक मूल्यांकन फरवरी में किया जाता है। कक्षा 1 व 2 में सरल वाक्यों को पढ़ना, 1 से 20 अंकों को पहचानना, 20 तक के अंकों के साथ जोड़-घटाव आना चाहिए। वहीं कक्षा 3 से 5 में सरल अनुच्छेद पढ़ना, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति और 100 तक के अंकों को पहचानना शामिल है।

कायाकल्प इसके तहत 91,236 स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम, बाउण्ड्री वॉल, गेट, शौचालय, पेयजल व विद्युतीकरण कार्य कराये गये।

'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत नवीन सुविधाओं से सज्जित विद्यालय।

'ऑपरेशन कायाकल्प'

मुख्यमंत्री की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए संचालित किया जा रहा 'ऑपरेशन कायाकल्प' शिक्षा के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के साथ ही एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए चलाया गया अभियान है। इसका मकसद यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पठन-पाठन के स्तर में सुधार किया जाये। विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाये। स्तर के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था को प्रभावी-ढंग से लागू किया जाये। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी बच्चे के लिए पठन-पाठन की व्यवस्था उसके वास्तविक शैक्षिक स्तर को चिह्नित करते हुए की जायेगी।

एक माह पहले ही वितरित होगी छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति की राशि

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी मदद के भुगतान में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समाज कल्याण निदेशालय उन विद्यार्थियों के खातों में फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की राशि दिसम्बर में ही भेजने की तैयारी में तेजी से जुटा हुआ है। पहले यह मदद 26 जनवरी को मिलती थी।

छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति की पिछले सालों में जो प्रक्रिया अपनायी जाती थी, उसके मुताबिक, जिन छात्र-छात्राओं के आवेदन की प्रक्रिया प्रथम चरण में पूरी हो जाती थी, उन्हें 2 अक्टूबर को और शेष बचे छात्र-छात्राओं को 26 जनवरी को भुगतान किया जाता रहा है। इस बार 2 अक्टूबर को दलित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 लाख 33 हजार 974 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की रकम जारी कर दी गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के 3 लाख 76 हजार 198 छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन शिक्षण संस्थाओं से अग्रसारित किये गये थे।

प्रदेश के 2019-20 के बजट में शिक्षा के लिए आवंटन

1.80 करोड़ बच्चों का नामांकन

स्कूल चलो अभियान में

उच्च शिक्षा में इस लिहाज से देशभर में अव्वल है उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में अब तक के 32 माह के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र को जो दृष्टि प्रदान की है। उसका असर दिखने लगा है। आज उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में पूरे देश में अव्वल है। ये बातें ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19 में सामने आई हैं। यह एक आधिकारिक सर्वे है, जिसमें देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया। इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो बिंदुओं पर यूपी का प्रदर्शन सर्वोत्तम है।

विद्यार्थियों की संख्या में

इस सर्वे के अनुसार, देश में उच्च शिक्षा के लगभग हर क्षेत्र में छात्रों की संख्या छात्राओं से ज्यादा है। लेकिन दो ऐसे राज्य हैं, जहां यह आंकड़ा उल्टा है। ये दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। यहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के मामले में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत छात्रों की संख्या जहां 49.30 फीसदी है, वहीं छात्राएं 50.70 फीसदी हैं। यह राज्य उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं की कुल संख्या के मामले में देशभर में पहले स्थान पर है। यानि यहां उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है।

शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में

छात्र-छात्राओं के बाद शैक्षणिक संस्थानों की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के अन्य सभी राज्यों से आगे है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 8077 संस्थान हैं। इसके बाद शीर्ष राज्य हैं - महाराष्ट्र (6662 संस्थान), कर्नाटक (5028), राजस्थान (3723), आंध्र प्रदेश (3540) और तमिलनाडु (3443)।

शैक्षिक संस्थाओं की संख्या के लिहाज से अग्रणी राज्य

मदरसों में भी अब एनसीईआरटी की किताबों से दी जाएगी शिक्षा

मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र-छात्राएं भी अब एनसीईआरटी की किताबों से शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्रदेश में सभी 560 अनुदानित मदरसों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, इतिहास, भूगोल की एनसीईआरटी की किताबें मुफ्त वितरित करने की कवायद हुई है।

प्रदेश सरकार ने दो साल पहले तैतानिया (कक्षा 1 से 5), फौकानिया (कक्षा 6 से 8) और आलिया या उच्च आलिया स्तर (हाईस्कूल और उससे ऊपर) के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई की मंजूरी दी थी।

प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यताप्राप्त करीब 16,461 मदरसे हैं। इनमें से 560 मदरसे सरकार से अनुदानित हैं। तैतानिया और फौकानिया के बच्चों को हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद की तय किताबों से दी जाती है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराता है।

उत्तर प्रदेश के छात्रों को मेधावी बनाएगा सीएम का 'मिशन टॉपर'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के **'मिशन टॉपर'** के मद्देनजर शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को मेधावी बनाएगा। यूपी, सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों, उनके विद्यालयों एवं अभिभावकों के लिए गाइडलाइन जारी की गयी है।

ये हैं निर्देश

- बोर्ड परीक्षा के समय विद्यार्थी काफी तनाव में होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की काउंसिलिंग कराई जाए।
- प्री-बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों की विषयवार दिक्कतों को चिह्नित कर निवारण करें।
- मॉडल पेपर से अभ्यास कराया जाए।
- प्री-बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र से अभ्यास कराएं।
- प्री-बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका कॉलेज और जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।

टॉपर्स के नाम से बनेगी सड़क

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सीबीएसई, आइसीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अगले सत्र में भी एक लाख रुपये, टैबलेट, मेडल और प्रमाणपत्र तो देंगे ही टॉपर के नाम से उसके घर से पक्की लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा।

स्कूलों पर नजर रखेंगे रिसोर्स टीचर

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कुछ माह पूर्व मानीटरिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए **'प्रेरणा एप'** की शुरुआत की गयी है। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अब विभाग इंटीनरेंट और रिसोर्स टीचरों के जरिये प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों की मॉनिटरिंग करायेगा। 'प्रेरणा एप' से इन सबको जोड़ा जायेगा। इसके लिए विभाग की ओर उनके प्रशिक्षण की तैयारी की जा रही है। इससे कायाकल्प योजना के जरिये संवारे जा रहे परिषदीय स्कूलों की भौतिक स्थिति और उनका वास्तविक डाटा भी विभाग को त्वरित गति से मिल पायेगा।

राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि ढाई गुना बढ़ायी गयी

अध्यापक भी नये-नये और प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रेरित हों, इस उद्देश्य से राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गयी। इसी तरह, मान्यता प्राप्त वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है।

जनसत्ता

सूचना की सीमा

करीब डेढ़ दशक पहले जब सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआइ एक्ट लागू हुआ, तब उम्मीद की गई थी कि सत्ता और प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक बड़ा और कारगर औजार बनेगा। काफी हद तक इसका असर इसी रूप में सामने आया है और आज भी इस कानून के सहारे अलग-अलग महकमों से जुड़ी जनहित की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। यह जनकल्याण के कार्यक्रमों पर कारगर अमल और लोकतंत्र को मजबूत करने के मामले में एक ठोस कानून साबित हुआ है। लेकिन इसके समांतर यह भी सच है कि इस कानून को कुछ लोगों ने कई बार हथियार बना कर भी इस्तेमाल किया। यह भी देखा गया कि आरटीआइ के जरिए निकाली गई किसी सूचना की धौंस देकर संबंधित व्यक्ति के सामने मनमानी मांगें रखी गईं, किसी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर देने की आपराधिक धमकी दी गई और एक ब्लैकमेल किया। हालांकि इस तरह के मामले आम नहीं रहे, फिर भी अगर किसी शक्ल में आरटीआइ एक्ट को कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने का जरिया बनाता है तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इस कानून के बुनियादी स्वरूप का भी बेजा इस्तेमाल है।

शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआइ का दुरुपयोग रोकने और इसके माध्यम से 'आपराधिक धमकी' पर रोक लगाने के लिए एक मुकम्मल दिशानिर्देश बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस मसले पर दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कुछ लोग आरटीआइ दाखिल करने के विषय से किसी तरह संबंधित नहीं होते; यह कई बार आपराधिक धमकी की तरह होता है, जिसे ब्लैकमेल करना भी कहा जा सकता है। ऐसी खबरें भी आईं कि आरटीआइ के तहत सवालों का जवाब देने की वजह से किसी विभाग के सामान्य कामकाज में बाधा आई। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अदालत की चिंता वाजिब है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई जानी चाहिए। एक बेहद उपयोगी कानून का गलत मंशा से किया गया इस्तेमाल आखिरकार इसके बुनियादी मूल्यों को खत्म कर देगा। अगर यह प्रवृत्ति सामने आती है तो इस पर रोक के लिए ठोस दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि अपने लागू होने के बाद से ही इस कानून ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने में जितने बड़े मददगार की भूमिका निभाई है, उसकी वह अहमियत बरकरार रहे।

यह किसी से छिपा नहीं है कि आरटीआइ कानून के लागू होने के पहले समूचा सत्ता-तंत्र जनता की सामान्य पहुंच से एक तरह से बाहर था और किसी काम के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव था। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता का अभाव एक चरित्र बन गया और इसका नुकसान लगभग हर स्तर पर देश की जनता और जनहित के व्यापक सरोकार को हुआ। लेकिन इस कानून के आने के बाद लोगों को एक सीमित सहारा मिला और इसके जरिए वे संबंधित जानकारी पाने के अधिकार से लैस हुए। इससे इस कानून की अहमियत ही साबित होती है। ऐसे में अगर सूचनाधिकार कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने का एक तंत्र बन जाए तो इसकी उपयोगिता एक साबित हकीकत है। हालांकि यह भी सच है कि इसके दुरुपयोग के कुछ मामले सामने आए, जो अक्सर चिंता की वजह बने। इसके बरक्स इसके उपयोग से जरूरी जानकारियां जनता के सामने लाने वाले कई आरटीआइ कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जानकारी से लैस समाज ही जागरूक हो सकता है और आखिरकार यह देश को मजबूत करने का जरिया बनता है।

मुशर्रफ को सजा

लंबे समय से देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुना कर विशेष अदालत ने यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान में न्याय अभी जिंदा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अदालत का यह फैसला बता रहा है कि तमाम दबावों और संकटों के बावजूद पाकिस्तान की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है। फांसी की सजा तो दूर, मुशर्रफ को सजा मिलेगी भी या नहीं, इसे लेकर ही पाकिस्तान में संशय बना हुआ था। मुशर्रफ सिर्फ देश के राष्ट्रपति ही नहीं रहे, वे पाकिस्तान के सैन्य शासक, देश के सेना प्रमुख, करगिल युद्ध के नायक जैसे रूपों में मील के पत्थर गाड़ते रहे। इसलिए मुशर्रफ को मौत की सजा की खबर चौंकाने वाली है। पाकिस्तान के इतिहास में वे पहले ऐसे सैन्य शासक और राष्ट्रपति हैं, जिसे मौत की सुनाई गई हो। जिस मुल्क में राजनीति से लेकर हर जगह सेना का दबदबा रहता हो और बिना सेना की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता हो, वहां एक पूर्व सैन्य शासक और राष्ट्रपति को फांसी की सजा दिया जाना स्पष्ट रूप से इस बात का संदेश है कि सेना भी न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। यह उन पूर्व और मौजूदा सैन्य अधिकारियों और राजनीतिकों के लिए भी कड़ा संदेश है कि जो अपने को कानून से ऊपर मान कर चलते हैं।

मुशर्रफ चाहे सेना में रहे हों या राजनीति में, अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे हमेशा ही चतुराई से भरी चालें चलते रहे। 1998 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सत्ता का तख्तापलट कर देश का सैन्य बनना इस दिशा में पहला कदम था। इसके बाद उन्होंने अपने को पाकिस्तान का सीईओ घोषित कर डाला था। जैसे-जैसे मुशर्रफ की ताकत बढ़ती गई, वे देश के निर्वाचित राष्ट्रपति तक हो गए। 2001 से 2008 तक के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायपालिका, कानून, संविधान को कुछ नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब तीन नवंबर 2007 में अपनी शक्तियों के अहंकार में उन्होंने देश के संविधान को निलंबित कर देश में आपातकाल लगा दिया था और पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश सहित साठ से ज्यादा जजों को नजरबंद कर दिया था। यह पाकिस्तान की न्यायपालिका पर सबसे बड़ा संकट था। तब शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि सत्ता के दंभ में जो फैसला उन्होंने किया है, वही किसी दिन उनकी मौत का फरमान भी बन सकता है। आज मुशर्रफ को इसी किए की सजा मिली है।

मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या, पद के दुरुपयोग जैसे मामले भी चल रहे हैं। वे लंबे समय से दुबई में रह रहे हैं और इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं। जब 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में लौटे तो 2014 में मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा शुरू हुआ। मुशर्रफ खुद इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वे अब बच नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक कानूनी-दांवपेचों का सहारा लिया और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि विशेष अदालत का यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बावजूद आया है जिसमें विशेष अदालत को फैसला देने से रोक दिया गया था, जबकि उसने 19 नवंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और 28 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था। आज मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों ही एक जैसी हालत में हैं, बीमार और सजायाफ्ता। मुशर्रफ को सजा और वह भी फांसी की सजा, देश के सैन्य प्रतिष्ठान को कहीं न कहीं विचलित तो जरूर कर रही होगी!

कल्पमेधा

जो दूसरों को जानता है, वह विद्वान है और जो खुद को जानता है, वह ज्ञानी है।
- लाओत्से

कूटनीतिक चुनौतियां और भारत

शोभना जैन

बांग्लादेश भारत का न सिर्फ पड़ोसी है, बल्कि उसके साथ हमारे प्रगाढ़ रिश्ते हैं। ऐसे में अगर नागरिकता कानून को लेकर मचे बवाल से दोनों के बीच कोई विवाद खड़ा होता भी है तो उसका समाधान कोई जटिल नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो भारत सरकार इस बारे में पहले ही साफ कह चुकी है कि इस कानून के बारे में वह अमेरिका में सभी संबद्ध पक्षों को अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है।

चर्चित नागरिकता कानून को लेकर पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर सहित देश के अनेक भागों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं। कहीं असंतोष अब कुछ धीमा पड़ रहा है, तो कहीं अभी भी चरम पर है। चिंता की बात यह है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किए जाने की तरह ही इस कानून का भी कूटनीति पर प्रतिकूल असर नजर आने लगा है। ऐसे में इसे कूटनीतिक तौर पर भी संवेदनशीलता, अत्यंत सावधानी और दूरंदेशी से काम लेने की जरूरत है। नागरिकता कानून के बाद भारत में बिगड़े हालात के मद्देनजर बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मौमिन ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा रद्द कर दिया, वहां के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने पूर्वोत्तर की अपनी निजी यात्रा स्थगित कर दी। गुवाहाटी में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद भारत जापान के बीच गुवाहाटी में होने वाला भारत जापान शिखर सम्मेलन टल गया और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा अंतिम समय में स्थगित करनी पड़ी।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जैसी सोची गई थी, वैसी ही रही। मौका पाते ही उसने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, जिसका भारत ने करारा जबाव यह कहते हुए दिया कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान दे, उन्हें संरक्षण दे। अमेरिकी संसद और विदेशी मामलों की संसदीय समिति ने भी इस कानून में मुसलिम समुदाय के प्रति इस भेदभाव किए जाने की बात कहते हुए इस पर तीव्र विरोध जताया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि वह इस कानून के संभावित परिणामों का विश्लेषण कर रहा है।

बहरहाल यहां इस मुद्दे के कूटनीतिक पहलू की बात करें, तो यह तय है कि विदेश नीति घरेलू नीतियों से एकदम अलग हट कर नहीं रखी जा सकती हैं, लेकिन ऐसे जटिल मुद्दे जो निकट पड़ोस से भी जुड़े होते हैं, उनका जितना जल्द और तर्कसंगत तरीके से सही समाधान हो जाए तो देश की स्थिति के साथ-साथ उनका विदेश नीति पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, खासतौर पर ऐसे में जब कि मुद्दा 'पड़ोसी सबसे पहले' की नीति से जुड़ा हो। एनआरसी, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अब नागरिकता कानून पर पाकिस्तान को छोड़ दें, लेकिन हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसने इस बाबत कोई आधिकारिक विरोध या प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराई है।

नागरिकता संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए गैर-मुसलिम शरणार्थियों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके प्रावधानों में इन देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित इन छह धर्मों के अनुयायियों में मुसलिम समुदाय के लोगों को भी ऐसी स्थिति में भारत में शरण लेने की पात्रता सूची में नहीं रखे जाने पर नागरिक समाज में असंतोष हैं और उन्होंने इस कानून को मुसलिम विरोधी करार दिया गया है। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया कि इस कानून के जो कूटनीतिक पहलू हैं, उन पर खास ध्यान देने की जरूरत हैं। इस कानून को लेकर पड़ोसी बांग्लादेश ने वैसे तो अभी तक अनौपचारिक प्रतिक्रिया ही जाहिर की है और औपचारिक विरोध व्यक्त नहीं किया है, जिसे भारत और बांग्लादेश मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। लेकिन भारत में अगर हालात जल्दी सामान्य नहीं होते हैं तो यह देखने वाली बात होगी कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामी जगत के दूसरे देश जिनके साथ पिछले कुछ समय में भारत सरकार के रिश्तों में काफी प्रगाढ़ता आई है, वे भारत को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए अब इस संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भारत पर बांग्लादेश सहित पूरे इस्लामी जगत की नजर है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भारत में इस कानून को लेकर जल्द स्थिति सामान्य हो और सरकार इसके समग्र पहलुओं को ध्यान में रख कर इससे पहले भ्रम का निराकरण करे। भारत सरकार को बिना आत्मरक्षात्मक हुए विश्व समुदाय के समक्ष पूरे तथ्य रखने चाहिए। बांग्लादेश भारत का न सिर्फ पड़ोसी है, बल्कि उसके साथ हमारे प्रगाढ़ रिश्ते हैं। ऐसे में अगर नागरिकता कानून को लेकर मचे बवाल से दोनों के बीच कोई विवाद खड़ा होता भी है तो उसका समाधान कोई जटिल नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो भारत सरकार इस बारे में पहले ही साफ कह चुकी है कि इस कानून के बारे में वह अमेरिका में सभी संबद्ध पक्षों को अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। भारत का कहना है कि अमेरिका में कांग्रेस और सभी संबद्ध पक्षों से जिस सक्रियता से हम जुड़े हुए हैं, उसके मद्देनजर उम्मीद हैं कि इस कानून पर कोई रुख अख्तियार करने से पहले अमेरिका भारत के पक्ष को समझेगा। दरअसल अमेरिकी सांसद आंद्रे कार्सन ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भारत पर हमला करते हुए कहा था कि यह बिल मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है।

जहां तक सवाल है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा स्थगित किए जाने का, वह भारत की अंदरुनी खासतौर से गुवाहाटी की कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा मसला है। इसलिए उसे इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता कि भारत में नागरिकता कानून को लेकर जापान क्या रुख अपनाता है। जापान में शिंजो आबे की यात्रा के बारे में चर्चा रही कि भारत सरकार चाहती थी कि शिखर वार्ता स्थगित करने की बजाय गुवाहाटी की जगह दिल्ली में रख दी जाए, लेकिन जापान इसे फिलहाल स्थगित किए जाने के पक्ष में रहा।

अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हम नागरिकता संशोधन विधेयक के संबंध में घटनाक्रमों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। कानून के तहत समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हम दो लोकतांत्रिक देशों के मौलिक सिद्धांत हैं। इसलिए अमेरिका भारत से अनुरोध करता है कि वह अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे।

यह सच है कि ये एनआरसी, नागरिकता कानून और अनुच्छेद-370 जैसे मुद्दे मुख्यरूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान के बारे में जाहिर है कि अल्पसंखयकों को लेकर वह अपने ही बेहद खराब रिकार्ड के बावजूद वह इन मौकों को भारत के खिलाफ जहर उगलने और विश्व मंच पर मुद्दा बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ेगा।

अवैध अप्रवासी एक वास्तविकता है और उसे समग्रता से संभालने की जरूरत है ताकि पूरी दुनिया विशेष तौर पर मुसलिम जगत में भी सही संकेत जाए। नागरिकता कानून की निर्धारित तिथि कट और सरकार का यह आकलन कि शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में वहां धार्मिक आधार पर भारतीय मूल के इन छह धर्मों के लोगों का उत्पीड़न नहीं हुआ, इससे लगता है कि मौजूदा हसीना सरकार अपेक्षाकृत कम उद्वेलित होगी। अगर अमेरिका और यूरोप के कुछ वर्गों की तरफ से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाती है तो अमेरिका की आव्रजन नीतियां खुद कठघरे में हैं। यूरोप के कई देशों में उनकी आव्रजन और मुसलिम विरोधी नीतियों को लेकर खुद उनके नागरिकों में गुस्सा है। बहरहाल ये सभी तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन निश्चय ही जरूरत इस बात की है कि जितना जल्द देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर उसका तर्कसंगत और मानवीय आधार पर हल निकाला जाएगा, कूटनीति पर भी उतना ही सकारात्मक असर पड़ेगा।

अस्मिता के बरक्स

आलोक रंजन

दुनिया मेरे आगे

तोश के उस छात्रावास में 'कैंप-फायर' चल रहा था। आग के चारों ओर बैठे लड़के-लड़कियों में से एक लड़की ने मेरा परिचय पूछा तो मैंने कहा- 'बिहार का हूं, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, केरल में नौकरी करता हूं। अध्यापक हूं, यात्राएं करता हूं और लिखता भी हूं!' उसके मुंह से निकला- 'वाट ए वियर्ड कॉम्बिनेशन'! इंटरनेट मिल रहा था वहां इसलिए यह सब मैंने फेसबुक पर डाल दिया। ज्यादातर मित्रों ने इसे बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया और उस लड़की के विरोध में कुछ बातें कही। फिर एक संवाद आया- 'एक बिहारी सब पर भारी'। मेरे एक वरिष्ठ मित्र ने इस संवाद पर आपत्ति उठाई कि 'बिहारी अस्मिता' के प्रकटन के लिए अक्सर यह मुहावरा ही क्यों कहा जाता है और कैसे एक बिहारी सब पर भारी हो सकता है! जबकि कोई भी मानक उठा लीजिए तो बिहार उसमें नीचे से पहले या दूसरे स्थान पर ही रहता है। बिहारी या बिहार भारी कैसे है सब पर? मित्र की बात बिल्कुल ठीक थी।

यात्राओं में जब लोग मिलते हैं तो अक्सर ऐसे संवाद होते हैं। इस पर भड़कना ठीक नहीं है। इधर एक लेखक को गमछा पहन कर जाने के कारण किसी रेस्टोरेंट में जाने से रोक दिया। पहनावे को लेकर किसी को रोकना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इस घटना को बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया गया। ऐसा दिखाया गया कि बिहार केवल इसी गमछे भर तक सीमित है।

इन दोनों घटनाओं ने अस्मिता और बिहारी अस्मिता को जांचने का अवसर दिया। बिहार से निकलते ही बिहार को लेकर एक प्रेम अपने आप उमड़ता है। यह स्वाभाविक भी है और हर जगह से जुड़े लोगों के लिए यह इसी तरह से काम करता होगा। तभी इतनी सारी पहचान है और उन पहचानों से जुड़ी राजनीति और व्यवहार हैं। मैं केरल में रहता हूं और यहां घूमते-फिरते जब भी किसी से पहली बार मुलाकात होती है और वे मेरे बिहारी होने को जानते हैं तो वे बिहार की पिछड़ी पहचान से ही जोड़ते हैं अपने आपको। कहना न होगा कि उन क्षणों में दुख और गुस्सा हावी रहता है, लेकिन कभी भी उनको लेकर वैमनस्य नहीं उपजा। उन्हें बिहार की खूबियां बताते हुए भी कोशिश रहती है कि अन्य स्थलों और वहां के इंसानों को नीचा न दिखाया जाए। अस्मिता सबकी उतनी ही जरूरी है और सब उसके प्रति उतने ही भावुक भी होते हैं।

इतना समझते हुए भी बिहारी अस्मिता को लेकर एक प्रश्न बार-बार उठता है। बिहार से बहुत से लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर जाते हैं और दूसरी अस्मिताओं से उनका रोज का संघर्ष होता है। उन संघर्षों ने 'एक बिहारी सब पर भारी' वाली बात सोचने पर मजबूर किया होगा। इसने एक झूठी मानसिक मजबूती दी होगी, लेकिन यह मानना कठिन है कि ऐसी बात मजदूरों की ओर से कही गई होगी। यह खाए-अघाए लोगों को मानसिक शक्ति दे सकती है या ऐसे लोगों को जिन्हें कुछ हासिल है, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं। 'सब पर भारी' होने वाली बात पर गौर करें तो यह एक खोखले दावे से ज्यादा कुछ नहीं लगता। इसके बावजूद आखिर दूसरे राज्यों में बिहार और वहां से बाहर निकले लोगों को लेकर इतनी सक्रियता क्यों देखी जाती है? अलग-अलग संस्थाओं द्वारा आए दिन आंकड़े जारी होते रहते हैं, उनकी रिपोर्ट आती हैं। उन सबको देखें तो यह भारी होना अलग तरह से ही सामने आता है।

उन रिपोर्टों में बिहार का सकारात्मक स्थान खोजने पर भी नहीं मिलता। शिक्षा और साक्षरता अलग-अलग बातें हैं, लेकिन बिहार की साक्षरता दर बहुत कम है तो शिक्षा की स्थिति भी दयनीय है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं समय पर नहीं होती। साधारण बीए करने में निर्धारित से एक-दो साल ज्यादा लग जाते हैं। परीक्षाओं में भरपूर कदाचार है। इन सबके कारण जिनके पास भी साधन है, वे निकल जाते हैं बिहार से। रोजगार के लिए तो लोग निकलते ही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दयनीय है। परिवहन की स्थिति को देखें तो सिर पीट लेंगे। कुछ जगहों पर केवल रेल से ही संपर्क किया जा सकता है और कोई बड़ा पुल टूट गया तो नाव या 'चचरी पुल' से काम चलता है। ज्यादातर व्यवस्था जुगाड़ के सहारे चलती है।

हाल में एक रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की। उसमें बिहार को सांप्रदायिक दंगों की राजधानी कहा गया है। सवाल उठता है कि बिहारी अस्मिता की बात आती है तो गमछा के लिए आंदोलन हो जाता है, बिहारी कह देने के खिलाफ प्रदर्शन होने लगते हैं, लेकिन बिहार की दयनीय स्थिति के मामले में यही अस्मिता क्यों नहीं जागती? वह आत्माभिमान कहां खो जाता है? इस तरह के सवाल करने को आजकल कुंठित लोगों की बात कहने का चलन है, बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं। लेकिन क्या रुक कर सोचने की जरूरत नहीं है कि बिहार की समस्याओं को लेकर कोई आंदोलन क्यों नहीं होता?

नारा बनाम हकीकत

गांव-कस्बे से लेकर महानगर तक में बढ़ रहे यौन अपराध में यौन शोषण या सामूहिक बलात्कार और हत्या की वारदात आम बात जैसी होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा समाज ही आज की उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता बनती जा रही है। यह सब मानव समुदाय को सोचने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि ऐसा शायद ही किसी दिन रहता होगा कि बलात्कार की खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियां न बनते हों। जब इस स्थिति पर कोई नेता टिप्पणी करता है तो उनके विरोधियों में आक्रोश छलकता है, लेकिन इस सच्चाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बलात्कार की घटनाएं सभ्य मानव समुदाय को न केवल चिढ़ा रही हैं, बल्कि सता भी रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मसले पर अपनी राजनीति नहीं ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस कुकृत्य के शिकार आम आदमी होते हैं। आम लोगों को सुरक्षा की जरूरत है, न कि राजनीतिक नेताओं के दावे और प्रतिदावे की।

आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश को बहुत आगे जाने की जरूरत है और बेटियों को सुरक्षा देने की जरूरत है। आज की तारीख में बेटियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाने से वे अपने बलबूते आगे बढ़ेंगी, जिससे परिवार और समाज का भला होगा, उसे आगे बढ़ने दो। लेकिन निर्भया पढ़ी-लिखी थी, वह यात्रा कर रही थी। फिर भी समाज के दरिंदों ने क्या किया, यह दुनिया से छिपा नहीं है। हाल में आंध्र प्रदेश में दिशा के साथ क्या हुआ, वह भी दुनिया ने देखा। वह भी न केवल पढ़ी लिखी थी, बल्कि पढ़-लिख कर अपने पैर पर भी खड़ी थी। डॉक्टर थी। इसके बावजूद वह भी बलात्कार का शिकार हुई और जला कर मार डाली गई। उसके बाद आरोपियों का एनकाउंटर करने की बात को आम लोगों ने सही करार दिया। लेकिन उस घटना के बाद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरह की घटनाएं सरेआम होना और अंकुश नहीं लग पाना न्यायविदों, पुलिसकर्मियों, शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार*

कौन नागरिक

सवा सौ करोड़ की आबादी वाले भारत में, जहां आधी जनता रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार के लिए जूझ रही है, संसाधन के अभाव में सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है, उस अपने देश की जनता की परेशानियों को छोड़ कर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना किसी भी तरह से जायज नहीं प्रतीत हो रहा है। इस प्रावधान से पहले इन तीनों देश को शत्रु राष्ट्र माना जाता था और वहां के लोगों को किसी भी प्रकार से नागरिकता देने के पक्ष में कोई नहीं था। इन तीनों देशों में जीवन स्तर भारत की अपेक्षा बहुत निम्न है, इसलिए नागरिकता संबंधी नए कानून के बाद वहां के गरीब और पिछड़े मुसलिम समुदाय भी भारत में आने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इसके लिए वे अपना धर्म परिवर्तित कर छह वर्ष भारत में रह कर यहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, फिर उन्हें इस्लाम अपनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आतंकवादी संगठनों के सदस्य भी सीएए का सहारा लेकर भारत में अपनी पैठ जमा सकते हैं।

एनआरसी जहां एक तरफ अवैध प्रवासियों को बाहर करने का मार्ग प्रशस्त करता है वही सीएए देशीकरण के माध्यम से उन्हें भारत की नागरिकता दे रहा है। रोजगार और संसाधनों के लिए होने वाले संघर्ष से बचने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों ने अनुच्छेद 371 के माध्यम से सीएए को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन नागरिकता संघ सूची का विषय होने के कारण राज्यों पर बाध्यकारी है जो पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में हिंसा का कारण बन रहा है। इसलिए सरकार को दूसरे देश के अल्पसंख्यको की चिंता और धर्म से ऊपर उठ कर राष्ट्रहित में नागरिकता संशोधन कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए।

● *शिवम कुमार तिवारी, बीएचयू, वाराणसी*

मंदी और हम

पिछले दिनों एक लेख में मंद पड़ती आर्थिक-वृद्धि का एक कारण यह भी बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क, बिजली और दूरसंचार के ताने-बाने ने तेज गति से विस्तार पाया, नतीजतन दूरदराज ग्रामीण इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से संपर्क में आ गए। इससे आंतरिक व्यापार को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिलता रहा और इससे सात फीसद की विकास दर कुछ वर्षों तक बनी रही। पर अब देश का लगभग नब्बे फीसद हिस्सा सड़क, बिजली और दूरसंचार से युक्त हो चुका है, इसलिए यहां से आगे इस सात फीसद की दर को बनाए रखने के लिए हमें अन्य क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि किस तरह पिछले पांच-छह वर्षों में आर्थिक अधोसंरचना के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से काफी असरकारी काम हुए हैं।

यों पूरी दुनिया ही जब आर्थिक मंदी से ग्रस्त हो, तो इस वैश्वीकरण के दौर में यह भूल जाना ही ठीक होगा कि किसी भी देश को इससे पूरी तरह बेअसर किया जा सकता है। सही है कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाए जाने के लिए आवागमन, भूमि-अधिग्रहण, पर्यावरण, कंपनी-विवाद संबंधी कानून, कर-निर्धारण, शिक्षा की गुणवत्ता, ऋण उपलब्धता, विधुत शुल्क आदि क्षेत्रों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में भी काफी कुछ होता दिख रहा है।

● *राजेश पाठक, नेहरू नगर, भोपाल*

घुसपैठ की सीमा

नागरिकता संशोधन कानून पर काफी विरोध देखने में आ रहा है। लेकिन सवाल है कि हमारे देश में घुसपैठियों के जरिए चुनावी फसल कब तक काटी जाएगी। जिस समय देश में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे थे, उसी वक्त पूर्वोत्तर के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था। बहुत सारे बांग्लादेशियों को राशन कार्ड देने वाले कांग्रेसी किस मुंह से बांग्लादेशियों को असम में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। सच तो यह है कि देश में घुसपैठ की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और इसकी जिम्मेदार तत्कालीन सरकारें भी रही हैं। अब नागरिकता संशोधन कानून बन गया है, तो सरकार को इस पर न्यायपूर्ण तरीके से अमल को लेकर भी सजग रहना होगा।

● *रितेश कुमार उपाध्याय, संतकबीर नगर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

फास्ट फूड : विज्ञापनों से कर रहे हैं भ्रमित

हाल में आए एक विज्ञापन में दिखाया गया है कि जंक फूड कंबो संतुलित भोजन की जरूरत पूरा कर सकता है। विज्ञापनों में इसे घीया तोरी के विकल्प के तौर पर परोसा जा रहा है। इसे स्वास्थ्यवर्धक खाना की तरह दिखाया जा रहा है। विज्ञापनों से बच्चों के जेहन में बिठाया जा रहा है कि इससे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं है। जबकि ब्रांड चिकन में 4.6ग्राम नमक व 31.9 ग्राम वसा पाया गया। यानी आरडीए का 92.1 फीसद नमक व 53.2 फीसद वसा पाया गया।

कुंभ मेले से पहले अखाड़ों में ठनी

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

हरिद्वार तीर्थ नगरी में 2021 में लगने वाले कुंभ मेले से पहले ही साधु बाबाओं के अखाड़ों में चहल कदमी शुरू हो गई है। जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर कुंभ कार्यों के धीमी गति से होने पर नाराजगी जताई है और मेले के कार्यों को तेजी से करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद को उनके कार्य तेजी से शुरू करने और समय पर पूर्ण करने का भरोसा दिया है। अखाड़ा परिषद ने चार धामों और 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए बनाए गए श्राइन बोर्ड के गठन का भी विरोध किया, इस मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है।

वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पर कुछ साधु संतों ने आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए हैं। बैरागी संप्रदाय के दिगंबर अनी अखाड़ा के बाबा हठयोगी ने अखाड़ा परिषद पर कई आरोप जड़े। उन्होंने अखाड़ा परिषद को फर्जी और माफिया की संस्था कहा और हरिद्वार कुंभ मेले के नाम पर पैसों की बंदरबांट का आरोप लगाया।

हठयोगी ने आरोप लगाया कि परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री जैसे अहम पदों पर दशनामी संन्यासी परंपरा के एक ही संप्रदाय के दो अखाड़ों के महंत काबिज है और इनकी निगाह सिर्फ कुंभ में आने वाले करोड़ों रुपयों पर ही है। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संन्यायी अखाड़ों का ही अध्यक्ष और उसी का महामंत्री रहा हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों महत्त्वपूर्ण पदों पर एक ही संप्रदाय कब्जा करके बैठ गया हो। इसमें दोष उन अन्य संप्रदायों के अखाड़ों का भी है ,जो चुप्पी साधे बैठे हैं। इन संप्रदायों की चुप्पी में भी कुंभ मेले के बजट को लेकर बंदरबाट की बू आ रही है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन प्रयागराज में 1954 के कुंभ मेले में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में अखाड़े के श्री महंत अनंत नारायण पुरी महाराज ने किया था और परिषद का काम कुंभ मेले में साधु संन्यासियों के शाही स्नानों तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए कुंभ मेला प्रशासन का सहयोग करना होता था और कुंभ में शाही स्नान में अखाड़ों के स्नान करने के क्रम भी अखाड़ा परिषद प्राचीन काल से चले आ रही परंपरा के अनुसार तय करती थी। 1954 से पहले कुंभ मेला प्रशासन अखाड़ा और स्थानिक धार्मिक संस्थाओं की प्रबंध समिति बनाकर कुंभ की व्यवस्थाएं करता था। 1945 तक दशनामी संन्यासी परंपरा के सभी सात अखाड़े एक साथ कुंभ में शाही स्नान करते थे। 1954 में अखाड़ा परिषद का गठन होने के बाद कुंभ मेले में शाही स्नान में अखाड़ों का क्रम तय कर दिया गया।

बाद में अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों का एक प्रभावशाली संगठन बन गया और कुंभ मेला प्रशासन और राज्य सरकार अखाड़ा परिषद के प्रभाव में आकर काम करने लगे। विभिन्न कुंभ मेलों में अखाड़े से जुड़े विभिन्न साधुओं में कई बार विवाद भी पैदा हुए। 1998 के कुंभ मेले में दशनामी नागा संन्यासियों के दो अखाड़ों के बीच जमकर विवाद भी हुआ था और शाही स्नान के दौरान हर की पौड़ी पर इन दो अखाड़ों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बाद में कुछ अन्य अखाड़ों के दखलंदाजी के बाद इन तीनों अखाड़ों को फिर से अखाड़ा परिषद में शामिल किया गया। 2010 के हरिद्वार कुंभ के बाद अखाड़ा परिषद फिर दो फाड़ हुई और अखाड़ा परिषद का मामला प्रयागराज के हाईकोर्ट में जा पहुंचा और अखाड़ों के एक गुट के अध्यक्ष महन्त ज्ञानदास बने रहें। उनके महामंत्री महंत हरि गिरि ने उनका साथ छोड़ दिया और महंत ज्ञानदास अलग-थलग पड़ गए और दशनामी संन्यासी परंपरा के श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सचिव महन्त नरेंद्र गिरि अध्यक्ष और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महंत हरि गिरि महामंत्री बनाए गए।

मौजूदा अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के कुंभ और अर्ध कुंभ मेले संपन्न कराएं। मौजूदा अखाड़ा परिषद का कार्यकाल जनवरी 2020 तक था। परंतु कुछ महीने पहले हरिद्वार स्थित श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा राजघाट, कनखल में अखाड़ा परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर महंत नरेंद्र गिरि और महामंत्री पद पर महंत हरि गिरि और उनकी कार्यकारिणी कार्यकाल बढ़ा दिया गया।

उत्तराखंड

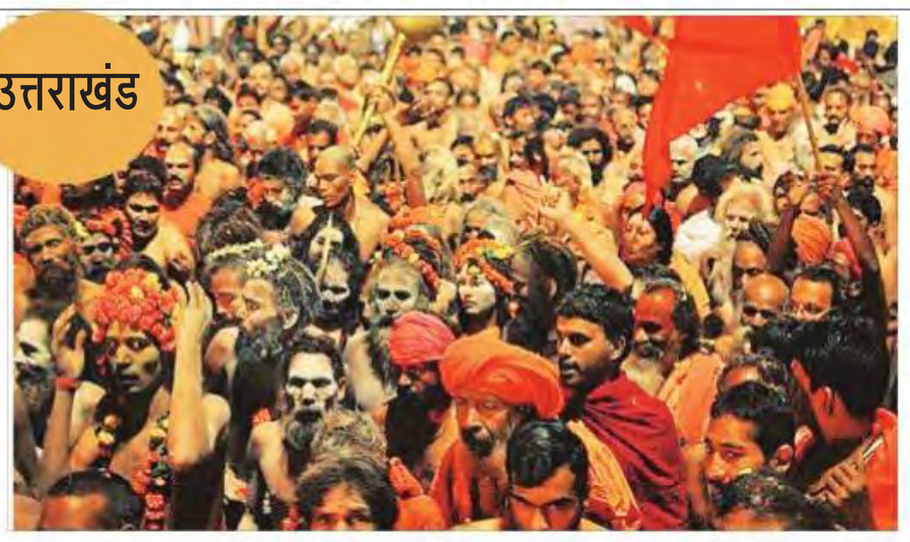

हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां राज्य सरकार जोर-शोर से कर रही है। कुंभ मेले के कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं और पहली बार हरिद्वार मेला अधिकारी और मेला पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियां काफी पहले की जा चुकी हैं। अखाड़ा परिषद के साथ अब तक राज्य सरकार की कई बैठकें मेला की व्यवस्थाओं को लेकर हो चुकी हैं। समय रहते सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। 2021 से पहले साफ-सफाई भी हो जाएगी। उत्तराखंड के चार धाम और कुछ मंदिरों की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए देवस्थानम बोर्ड (श्राइन बोर्ड) का गठन किया गया है, जिससे मंदिरों की व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा और पुरोहितों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

-त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री

मौजूदा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि और महामंत्री महंत हरि गिरि अनुभवी पदाधिकारी हैं और उन्हें तीन-तीन कुंभ मेलों में व्यवस्थाएं कराने का अनुभव है उनके अनुभव का लाभ हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ मेले में भी साधु संतों को उठाना चाहिए और पुणे विश्वास है कि उन्हीं के नेतृत्व में यह कुंभ मेला संपन्न होगा।

- श्री पंच दशनाम अग्नि अखाड़ा के प्रमुख और दक्षिण काली पीठाधीश्वर महंत कैलाशानंद ब्रह्मचारी

अब अखाड़ा परिषद दोबारा अतिरिक्त जमीन की मांग कुंभ के लिए कर रही है जबकि कई अखाड़ों ने अपनी छावनियों की जमीनों पर फ्लैट बनाकर किराए पर चढ़ा दिए गए हैं। बैरागी कैंप की एक इंच भूमि भी दशनामी अखाड़ा को नहीं लेने दी जाएगी और बैरागी कैंप में जो कब्जे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए दबाव डाला जाएगा।

-बैरागी संप्रदाय के महंत बाबा हठयोगी

1954 से पहले कुंभ के कार्यों को कुंभ मेला प्रशासन और स्थानीय स्तर पर बनाई गई साधु संन्यासियों की एक समिति अंजाम देती थी। अखाड़ा परिषद का गठन 1954 में हुआ, इसके बाद अखाड़ों का कुंभ मेला प्रशासन पर दखल बढ़ा। अखाड़ा परिषद के कुछ पदाधिकारी कुंभ मेले में अधिक जमीन की मांग कर रहे हैं, जो गलत है। दरअसल कुंभ मेला चंद संतों का नहीं बल्कि समूचे सनातनी हिंदू समाज का है। उसी के हिसाब से प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर नहीं।

-भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज

फास्ट फूड : वसा और नमक मानक से ज्यादा

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली।

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की ओर से जारी अध्ययन में पता चलता है कि जंक फूड सेहत के लिए बहुत घातक है। तमाम बढ़ रही गैर संक्रामक बीमारियों के पीछे यही है। 33 बड़े ब्रांड पर किया गया यह अध्ययन बताता है कि किस तरह से हम जाने अनजाने रोज ही तय मात्रा से अधिक नमक वसा व कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर रहे हैं। नियामक की कमी व निगरानी के अभाव में हालात खतरनाक बन चुके हैं। भारतीय नियामक लागू तक नहीं किए गए हैं जिससे 33 में से कोई भी ब्रांड खरा नहीं पाया गया। मसलन एक छोटे से नमकीन के पैकेट में ही हमें एक बार में पूरे दिन के वसा व नमक की जरूरत का बड़ा हिस्सा एक बार में परोस दिया जाता है। एक दो को छोड़ कर सभी में सभी ट्रांस फैट बहुत अधिक है।

क्या कहता है तय मानक

एक सामान्य व्यक्ति के शरीर को रोज औसतन 2000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। जिसमें पांच ग्राम नमक, 60ग्राम फैट व 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट व 2.2 ग्राम ट्रांस फैट ही ले सकता है। जिसे आरडीए भी कहते हैं। जो कि कोई व्यक्ति तीन बार के भोजन व दो बार के नाश्ते को मिला कर ही ले सकता है। यानी एक बार के भोजन में आरडीए का 25 फीसद व नाश्ते में 10 फीसद ही ले सकता है। यह विश्व स्वाथ्य संगठन की ओर से निर्धारित है।

जबकि जंक फूड का आलम तो यह है कि एक छोटा सा क्लासिक नट क्रेटर का पैकेट जो एक व्यक्ति एक बार में आराम से अकेले ही खा जाता है उसमें व्यक्ति को 100 ग्राम के पैकेट से 44.79 ग्राम वसा दिल्ली 15.68 ग्राम नमक मिल जाता है। जो कि नाश्ते से मिलने वाले नमक का दो गुना होता है। सभी नमकीन में जरूरत से अधिक नमक पाया गया।

दिल्ली

क्या है वजह

नमक,वसा और शर्करा सहित अन्य तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों का पालन स्वाद पर भारी पड़ता है,इसलिए कंपनियां स्वाद के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार संभवतःदुनिया की इन नामी कंपनियों के दबाव में है और कानून बनाकर एफएसएसएआई के मानकों का पालन करने से बच रही है। जबकि नमक,शर्करा और वसा सहित अन्य तत्वों की तय मात्रा व इस्तेमाल की मात्रा साफ तौर से इन उत्पादों के पैकेट पर छापने की जरुरत है। इसके लिए कानून बना कर लागू करने की जरूरत है।

नूडल्स : एक पैकेट में एक बार में पूरे दिन के नमक की जरूरत का 50 फीसद खत्म हो जाता है। यानी इसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक है।

चिप्स : चिप्स के लगभग सभी तरक के ब्रांड में नमक वसा की मात्रा तय मात्रा का सर्वाधिक हिस्सा पूरा कर देती है। इसी तरह मल्टी ग्रेन चिप्स के 30 ग्राम के पैकेट में एक ग्राम नमक होता है।

पैकेट सूप : आरडीए का 28 फीसद से अधिक नमक पाया गया है।

नमकीन : नट नमकीन में आरडीए का 35 फीसद नमक एक बार में पूरा कर देता है। 26 फीसद वसा पाया जाता है।

बर्गर : सभी बर्गर में नमक व वसा की मात्रा अधिक पाई गई।

एक क्लासिक चिकन जिंजर चीज बर्गर में नमक कुल जरूरत का 62 फीसद व वसा 82 से अधिक पाया गया। और अगर आपने कांबो पैक ले लिया यानी बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राई भी तो आपने 83 फीसद नकम व 120 फीसद वसा लेलिया। बर्गर में आरडीए का 70 फीसद नमक व 60 फीसद वसा ले लिया। चिकन विकल्प में 70 फीसद नमक व 46 फीसद वसा पाया गया।

पिज्जा : शाकाहारी रेग्यूलर साइज पिज्जा में आरडीए का 99.9 फीसद नमक व मासाहारी सुप्रीम साइज पिज्जा में 104 फीसद नमक रहा। इन दोनों में वसा आरडीए का क्रमशः 70 फीसद व 50 फीसद रहा।

सैंडविच : एक चिकन सीक कबाब में इसमें 105 फीसद नमक व 65 फीसद वसा व पनीर टिक्का में 70 फीसद नमक व 80 फीसद वसा पाया गया।

इन भोजन में पोषण की मात्रा का हाल

कोड रेड नाम से आई रिपोर्ट में पाया गया कि जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने जो नियामक इस साल जारी उसका भी पालन नही किया जा रहा। पोषक तत्वो का उल्लेख नहीं होता। प्राधिकरण ने तय किया था किया था 100 ग्राम के नाश्ते के पैकेट में सोडियम की मात्रा .25 ग्राम सोडियम ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पैकेट पर लाल निशान लगा होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर दोनों नहीं है।

क्या कहते है विशेषज्ञ

सुनीता नारायण ने बताया कि भारतीय बाजार में उपलब्ध अधिकतर पैकेट बंद खाना और फास्ट फूड में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मानकों से बहुत ज्यादा है। एफएसएसएआई ने फास्ट फूड कंपनियों को इन उत्पादों में इस्तेमाल किए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा पैकेट पर दर्शाने के लिए इस साल जुलाई में दिशानिर्देश तैयार किए थे,लेकिन सरकार ने इन्हें अब तक अधिसूचित कर लागू नहीं किया है। इतना ही नहीं सरकार ने 2013 दिशानिर्देश बनाने के लिए एफएसएसएआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। छह साल में तीन समितियां गठित हो चुकी हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कानूनी पहल नहीं हुई। सीएसई की महानिदेशक नारायण ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जनस्वास्थ्य पर कंपनियों का हित भारी नहीं पड़े। इसके लिए रेस्टोरेंट व पैक फूड के उत्पादों में नमक,शर्करा और वसा का निर्धारित मात्रा से अधिक इस्तेमाल होने पर तंबाकू उत्पादों की तरह चेतावनी (रेड वार्निंग) पैकेट पर दर्ज करने को अनिवार्य बनाया जाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जंक फूड में न्यूट्रिशन की मात्रा न के बराबर होती है, इसलिए ये जंक फूड कहे जाते हैं।

चीली में फास्ट फूड पर रेड मार्क हुआ है जिससे लोग समझने लगे है कि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसका लोगों पर असर पड़ा है।

कन्याश्री योजना बच्चियों के लिए है वरदान

शंकर जालान
कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में महत्त्वाकांक्षी कन्याश्री योजना, कहने को तो एक योजना है लेकिन इसमें कई तरह से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। मसलन कोख में कन्या भ्रूण हत्या में कमी, बाल तस्करी दर में गिरावट और स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या में खासा इजाफा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कन्याश्री योजना की लोकप्रियता का डंका विदेश तक बजा और 2017 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सूबे की बालाओं के लिए कन्याश्री योजना वरदान साबित हो रही है।

बंगाल

एक निगाह, योजना पर
बजट राशि : 7,588.90 करोड़
बांटी गई राशि : 7,237.28 करोड़

राज्य के महिला व बाल विकास विभाग के मुताबिक 2013 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और 2017 तक इस मद में 7,588.90 करोड़ रुपए आबंटित किए गए और 7,237.28 करोड़ खर्च कर दिए गए। संबंधित विभाग की मंत्री शशि पांजा ने बताया कि कन्याश्री परियोजना के लिए अब तक 57 लाख से ज्यादा को नामांकित किया गया और इनमें से 56 लाख से ज्यादा को इस परियोजना का लाभ सीधे-सीधे मिलने लगा।

महिला व बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर चौबीस परगना में कन्याश्री में सबसे अधिक नामांकन 5,49,415 हुए।

वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण चौबीस परगना जिला रहा, जहां से कुल 5,28,156 लड़कियों को नामांकित किया गया है। तीसरे व चौथे स्थान पर क्रमशः मुर्शिदाबाद और कोलकाता रहा। मुर्शिदाबाद में 5,26,482 और कोलकाता में 1,46,592 लड़कियों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं।

मालूम हो कि 2013 में शुरू हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस महत्त्वाकांक्षी सशर्त नकद हस्तांतरण परियोजना का मकसद राज्य में बेटियों की स्थिति में सुधार व सभी किशोरियों की स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही बाल विवाह जैसी विकट समस्या की रोकथाम को अग्रसर होना है। उक्त परियोजना के तहत लड़कियों को वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में एक हजार रुपए के साथ ही एकमुश्त 25 हजार रुपए अनुदान के तौर पर मुहैया कराए जाते हैं। वार्षिक छात्रवृत्ति 13 से 18 वर्ष की अविवाहित लड़कियों के लिए है, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित या समकक्ष ओपन स्कूल या समकक्ष व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आठवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान प्रदान की जाती है। हालांकि, एकमुश्त अनुदान उन लड़कियों के लिए है, जो आवेदन के समय 18 वर्ष की गई हों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित या ओपन स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण या फिर खेल गतिविधि में सक्रिय हों।

इसके तहत विश्वविद्यालय की कला की छात्राओं को दो हजार और विज्ञान की छात्राओं को ढाई हजार रुपए की छात्रवृत्ति जा रही है। विशेषज्ञों की मानें तो कन्याश्री परियोजना के कारण ही प्रदेश में बाल तस्करी की घटनाओं में गिरावट आई है। जल्द ही प्रदेश के हर जिले में कन्याश्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

नियमित सरकारी भर्तियां नहीं होने से युवा परेशान

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान में पांच साल में नियमित सरकारी नौकरियों की भर्तियां नहीं होने से शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ जमा हो गई है। सरकार में अब सरकारी भर्तियां निकल रही है तो उसमें अब हर पद के लिए बेरोजगारों के बीच कड़ा मुकाबला हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई नौकरियों में तो एक पद के लिए एक हजार दावेदार हो गए है। प्रदेश में कुछ सालों से भर्तियां कई कारणों से अटकी रही है। प्रदेश में अब 10 हजार पुलिस कांस्टेबल और इतने ही पटवारी के पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं की विशेष नजर रहती है और लाखों की संख्या में बेरोजगार इसमें आवेदन करते हैं।

राजस्थान

राज्य में सरकार की लापरवाही के कारण सरकारी विभागों, निगम, बोर्ड और अन्य स्वायत्त संस्थानों में किसी तरह की भर्तियां नहीं होने से युवाओं में गहरी नाराजगी का माहौल है। मौजूदा सरकार ने तो अपने वादे के मुताबिक अब बेरोजगारों को भत्ता देने का भी फैसला किया है। इसके लिए रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारों के पंजीयन में बेतहाशा बढ़ोतरी भी हो रही है। दूसरी तरफ सरकार की भर्ती परीक्षाएं भी मजाक बन कर रह गई है। प्रदेश में कुछ सालों में हुई परीक्षाओं में जब नकल के बड़े मामले पकड़ में आने लगे तो उन्हें बीच में ही निरस्त कर दिया गया। प्रदेश में अब होने वाली पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की भर्ती में करीब एक साल का समय लगेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ विभाग में पद खाली है। सरकार ने शिक्षकों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए अब गंभीरता दिखाई है। शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्स की भर्ती प्रक्रिया बड़ी मुश्किल से अब शुरू की गई है। चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्टों के 1736 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फार्मासिस्टों के इन पदों के लिए करीब 50 हजार से ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। इसमें भी चिकित्सा विभाग में संविदा पर काम कर रहे फार्मासिस्ट ही अपनी नियमित नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे है।

राजस्थान में छह साल के आंकड़ों पर निगाह डालने पर पता चलता है कि अहम सरकारी भर्तियों के लिए दो लाख 15 हजार पदों के लिए एक करोड़ 20 हजार से ज्यादा आवेदन आए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एक पद के लिए 350 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होता है। इसी तरह से सबसे कड़ा मुकाबला प्रदेश में सन 2016 में पुलिस सब इंस्पेक्टर के तीन सौ पदों के लिए हुआ था। इसमें हर एक पद के लिए एक हजार आवेदक थे। सबसे बुरी हालत तो शिक्षक बनने वालों की है। प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बीएड डिग्री वाले नौजवान है। इनमें से ज्यादातर एक के बाद एक कई तरह की परीक्षाएं देकर शिक्षक बनने की कतार में लगे हुए है। भर्तियां नियमित तौर पर कराने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कई बार आंदोलन कर चुका है।

प्रदेश में बेरोजगारों की लंबी कतार है। इसके मुकाबले भर्तियों की संख्या नगण्य है। सरकार जो भर्तियां निकालती है वो पूरी हो ही नहीं पाती है। ज्यादातर भर्तियां अदालतों में अटकी रहती हैं। सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया अपनाती तो प्रदेश में ऐसे हालात नहीं होते। लगातार भर्तियां नहीं होने से ही अब प्रतिस्पर्धा का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।

-उपेन यादव, संघ के प्रदेश अध्यक्ष

नियमित भर्तियां नहीं होने से कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। सेवारत कर्मचारी तो नियमित रिटायर हो रहे है पर नए लोग नहीं आने से परेशानी होती है। भर्तियां नहीं होने से ही बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से ये बड़ी लापरवाही है। सरकार ने इस बार बजट में भर्तियों की कई घोषणाएं की है जिसे पूरा करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार नियमित भर्तियां निकालती तो आज जैसे हालात नहीं होते।

-रामकिशोर वर्मा, राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के महासचिव

विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 17 दिसंबर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को देहरादून में विधानसभा अध्यक्षों और विधान परिषद सभापतियों के दो दिवसीय 79वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश के 26 राज्यों के विधानमंडलों के अध्यक्ष और सभापति भाग लेंगे और अनुभव साझा करेंगे। यह जानकारी उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और इस सम्मेलन के मेजबान प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों को दी।

उन्होंने बताया कि लोकसभा के महासचिव और विधानसभाओं के सचिवों की मंगलवार को विशेष बैठक हुई। इसमें बुधवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन के बारे में गहन विचार-विमर्श हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 'संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका' और 'शून्यकाल सहित सभा के अन्य साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण' विषयों पर चर्चा की जाएगी। दो दिनों तक चलने वाली परिचर्चाओं के दौरान पीठासीन अधिकारी कार्यसूची में 'संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका' पर चर्चा करेंगे।

बंगाल में प्रदर्शन जारी गुवाहाटी में कर्फ्यू हटा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में मंगलवार को पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल की पटरियां जाम कर दीं। हालात सामान्य होने पर पड़ोसी राज्य असम के गुवाहाटी में लगा कर्फ्यू मंगलवार को हटा लिया गया। गुवाहाटी में उड़ान परिचालन और रेलवे सेवाएं बहाल कर दी गईं। दूसरी ओर, गुवाहाटी में आल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) द्वारा आयोजित 'जन सत्याग्रह' जुलूस में लोगों ने हिस्सा लिया और गिरफ्तारी दी। असम में ब्रॉडबैंड सेवाएं मंगलवार को बहाल हो गईं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट बंद है जिससे मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

गुवाहाटी में शहर में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं। बस, कार और दोपहिया वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कानून व व्यवस्था की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा सोमवार को बुलाई गई एक बैठक में गुवाहाटी से कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया। बयान के अनुसार, 'गुवाहाटी में कल (मंगलवार को) सुबह छह बजे से पूरी तरह कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया है।' बयान में हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे से भी उड़ानें निर्धारित समय सारिणी से आ-जा रही हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के प्रवक्ता सुभानन चंदा ने कहा, 'कुछ इंटरसिटी सेवाओं समेत ग्यारह ट्रेन सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गईं, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था में क्रमिक सुधार आया है।' अन्य ट्रेनों की सेवाएं भी धीरे धीरे बहाल की जा रही हैं। चंदा ने कहा, 'बहाल ट्रेनों में मानस राइनो पैसेंजर सेवा शामिल है, जो बोंगाईगांव जिले के न्यू बोंगाईगांव को गुवाहाटी से जोड़ती हैं। इन ट्रेनों के बहाल होने से खासकर कार्यालय जाने वालों को फायदा होगा।'

हालांकि, पूर्वोत्तर से कोलकाता की सभी ट्रेनें पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की मद्देनजर रद्द रहीं। असम में दोनों हवाई अड्डों पर उड़ान परिचालन सामान्य रहा। बस कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान रद्द कर दी गई। बंगाल में अभी तक करीब 354 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा और उत्तर और दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं।

नागरिकता कानून मुसलिम विरोधी नहीं : राजनाथ

न्यूयॉर्क, 17 दिसंबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां भारतीय समुदाय को आश्वासन दिया कि संशोधित नागरिकता कानून मुसलिम विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमारी संस्कृति हमें नफरत करना नहीं सिखाती।' नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक यहां आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्यों, जिन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, को यहां अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

वाशिंगटन में 18 दिसंबर 2019 को अमेरिका-भारत टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए सोमवार को अमेरिका पहुंचे सिंह ने एशिया सोसायटी नामक शिक्षण संस्थान में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान यहां भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए कई फैसले गिनाए जिनमें अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक कानून तथा पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद पर भारत की ओर से की गई कार्रवाई शामिल हैं। सिंह ने कहा, 'नागरिकता (संशोधन) विधेयक, जो अब कानून बन गया है, मुसलिम विरोधी नहीं है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक यातनाओं की वजह से यहां आने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध तथा जैन समुदायों को नागरिकता देने के उद्देश्य से विधेयक लाया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीएए में मुसलिमों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये तीनों देश 'धर्म आधारित' तथा 'इस्लामिक' देश हैं और किसी इस्लामिक देश में कम से कम इस्लाम धर्म का पालन करने वालों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता।

'उतरते समय आगे का पहिया खुला नहीं था, विमान को उतरने से रोका गया'

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

गोवा हवाई अड्डे पर मंगलवार सुबह को एक बड़ा हादसा टल गया जब एक चौकस रनवे नियंत्रक ने उतर रहे स्पाइस जेट के एक विमान को उसका आगे का पहिया (नोज लैंडिंग गीयर) खुला न देखकर उसे उतरने से रोक दिया। नौसेना के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

नौसेना के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'भारतीय वायुसेना की चौकस विमान यातायात सेवा ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। रनवे नियंत्रक प्रमुख एयरमैन (एअर हैंडलर) रमेश टिग्गा को उतरने जा रहे स्पाइसजेट फ्लाइट एसजी 3568 का अगला पहिया बंद नजर आया। प्रवक्ता ने बताया कि टिग्गा ने तुरंत विमान यातायात नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी और वहां तैनात ड्यूटी एअर ट्रैफिक नियंत्रक लेफ्टिनेंट कॉमोडोर हरमीत कौर ने स्पाइसजेट विमान को लैंडिंग रोक देने को कहा। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, 'विमान आपात व सुरक्षा सेवाओं की सहायता से आठ बजकर पांच मिनट पर सुरक्षित ढंग से हवाई अड्डे पर उतरा।

राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता

पेज 1 का बाकी

एक ज्ञापन सौंपा और नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार देते हुए उनसे यह मांग की कि वह सरकार को इस कानून को वापस लेने की सलाह दें। विपक्षी नेताओं ने इस कानून की मुखालफत करने वाले जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर की गई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने की मांग भी राष्ट्रपति के समक्ष रखी।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि पूर्वोत्तर में जो हालात हैं वह अब पूरे देश में फैल रहे हैं। यह विरोध अब दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय तक भी आ गया है। यह काफी गंभीर हालात हैं। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर पुलिस इस हालात से निपटने में विफल रही है।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले विपक्षी नेताओं में शामिल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह कानून सिर्फ गरीबों को प्रभावित करेगा। दूसरी ओर माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि राष्ट्रपति हमारे संविधान के संरक्षक हैं। इसलिए अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमनें राष्ट्रपति से कहा कि हमने यह आशंका पहले व्यक्त की थी कि यह कानून बनने से देश में हालात बिगड़ सकते हैं।

इस मौके पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। हमनें सबकी तरफ से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया। इसमें लिखा है कि सरकार इस विधेयक को लेकर काफी जल्दी में थी। सरकार को उनके सलाहकार ने मना भी किया था कि वह इस कानून को पास न कराएं। राजनीतिक पार्टियों ने भी उन्हें आगाह किया था। लेकिन देश के लोगों की भावनाओं की परवाह किए बगैर केवल अपने संख्या बल पर इस कानून को बनाया गया।

'हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता'

पेज 1 का बाकी

की अध्यक्षता में समिति गठित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह की समितियां संबंधित हाई कोर्ट द्वारा गठित की जा सकती हैं। शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को राहत और जांच समितियों के गठन के लिए संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया, जहां हिंसा की घटनाएं हुई हैं।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं के हरेक आरोप का केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने खंडन किया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की चिंता दो बातों को लेकर मुख्य रूप से है। पहला तो अंधाधुंध तरीके से छात्रों की गिरफ्तारी और घायल छात्रों का ठीक से इलाज नहीं होना।

पीठ ने कहा कि महान्यायवादी के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिर्फ दो छात्रों को ही अस्पताल में दाखिल किया गया है और उनका विश्वविद्यालय के अस्पताल में इलाज चल रहा है। महान्यायवादी का कहना है कि वे पुलिस कार्रवाई में जख्मी नहीं हुए हैं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं का दावा है। पीठ ने आरोप-प्रत्यारोपों का उल्लेख करते हुए कहा- इस विवाद के स्वरूप और घटनाओं के संबंध में हरेक राज्य में तथ्यों के निष्कर्ष तक पहुंचने हेतु सामग्री एकत्र करने के लिए हरेक राज्य में एक-एक समिति गठित करना उचित होगा और हम इसलिए याचिकाकर्ताओं को उन उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश देना उचित समझते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं।

पीठ ने कहा- हम आश्वस्त हैं कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, यदि आवश्यक हुआ, केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों का पक्ष सुनने के बाद शीर्ष अदालत या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की समिति गठित करते समय जांच के लिए कहेंगे। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाई कोर्ट गिरफ्तारी या मेडिकल उपचार को लेकर कोई तथ्य संज्ञान में लाया जाता है तो इसकी पुष्टि के बाद उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा यह गंभीर मुद्दा उठाए जाने के तथ्य का भी संज्ञान लिया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करते समय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अनदेखी की गई है। पीठ ने महान्यायवादी द्वारा इस तथ्य से इनकार किए जाने के कथन को भी रिकार्ड पर लिया।

महान्यायवादी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अभी तक किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे भविष्य के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते। तेलंगाना मुठभेड़ मामले में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की तरह ही समिति नियुक्त करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा- इन दोनों घटनाओं के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की फौज से पीठ ने कहा कि इसलिए आपका यह अनुरोध अस्वीकार किया जाता है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा-आपके पास हमें निहत्था करने का रास्ता है। जयसिंह ने कहा- हम सभी न्यायाधीशों का पूर्व न्यायाधीशों और पीठासीन न्यायाधीशों के साथ ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक समान सम्मान करते हैं। लेकिन यदि तथ्यों का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो हमें अधिक भरोसा होगा।

पीठ ने इस मामले में याचिकाओं में समाचार पत्रों की खबरों पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम समाचार पत्र पढ़ेंगे। हम अपने न्यायिक निर्णय पर पहुंचने के लिए समाचार पत्रों को आधार नहीं बनाएंगे। बहस के दौरान जब याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने ऊंची आवाज में बहस करना शुरू किया तो पीठ ने इस पर नाराजगी जताई और कहा- हम अदालत में जोर-जोर से बोलना पसंद नहीं करेंगे। यह चीखने चिल्लाने वाला मैच नहीं है।

समुद्री लुटेरों ने गिनी की खाड़ी में 20 भारतीयों को अगवा किया

पेज 1 का बाकी

और चालक दल का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय ने ड्यूक मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से बताया कि सोमवार तड़के जहाज से संपर्क टूट गया। हम जहाज और चालक दल का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर ने जानकारी दी कि 16 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार सुबह 7-8 बजे के बीच समुद्री लुटेरों का हमला हुआ था। इससे पहले नाइजीरिया के समुद्र तटीय इलाके के पास से दो दिसंबर को स्थानीय समयानुसार शाम 7:20 बजे हांगकांग का झंडा लगा एक मालवाही जहाज अगवा कर लिया गया था, जिस पर एक तुर्की और 18 भारतीय सवार थे।

बाद में जहाज को नाइजीरियाई नौसेना ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन अगवा व्यक्तियों का अब तक पता नहीं चल सका है। इस कांड के बारे में भी विदेश मंत्रालय ने प्रयास जारी कर रखा है। इसके बाद पांच दिसंबर को एक फ्रांसीसी कंपनी का तेल टैंकर नाइजीरियाई इलाके से ही अगवा कर लिया गया। उस जहाज पर भी 19 चालक दल के सदस्य थे, लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं था।

आउटगोइंग कॉल पर शुल्क एक साल के लिए बढ़ाया

पेज 1 का बाकी

अब वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट का शुल्क एक जनवरी, 2021 से खत्म होगा। नियामक की ओर से 18 सितंबर 2019 को इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क की समीक्षा के लिए परामर्श पत्र जारी किया गया था।

इस पर सभी हितधारकों से 18 अगस्त 2019 तक उनकी लिखित टिप्पणियां मांगी गई थीं। इतना ही नहीं एक नवंबर 2019 तक जवाबी टिप्पणियां भी ट्राई ने मांगी थीं। इसके बाद इन सभी टिप्पणियों और जवाबी टिप्पणियों को 15 ट्राई की वेबसाइट पर रखा गया और 15 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में सभी हितधारकों के साथ आयोजित हुए खुले सत्र में इन पर चर्चा की गई।

खुले सत्र में सभी हितधारकों से मिली टिप्पणियों के विश्लेषण के बाद नियामक ने तय किया कि किसी ऑपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर छह पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ाया जाए।

मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा

पेज 1 का बाकी

नहीं हो सकता है।' गफूर ने उम्मीद जताई कि इस मामले में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र के मुताबिक न्याय किया जाएगा।

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सैन्य प्रमुख को देशद्रोही करार देकर मौत की सजा सुनाई गई है। देशद्रोह के मामले में उन्हें दोषी ठहराना उस देश के लिए महत्त्वपूर्ण क्षण है जहां स्वतंत्र इतिहास में अधिकतर समय तक शक्तिशाली सेना काबिज रही है।

मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 1999 में रक्तहीन तख्ता पलट में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। वे 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे। अदालत के दो न्यायाधीशों ने मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य न्यायाधीश की राय अलग थी। इसके ब्योरे अगले 48 घंटों में सुनाए जाएंगे। फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत ने अभियोजकों की एक याचिका खारिज कर दी जिसमें फैसले को टालने की मांग की गई थी।

इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुशर्रफ को दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।अपने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर उन्होंने देशद्रोह के मामले को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा, 'मैंने दस वर्षों तक अपने देश की सेवा की है। मैं अपने देश के लिए लड़ा। यह (देशद्रोह) मामला है जिसमें मेरी बात नहीं सुनी गई और मुझे प्रताड़ित किया गया।' खबरों में बताया गया है कि उनकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय में फैसले को चुनौती देगी।

सेना ने तीन घुसपैठिए और दो पाकिस्तानी कमांडो किए ढेर

पेज 1 का बाकी

की गई। सैन्य प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक, पाकिस्तानी चौकियों की ओर से सोमवार को पूरी रात सीमा पर गोलाबारी की गई। जम्मू व कश्मीर के जिला राजौरी के केरी सेक्टर स्थित सुंदरबनी और नौशेरा में पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार और स्वचालित राइफलों से गोलाबारी की, जो मंगलवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के सीमा कार्रवाई टीम (बैट) और विशेष सुरक्षा दस्ते (एसएसजी) के कई कमांडो और आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से आने वाले पांच घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया। इनमें एसएसजी के दो कमांडो थे। पाकिस्तान के चार अन्य कमांडो घायल हुए हैं।

सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागे गए। साथ ही, मोर्टार और तोपखाने से भी गोलाबारी की गई। देर रात तक दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी होती रही। इस दुस्साहस के बाद पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के दिगवार सेक्टर में भी भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद यहां सीमा पर भारी हलचल भी रही।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, सुंदरबनी सेक्टर के अंतर्गत केरी बट्टल इलाके में ललयाली चौकी पर पाकिस्तानी सेना के बैट दस्ते ने हमला किया।

फिर पाकिस्तानी कमांडो ललियाली चौकी की तरफ बढ़े, वहां मौजूद जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ करने वाले कमांडो और आतंकियों में से पांच को मार गिराया। इस कार्रवाई के बाद बाकी बचे घुसपैठिए वापस भाग गए।

सीलमपुर में हिंसा, आगजनी

पेज 1 का बाकी

संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि सीलमपुर में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोल छोड़े गए। गोली नहीं चलाई गई। स्थिति अब नियंत्रण में है। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस चौकियों पर आगजनी की। इस घटना में सात स्थानीय लोग और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान दो सार्वजनिक परिवहन बसें, एक रैपिड एक्शन फोर्स की बस और कुछ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रदर्शनकारियों ने यातायात पुलिसकर्मियों की दो मोटरसाइकिलों में भी आग लगी दी।

कुमार के मुताबिक दो पुलिस चौकियों को भी आग लगाकर नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शन के कारण आसपास के कई मेट्रो स्टेशनों का गेट भी एहतियातन बंद कर दिया गया था, जो देर रात खोल दिया गया। दंगा फैलाने, सरकारी सेवकों को काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसाने पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

मंगलवार को कुछ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के एलान पर जाफराबाद में दोपहर दो बजे लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन बाद में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिससे हिंसा शुरू हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पहले लाठी भांजी और फिर आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए।

इस दौरान, प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की दो क्लस्टर बसों और एक रेपिड बस में आग लगा दी। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में शाहदरा के जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा के सिर में पत्थर लग गया। मेट्रो प्रबंधन ने वेलकम, जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, सीलमपुर, गोकुलपुरी, जौहरी विहार और शिव विहार के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए। जाफराबाद में स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। पुलिस ने कुछ ड्रोन इलाके में उड़ाए जिससे उपद्रवियों पर निगरानी रख सके।

उधर, शाम में पुरानी दिल्ली के दरियागंज से कुछ प्रदर्शनकारी मार्च की शक्ल में आइटीओ पहुंचने की कोशिश में थे लेकिन पुलिस ने मार्च को दिल्ली गेट पर ही रोक दिया। संभावित अशांति को देखते हुए पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी।

नागरिकता कानून में कुछ भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं : शाह

पेज 1 का बाकी

कार्यक्रमों में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।

शाह ने कहा, 'कुछ भी हो मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे सम्मान के साथ भारतीय नागरिक बनकर जिएं।' गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 के कारण कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा और यह कानून तीनों पड़ोसी देशों में अत्याचार का शिकार बने अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने कानून का विरोध करने वाले छात्रों से कहा कि इसे ठीक से पढ़ें और इसके अर्थ को समझें। उन्होंने कहा, 'मैं अपने मुसलिम भाइयों-बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग भारत में रह रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिकता खोने नहीं जा रहा है। कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कानून वेबसाइट पर है। इसे पढ़िए। किसी से भी अन्याय नहीं किया जाएगा।'

कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक माना जाएगा। शाह ने कहा कि कानून का एकमात्र उद्देश्य उन लोगों को नागरिकता देना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार का सामना कर रहे हैं। अमित शाह ने पूछा, 'हिंदू, सिख व अन्य भारत नहीं आएंगे तो ये लोग कहां जाएंगे।' गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौते के मुताबिक इन लोगों को पाकिस्तान में संरक्षण दिया जाना था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे।

मद्रास विश्वविद्यालय में घुसी पुलिस, छात्रों का प्रदर्शन जारी

चेन्नई, 17 दिसंबर (भाषा)।

नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग ने मंगलवार को दूसरे दिन भी यहां स्थित मरीना परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जबकि इस बीच पुलिस परिसर में प्रवेश कर गई। मरीना समुद्र तट के ठीक सामने स्थित विशाल परिसर में प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे, जिन्होंने नागरिकता अधिनियम में संशोधन को वापस लेने की मांग की और इसके खिलाफ नारे लगाए। पुलिसकर्मी, इस बीच, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश कर गए।

शहरी नक्सली भड़का रहे हैं युवाओं को

पेज 1 का बाकी

कि वह लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बातचीत के लिए मुद्दों को उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि 'शहरी नक्सली' लोग देश में समस्या पैदा करने के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा, 'कांग्रेस नागरिकता कानून पर झूठ बोल रही है, मुसलमानों के बीच डर का माहौल बना रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि देश का कोई भी नागरिक इस कानून से प्रभावित नहीं होगा।' प्रधानमंत्री ने झारखंड की रैली में कहा, 'मैं कांग्रेस, उसके मित्रों को यह सार्वजनिक ऐलान करने की चुनौती देता हूं कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं।'

उन्होंने कहा, 'मैं जानना चाहता हूं कि नया नागरिकता कानून मुसलमानों या किसी भारतीय नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण कैसे करता है।' मोदी ने कहा कि हमने जो कानून बनाया है, वह धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़कर आने वाले लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए है जिनकी हालत दयनीय है और जो वापस नहीं जा सकते।

उन्होंने चुनावी रैली में कहा कि झारखंड की जनता ने विधानसभा चुनावों के चार चरणों में निडर होकर मतदान किया। उन्होंने जनता से भाजपा के लिए मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि जब कमल खिलता है तो आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं को फायदा होता है। मोदी ने जनसभा में कहा, 'भाजपा पर आपके आशीर्वाद से कांग्रेस, झामुमो, राजद और वाम दलों की रातों की नींद उड़ी हुई है। वे सच को पचा नहीं पा रहे हैं।

ठंड से ठिठुरे दिल्लीवासी

पेज 1 का बाकी

का सितम जारी है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सोमवार की रात माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, रात को भीलवाड़ा में यह 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर व जयपुर में रात का न्यूनतम तापमान क्रमशः पांच और 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सर्दी का जोर अभी बने रहने का अनुमान है।

उधर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद पारा गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहीं जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को भूस्खलन की कई घटनाओं के बाद यातायात प्रभावित है। दोनों ही क्षेत्रों में पहाड़ों से बर्फीली हवाएं चल रही हैं लेकिन सुबह सूरज निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सालाना अमरनाथ यात्रा में आधार शिविर के रूप में इस्तेमाल होने वाले दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 12.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा।

बांग्लादेश ने नदी प्रबंधन पर बैठक स्थगित करने को कहा

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश ने नदी प्रबंधन पर इस सप्ताह भारत के साथ होने वाली दो बैठकों को स्थगित किए जाने को कहा है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि ये बैठकें गुरुवार और शुक्रवार को होनी थीं। उन्होंने बताया कि एक संयुक्त समिति की बैठक है और दूसरी तकनीकी स्तर की बैठक है।

www.readwhere.com

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल मुंबई – 400013, CIN No.U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित नियम 8(1) परिशिष्ट IV के अनुसार]

ऋण खाता सं. 9516254

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार के रूप में श्री दत्तात्रेय शिरके तथा सहकर्जदार के रूप में श्री सन्तोष कुमार सिंह से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 31,48,315/– (रुपये इकतीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) तथा ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 22 जनवरी, 2002 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोर्ट रिसीवर ने श्री सुनील कुमार, जिलाधीश गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुसार कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित धारा 14 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 16 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है और इसे 16.12.2019 को अधिकृत प्राधिकारी के सुपुर्द कर दिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन रु. 31,48,315/– (रुपये इकतीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) तथा 22 जनवरी, 2018 से उस पर ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्रुप हाउसिंग प्लॉट सं. 20, रेजिडेंशियल कॉलोनी, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) पर निर्मित ''रतन ज्योति'' में संलग्न मानचित्र के अनुसार निर्मित सुपर एरिया 856 वर्ग फीट अर्थात 79.52 वर्ग मीटर के आवासीय फ्लैट सं. 607, 6ठी मंजिल पर (छत के अधिकार बिना) सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग जिसकी सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : कॉरिडोर/स्टेयरकेस, दक्षिण : कॉरिडोर/फ्लैट सं. 610, पूर्व : खुला फ्लैट सं. 606, पश्चिम : फ्लैट सं. 608

तिथि : 16.12.2019 — **ह./– अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : गाजियाबाद — **कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में तथा अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे वर्णित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ मिलाकर ''दायित्वधारी'')/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) को पहले ही कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध माँग सूचना/ओं में उल्लिखित नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा भेजी गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) द्वारा यदि वे चाहें तो सामान्य कार्यालयी घण्टों के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) को सम्बद्ध सूचना(ओं) की तिथि के 60 दिनों के भीतर उनके सम्बद्ध नामों के सम्मुख लिखित राशियों एवं नीचे कॉलम डी में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से भावी ब्याज का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा क्रियान्वित ऋण अनुबन्ध एवं अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों के साथ पठित भुतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक टीसीएचएफएल को भुगतान करने के लिए पुनः सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः दायित्वधारी(यों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(याँ) गिरवी रखी गयी हैं।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि	निम्नलिखित तिथियों तक कुल बकाया रु.	माँग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
10538479	श्री प्रेम सिंह चन्देल (कर्जदार) एवं श्रीमती हेमलता सिंह चंदेल तथा श्रीमती मुन्नी चंदेल (सह–कर्जदार)	19 नवम्बर, 2019 तक रु. 20,74,199/–	19 नवम्बर, 2019	03 अक्टूबर 2019

* भावी ब्याज, ऊपर वर्णित तिथियों पर सम्बद्ध माँग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो टीसीएचएफएल लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित दायित्वधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) एवं प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

कथित दायित्वधारी/वैध उत्तराधिकारी/वैध प्रतिनिधि कथित अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का विक्रय, पट्टे या अन्य माध्यम से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अन्तरण नहीं कर सकेंगे। जो कोई भी व्यक्ति अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार कारावास तथा/अथवा दण्ड का भागी होगा।

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

तिथि : 18.12.2019 — **ह./–**
स्थान : कानपुर — **अधिकृत प्राधिकारी**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

शाखा का पता : 7 वां तल विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 6424707 यतिन्दर कुमार छोकर

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह–ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की यतिन्दर कुमार छोकर, एच.नं. 823, सेक्टर–14, गुड़गाँव, हरियाणा–122001, सुधा छोकर, यश छोकर, एच.नं. 823, सेक्टर–14, गुड़गाँव, हरियाणा–122001, से 25 जून, 2019 को रु. 1,52,66,599.33 (रुपये एक करोड़ बावन लाख छियासठ हजार पाँच सौ निन्यानवे तथा पैसे तैंतीस मात्र) राशि की वसूली के लिये **''जैसा है जहां है'' एवं ''जो भी वहां है'' आधार पर** 23 जनवरी, 2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 24 जून, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 1,52,66,599.63/– की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक–ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली–110055 में उक्त 23 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में ई–नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई–नीलामी उक्त 22 जनवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार, भौतिक/रचनात्मक	आरक्षित मूल्य रु.	धरोहर राशि रु.
औद्योगिक, प्लॉट नं. 42, सेक्टर–37, पेस सिटी, तहसील एवं जिला गुड़गाँव, हरियाणा–122006, एरिया माप 509.25 वर्ग मी. (जिसका विशेष रूप से विवरण अंतरण प्रलेख तिथि 28.3.2016 में दिया गया है।)	सांकेतिक रचनात्मक	रु. 3,17,02,712/–	रु. 31,70,271.20/–

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई–नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 23 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/– होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ ''टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.'' के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्तें वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 9 जनवरी, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई–नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नामः हमारे बिक्री पार्टनर का क्लाइन्स सर्विस डेलिबरी (सीएसडी), द्वारा ई–मेल आईडीः csd@disposalhub.com टेली. नं.: +91 124 4233, 933, मोर्बाइल नं.+91 9810029926 एवं +91–9710029933 से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्या, ई–मेलः Ayan.Bhattacharya@TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.tatacapital.com में दी गई लिंक देखें।

स्थानः फरीदाबाद — **हस्ता./–**
तिथिः 18.12.2019 — **(प्राधिकृत अधिकारी), टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

इंडियन बैंक Indian Bank

इण्ड रिटेल प्रोसेसिंग सेंटर–गाजियाबाद
डी–37/2, सेक्टर–50, नोएडा–201301
दूरभाष : 0120 2502364

परिशिष्ट IV
[नियम 8(1)]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते श्री अमित आनन्द श्री अशोक कुमार आनन्द (सह–कर्जदार एवं गिरवीकर्ता) जिसका खाता हमारी राजेन्द्र नगर शाखा के साथ है, को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 12,90,856/– (रुपये बारह लाख नब्बे हजार आठ सौ छप्पन मात्र) तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 24.08.2018 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 13 दिसम्बर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 10.12.2019 तक राशि रु. 15,20,116/– (रुपये पन्द्रह लाख बीस हजार एक सौ सोलह मात्र) तथा 11.12.2019 से इस पर भावी ब्याज के लिए इण्डियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

हम सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों तथा नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं (जो प्रतिभूतियों को छुड़ाने के आपके अधिकारों के लिए निर्मित है)

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान नं. 489, एफ–ब्लॉक, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, लोनी रोड, बंथला, गाजियाबाद (उ.प्र.) की निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। प्लॉट की माप 162 वर्ग मीटर है जो श्री अशोक आनन्द के नाम पर है।

सीमाएं निम्नलिखित हैं :

पूर्व : प्लॉट सं. 490 — उत्तर : प्लॉट सं. 474
पश्चिम : प्लॉट सं. 488 — दक्षिण : 12 मीटर चौड़ी सड़क

दिनांक : 13.12.2019 — **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : गाजियाबाद — **इण्डियन बैंक, आईआरपीसी, नोएडा**

इंडियन बैंक Indian Bank

इण्ड रिटेल प्रोसेसिंग सेंटर–गाजियाबाद
डी–37/2, सेक्टर–50, नोएडा–201301
दूरभाष : 0120 2502364

परिशिष्ट IV
[नियम 8(1)]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते श्री रवित आनन्द श्री अशोक कुमार आनन्द (सह–कर्जदार एवं गिरवीकर्ता) जिसका खाता हमारी राजेन्द्र नगर शाखा के साथ है, को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 10,11,893/– (रुपये दस लाख ग्यारह हजार आठ सौ तिरानबे मात्र) तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 24.08.2018 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 13 दिसम्बर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 10.12.2019 तक राशि रु. 11,91,621/– (रुपये ग्यारह लाख इक्यानबे हजार छः सौ इक्कीस मात्र) तथा 11.12.2019 से इस पर भावी ब्याज के लिए इण्डियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

हम सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों तथा नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं (जो प्रतिभूतियों को छुड़ाने के आपके अधिकारों के लिए निर्मित है)

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान नं. 489, एफ–ब्लॉक, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, लोनी रोड, बंथला, गाजियाबाद (उ.प्र.) की निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। प्लॉट की माप 162 वर्ग मीटर है जो श्री अशोक आनन्द के नाम पर है।

सीमाएं निम्नलिखित हैं :

पूर्व : प्लॉट सं. 490 — उत्तर : प्लॉट सं. 474
पश्चिम : प्लॉट सं. 488 — दक्षिण : 12 मीटर चौड़ी सड़क

दिनांक : 13.12.2019 — **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : गाजियाबाद — **इण्डियन बैंक, आईआरपीसी, नोएडा**

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमों 2014 के नियम 30 के तहत] केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली 110003 के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियमों, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में तथा

इन्फोटेल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी–7, पर्यटक अपार्टमेंटस, 6, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली – 110001 में है, के मामले में।

........आवेदक

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी इसके पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरण हेतु कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये **10 दिसम्बर, 2019** को असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि लेने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होने की संभावना है तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार की व्याख्या करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अंदर नीचे वर्णित पते पर इसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को एक प्रति सहित **क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है अथवा डिलिवर कर सकता है अथवा प्रेषित कर सकता है

डी–7, पर्यटक अपार्टमेंट्स, 6, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली–110001.

कृते व आवेदक की ओर से
इन्फोटेल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
सुरेंद्र लुनिया
निदेशक,
डी आई एन : 00121156

दिनांक : 17/12/2019
स्थान : नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2)) रिलायबल इन्सुपैक्स प्रा.लि. के हितधारकों के ध्यानार्थ–परिसमापनाधीन

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2) के अनुसार एतद्वारा कम्पनी के समस्त हितधारकों के लिए सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि कम्पनी के हितधारकों की सूची 13 दिसम्बर, 2019 को माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ के पास दाखिल कर दी गयी है।

कॉर्पोरेट देन की वेबसाइट सक्रिय नहीं है अतः समय–समय पर संशोधित राशि सहित परिसमापक द्वारा स्वीकृत राशि के सम्पूर्ण विवरण को प्रदर्शित करती हुई हितधारकों की श्रेणीवार सूची निम्नलिखित लिंक में देखी जा सकती है :

http://drive.google.com/file/d/1j4BQqspNZORSfANgHuojfVZreOKDp5De/view?usp=sharing

यह सूची अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल sumibans@gmail.com से भी प्राप्त की जा सकती है। हितधारकों को पुनः अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ के पास दाखिल के अनुसार हितधारकों की सूची में प्रविष्टि में कोई संशोधन पीठ द्वारा निर्देशित ढंग से माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ के पास आवेदन करके किया जा सकता है।

ह./–
सुमित बंसल
परिसमापक

स्थान : गाजियाबाद
तिथि : 16.12.2019
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00111/2017-2018/10218

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर
पताः यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.–203001
मो.: 9897912444, फोनः 05732–281724, ईमेलः cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ई–नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया नीचे वर्णित ऋणों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 09.01.2020 को बिक्री की जायेगी। ज्ञात अधिभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संबंधित विवरण नीचे वर्णित है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया 1) https://www.pnbindia.in, 2) https://www.pnbindia.biz, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें।

ई–नीलामी की अनुसूची

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
6.1.2020 (सोमवार) 12.00 बजे अप. से 16.00 बजे अप.	7.1.2020 (मंगलवार) 16.00 बजे अप. तक	9.1.2020 (गुरुवार) 12 बजे दोप. से 14.00 बजे अप.

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	सम्पत्ति के स्वामी/ मार्टगैजरों का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवी सम्पत्ति(यों) का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	श्री देवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह शाखाः औरंगाबाद, बुलन्दशहर	देवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह	रु. 1636133.01 के साथ 1.10.18 से आगे का ब्याज	न्यू आबादी (अजीजाबाद), परगणा बरान, कस्बा औरंगाबाद, तहसील एवं जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.–202402 में स्थित एक आवासीय प्लॉट, माप 157.40 वर्ग मीटर। चौहद्दीः पूर्वः रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिमः कब्रिस्तान, उत्तरः बेण्डर का प्लॉट, दक्षिणः मनोज एवं राजू आदि का प्लॉट	श्री अखिलेश कुमार (शाखा प्रमुख आरएपीसी बुलन्दशहर) मो.: 7300752739	रु. 13,50,000/– (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,35,000/– (रुपये एक लाख पैंतीस हजार मात्र)	15.10.18	7.2.19 (सांकेतिक कब्जा)
2.	मै. यादव पशुधन प्रॉप. श्री नीतू यादव शाखाः बारल बुलन्दशहर	श्री नीतू यादव पुत्र श्री रामचन्द यादव	रु. 9,59,897/– के साथ 1.4.16 से आगे का ब्याज	ग्राम बारल, परगणा अगोटा, तहसील एवं जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.–245408 में स्थित आवासीय प्लॉट, माप एरिया 418.30 वर्ग मीटर, चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः वेण्डर का प्लॉट, पश्चिमः राजेन्द्र पाल का मकान, उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः काले सिंह का मकान	श्री अखिलेश कुमार (शाखा प्रमुख आरएपीसी बुलन्दशहर) मो.: 7300752739	रु. 800000/– (रुपये आठ लाख मात्र)	रु. 80,000/– (रुपये अस्सी हजार मात्र)	16.11.18	16.2.19 (सांकेतिक कब्जा)
3.	श्री इमरान खान, पुत्र श्री नसीम अंसारी, शाखाः खुर्जा बुलन्दशहर	श्री नसीम अहमद अंसारी, पुत्र श्री हाजी नजी कौम	रु. 1075660.60/– के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	मकान सं. 63 सैक्टर 11, मोहल्ला सलमान खान (भूरी वाली गली), खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.–203131, माप 60.35 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्वः हाफिर जी का मकान, पश्चिमः कलुवा का मकान एवं श्री अलीम भाई का मकान, उत्तरः गली/रास्ता, दक्षिणः बब्बू भाई का मकान	श्री रामजीत मीना (शाखा प्रमुख खुर्जा मैन) मोः 8171113351	रु. 8,50,000/– (रु. आठ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 85,000/– (रु. पचासी हजार मात्र)	5.5.18	17.11.18 (सांकेतिक कब्जा)
4.	मै. हरीश मोटर्स शाखाः पहासू, बुलन्दशहर	श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री चन्द्रहास सिंह	रु. 4355455.36/– के साथ 1.4.17 से आगे का ब्याज एवं लागत	पहासू देहात, खुर्जा–पहासू–छतरी रोड, कस्बा, पोस्ट एवं परगणा पहासू, तहसील, शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.–202396, माप 127.22 वर्ग मी. में स्थित भूमि एवं भवन, चौहद्दीः पू.: खुर्जा–पहासू–छतरी रोड, प.: कच्चा रास्ता 5.5 मी. चौड़ा, उ.: वेण्डर श्री फहीमुद्दीन का प्लॉट, द.: वेण्डर श्री फहीमुद्दीन का प्लॉट	श्री एनएल चौधरी (शाखा प्रमुख पहासू, जिला बुलन्दशहर) मोवाः 8171801194	रु. 2600000/– (रु. छब्बीस लाख मात्र)	रु. 2,60,000/– (रु. दो लाख साठ हजार मात्र)	4.8.2017	20.6.2018 (सांकेतिक कब्जा)
5.	मै. हिमांशी आयरन स्टोर बीओः खुर्जा रूरल बुलन्दशहर	श्री रवि कुमार, पुत्र श्री नरेश कुमार	रु. 14,41,825/– के साथ 1.5.17 से आगे का ब्याज एवं लागत	श्री रवि कुमार, पुत्र श्री नरेश कुमार (प्रॉप.) मै. हिमांशी आयरन के नाम में ढ़ाका मोर के निकट, बाहर चुंगी खुर्जा, परगणा एवं तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.–203131 में आवासीय सम्पत्ति पार्ट गाता नं. 1525, दस्ता. के अनुसार माप 262.18 वर्ग मी. तथा साइट के अनुसार माप 262.49 वर्ग मी.	श्री अखिलेश कुमार (शाखा प्रमुख, आरएपीसी, बुलन्दशहर) मोबाः 7300752739	रु. 5,00,000/– (रु. पांच लाख मात्र)	रु. 50,000/– (रु. पचास हजार मात्र)	26.7.2017	20.6.2018 (सांकेतिक कब्जा)
6.	मै. तोमर बिल्डिंग मैटेरियल शाखाः बारल, बुलन्दशहर	श्री सुखवीर सिंह, पुत्र श्री अंगपाल सिंह	रु. 11,33,931/– के साथ 1.5.15 से आगे का ब्याज एवं लागत	मोह. न्यू आबादी, विकास कॉलोनी, कस्बा गुलावथी, परगणा अगोटा, तहसील एव जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. 203408 में स्थित प्लॉट एरिया माप 72.51 वर्ग मी. पर निर्मित आवासीय मकान, चौहद्दीः पू.: कुंअर सेन का मकान, प.–14'0'' रास्ता, उ.: श्री पवन यादव का मकान, द. रास्ता 14'0''	श्री अखिलेश कुमार (शाखा प्रमुख, आरएपीसी, बुलन्दशहर) मोबाः 7300752739	रु. 10,50,000/– (रु. दस लाख पचास हजार मात्र)	रु. 105000/– (रु. एक लाख पांच हजार मात्र)	29.8.2017	3.3.2018 (सांकेतिक कब्जा)
7.	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन बीओः खुर्जा, बुलन्दशहर	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन	रु. 24679334.00 के साथ 1.5.19 से आगे का ब्याज एवं लागत	सुभाष चन्द्र गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन (पंजीकृत ट्रस्ट) के नाम में शिकारपुर–खुर्जा रोड तथा गावन लिंक रोड के जंक्शन, ग्राम कलाखुरी, तहसील–खुर्जा में स्थित भूमि एवं भवन, खेत नं. 28, 30 एवं 24, एरिया 24670 वर्ग मी., चौहद्दीः पूर्वः खुर्जा–शिकारपुर रोड एवं ब्रिक क्लिन, पश्चिमः वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य का खेत, उत्तरः गावन लिंक रोड, दक्षिणः गिरिराज ज्वैलर्स की भूमि	श्री रामजीत मीणा (शाखा प्रमुख खुर्जा मैन) मो.: 8171113351	रु. 4,80,00,000/– (रु. चार करोड़ अस्सी लाख मात्र)	रु. 4800000/– (रु. अड़तालिस लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.2019 (सांकेतिक कब्जा)
8.	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन बीओः खुर्जा, बुलन्दशहर	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन	रु. 24679334.00 के साथ 1.5.19 से आगे का ब्याज एवं लागत	श्री गौरव गर्ग, पुत्र श्री अजय कुमार गर्ग के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 17, एरिया 11.92 वर्ग मी.	श्री रामजीत मीणा (शाखा प्रमुख खुर्जा मैन) मो.: 8171113351	रु. 1000000/– (रु. दस लाख मात्र)	रु. 1,00,000/– (रु. एक लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.2019 (सांकेतिक कब्जा)
9.	मै. भारत बायोक्लीन शाखाः सिविल लाइन बुलन्दशहर	श्री सुनील सिंह	रु. 9441141.92/– तथा 1.1.2019 से ब्याज	ग्राम अशरफपुर, खानपुर रोड, खसरा नं. 13,27,29 एम, 33, 34 तथा 38, तहसील सियाना, बुलन्दशहर में भूमि, माप एरिया 1922 हेक्टे.	श्री कमल किशोर ठाकुर, शाखा प्रमुख, सिविल लाइन, बुलन्दशहर मो.: 8171113715	1,32,00,000/– (रु. एक करोड़ बत्तीस लाख मात्र)	रु. 13,20,000/– (रु. तेरह लाख बीस हजार मात्र)	2.2.2019	13.5.2019 (सांकेतिक कब्जा)
10.	मै. वीना वादिनी एजुकेशनल फाउण्डेशन शाखाः खुर्जा, बुलन्दशहर	श्री संजय कुमार गुप्ता एवं अन्य	रु.35796106.00/– के साथ 1.05.2019 से देय आगे का ब्याज तथा चार्जेज	सिकन्दराबाद से खुर्जा रोड, पुराना जीटी रोड, ग्राम घरौन, बुलन्दशहर, गाटा नं. 79, खाता नं. 123, एरिया 3182 वर्ग. मी. में भूमि > गाटा नं. 80 एम, खाता नं. 156 में भूमि, एरिया 3480 वर्ग मी. > गाटा नं. 80 एम, खाता नं. 156 तथा गाटा नं. 182 में भूमि, एरिया 3923 वर्ग मी. > गाटा नं. 80 एम, खाता नं. 156 तथा गाटा नं. 80 एम, खाता नं. 182 में भूमि, एरिया–3923 वर्ग मी. > गाटा नं. 119, खाता नं. 188 में भूमि, एरिया–1900 वर्ग मी. > गाटा नं. 80 एम, खाता नं. 182 में भूमि, एरिया 2183 वर्ग मी. कुल एरिया–18591 वर्ग मी.	श्री रामजीत मीना (शाखा प्रमुख) खुर्जा मैन) मो.: 8171113351	रु. 41250000/– (रु. चार करोड़ बारह लाख पचार हजार मात्र)	रु. 4125000/– (रु. इकतालिस लाख पच्चीस हजार मात्र)	12.06.2019	05.09.19 (सांकेतिक कब्जा)
11.	मै. वीना वादिनी एजुकेशनल फाउण्डेशन शाखाः खुर्जा, बुलन्दशहर	श्री रोहित कुमार गुप्ता, पुत्र कैलाश चन्द्र गुप्ता	रु.35796106.00/– के साथ 1.05.2019 से देय आगे का ब्याज तथा चार्जेज	होली ब्राहमण, खुर्जा, पर. तह.– खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में स्थित आवासीय मकान सं. 223, एरिया 143.68 वर्ग मी. चौहद्दीः पूर्वः श्री बेलीराम तथा श्री रविन्द्र कु. का मकान, पश्चिमः 10' गली जिसके बाद श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, उत्तरः न्यू इंडिया प्रिन्टिंग प्रेस (श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता), दक्षिणः श्रीमती कुसुम देवी एवं नरेन्द्र कुमार	श्री रामजीत मीना (शाखा प्रमुख) खुर्जा मैन) मो.: 8171113351	रु. 2000000/– (रु. बीस लाख मात्र)	रु. 200000/– (रु. दो लाख मात्र)	12.06.2019	05.09.19 (सांकेतिक कब्जा)

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियमों एवं शर्तो तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर की जायेगी।
ii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी भी गलती, गलत–विवरण अथवा खामियों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
iii. प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
iv. नीलामी बिक्री पोर्टल http://pnbindia.biz पर ''ई–नीलामी के द्वारा ऑन लाइन'' होगी।
v. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये पोर्टल http://pnbindia.biz देखे।
vi. इच्छुक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित तिथि तक ''प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा अधोलिखित खाता पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता नं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800) के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। यह ड्राफ्ट किसी को–ऑपिरेटिव बैंक का नहीं होना चाहिये।
vii. ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अधोलिखित जमा करना होगाः 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (यदि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (* यदि भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा किया गया हो) 2. आईडी प्रुफ अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. क) बोलीदाता का नाम, ख) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. ग) पता, घ) ई–मेल का पता, ङ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलीदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को ई–बोली के लिये उपयुक्त मैंडेट भी जमा करना होगा। बोलीदाता को ई–मेल cobsrsamd@pnb.co.in के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ हीं ''क्रम सं.--- आईपी में बोली'' के रूप में शीर्षांकित मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व–सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।
viii. इच्छुक बोलीदाता को श्री राजवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक (मोबाईल नं. 8800305533, सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनानगर, बुलन्दशहर, उ.प्र. 203001 से अग्रिम में लागिन आईडी तथा पास्वर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई–बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।
ix. केवल वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई–नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।
x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी को निलम्बित/रद्द/स्थगित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
xi. बोलीदाता रु. 20,000/– (रु. बीस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलीदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। ऑन लाइन नीलामी की समाप्ति के बाद उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा वह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
xiii. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. vi में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोली/बिक्री राशि (जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
xiv. सफल बोलीदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
xv. यदि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी भी समय ऋणधारक या गारन्टर/रों के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जेज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्चे अथवा बैंक को यथा–स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
xvi. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक बकायों/एटैन्डेन्ट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।
xvii. बिक्री प्रमाण पत्र बिक्री का रशीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
xviii. जिन बोलीदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री राजवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मो. नं. 8800305533, सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र. 203001) से सम्पर्क कर सकते हैं।
xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार–ज्ञात नहीं। ई–नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभार अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकाये के लिये प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
xx. बोलीदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक–अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर अथवा ई–नीलामी के प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकस्मिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस को आयोजित की जायेगी।

तिथिः 16.12.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थानः बुलन्दशहर — **प्रतिभूत क्रेडिटर, पंजाब नेशनल बैंक सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर**

www.readwhere.com

विदेशी कोषों के प्रवाह के बीच सूचकांक का नया रेकार्ड

मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा)।

व्यापार युद्ध को लेकर तनाव कम होने और विदेशी कोषों के सतत प्रवाह के बीच मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान के सर्वकालिक उच्चस्तर 41,401.65 अंक को छूने के बाद अंत में 413.45 अंक या 1.01 फीसद की बढ़त के साथ अपने नए उच्चस्तर 41,352.17 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 111.05 अंक या 0.92 फीसद की बढ़त के साथ 12,165 अंक के अपने नए उच्चस्तर पर बंद हुआ। अमेरिका-चीन व्यापार करार को लेकर उम्मीद के बीच धातु कंपनियों के शेयरों में बढ़त से बाजार में तेजी आई। दूरसंचार, वित्तीय और आइटी कंपनियों के शेयरों ने भी बाजार की बढ़त में योगदान दिया। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील 4.38 फीसद चढ़ा।

हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

कर संग्रह का लक्ष्य पूरा नहीं होने के आसार के बीच वित्त मंत्रालय कर वसूली मशीनरी को और अधिक सक्रिय कर रहा है।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मंत्रालय ने 2019-20 के बचे चार महीनों में हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह करने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के अनुसार राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शीर्ष कर अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाने को कहा है। अधिकारियों को यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि वसूली अभियान के दौरान किसी करदाताओं को अनावश्यक दिक्कत या परेशानी न हो।

जेपी इंफ्रा ऋणशोधन मामले में एनबीसीसी की बोली मंजूर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 दिसंबर।

- खरीदारों के पास जहां 58 फीसद वोट हैं वहीं संस्थागत कर्जदाताओं के पास 42 फीसद। बोली की मंजूरी के लिए 66 फीसद मतदान की जरूरत होती है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर मकान खरीदार और कर्जदाताओं ने एनबीसीसी के पक्ष में मतदान किए।

जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं ने कर्ज में डूबी रीयल्टी कंपनी को ऋणशोधन प्रक्रिया के तहत खरीदने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी की बोली को मंजूरी दे दी है। वित्तीय कर्जदाताओं में बैंक और मकान खरीदार शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 फीसद मतदान से मंजूरी दे दी है।

यह जेपी इंफ्राटेक के लिए खरीदार तलाशने को लेकर बोली प्रक्रिया का तीसरा दौर है। जेपी इंफ्राटेक कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में अगस्त, 2017 में गई। मामले के सफल समाधान से 20,000 मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मकान खरीदार कई साल से जेपी इंफ्राटेक की नोएडा और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में शुरू की गई विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में फंसे हैं। एनबीसीसी ने इन लंबित परियोजनाओं को अगले साढ़े तीन साल में पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

दोनों बोलीदाताओं एनबीसीसी और मुंबई की सुरक्षा रीयल्टी की बोलियों के लिए मतदान एक साथ हुआ और यह सोमवार की देर रात संपन्न हुआ। कर्जदाताओं की समिति में 13 बैंक और 23,000 से अधिक मकान खरीदारों के पास मतदान के अधिकार हैं। खरीदारों के पास जहां 58 फीसद वोट हैं वहीं संस्थागत कर्जदाताओं के पास 42 फीसद। बोली की मंजूरी के लिए 66 फीसद मतदान की जरूरत होती है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर मकान खरीदार और कर्जदाताओं ने एनबीसीसी के पक्ष में मतदान किए। जेपी इंफ्राटेक के अंतरिम समाधान पेशेवर (आइआरपी) अनुज जैन ने मकान खरीदारों के 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावे और बैंकों के करीब 9,800 करोड़ रुपए के दावे को स्वीकार किया है। ताजा बोली में एनबीसीसी ने जमीन अदला-बदली समझौते के तहत 1,526 एकड़ भूमि बैंकों को पेशकश की गई है। एनबीसीसी ने यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क संपत्ति बैंकों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है। लेकिन उससे पहले वह पथकर राजस्व को लेकर करीब 2,500 करोड़ रुपये कर्ज लेगी ताकि निर्माण व्यय का वित्त पोषण ऋण हो सके। मकान खरीदारों के लिए एनबीसीसी ने साढ़े तीन साल में करीब 20,000 फ्लैट का निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव किया है। वहीं सुरक्षा ने तीन साल का समय दिया था। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आइडीबीआइ बैंक की अगुआई वाले समूह के आवेदन को स्वीकार करने के बाद संकट में फंसी जय प्रकाश एसोसिएट्स की अनुषंगी जेपी इंफ्राटेक अगस्त 2017 में ऋण शोधन प्रक्रिया में गई।

निर्भया व एक अन्य मामले की सुनवाई से सीजेआइ अलग

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने दिसंबर, 2012 में हुए निर्भया बलात्कार और हत्याकांड में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक मुजरिम अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की विशेष पीठ के समक्ष अक्षय की पुनर्विचार याचिका विचार के लिए आते ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसकी सुनवाई दूसरी उचित पीठ करेगी। वहीं बोबडे ने कानून के तहत चुनाव लड़ने से वंचित सजायाफ्ता नेताओं के राजनीतिक दल का गठन करने या उसका अध्यक्ष बनने पर रोक के लिए दायर याचिका की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के साथ मामलों की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और यह जनहित याचिका किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगी।

सीजेएम कोर्ट में गोलीबारी में एक की मौत, दो पुलिसकर्मी घायल

लखनऊ/बिजनौर, 17 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में गोलीबारी हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो पुलिसकर्मियों सहित तीन लोग घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि हत्या मामले के दो आरोपियों को सीजेएम की अदालत में पेशी पर लाया गया था कि इस दौरान तीन शार्प शूटरों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। त्यागी ने बताया कि एक आरोपी की गोली लगने से अदालत कक्ष में ही मौत हो गई जबकि दूसरा आरोपी और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सीजेएम सुरक्षित बच गए। हमलावरों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार लगभग छह माह पहले थाना नजीबाबाद में प्रापर्टी डीलर हाजी एहसान और उसके भांजे की ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मुख्य आरोपी शाहनवाज ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने बताया कि शाहनवाज और उसके साथी सहअभियुक्त जब्बार को तिहाड़ जेल से यहां सीजेएम योगेश कुमार की अदालत में पेश किया जा रहा था कि इसी दौरान तीन हमलावर अदालत में घुस गए और उन्होंने शाहनवाज की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि अभियुक्त जब्बार को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। इस घटना में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओ/फर्मो से विद्युत पारेषण मंडल, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत निम्न कार्यो/आपूर्ति हेतु ई-निविदायें ई-पोर्टल etender.up.nic.in पर दो भागो मे निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा शुल्क आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 तथा धरोहर राशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/बैंक गारन्टी के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांरित की जानी है) Executive Engineer] Electy Tr. Division] Muzaffarnagar के पक्ष में पंजाब नैशनल बैंक की शिव चौक मुजफ्फरनगर शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या 0332002100027440 (IFSC Code PUNB0033200) में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/बैंक गारन्टी द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथा योज्य यू0टी0आर0 संख्या की प्रति, खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 संख्या, इन्कम टैक्स रिर्टन की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियॉ (PDF format) तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग मे दरे एवं वाणिज्यक नियम व शर्ते ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नही किये जायेंगें। निविदा की वैधता खुलने की तिथि से 90 दिन होगी। ई-निविदा के प्रथम भाग उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा एवं भाग द्वितीय (प्राइजबिड) खुलने की तिथि तदोनुसार बेवसाइट पर सूचित की जायेगीं। निविदा भाग प्रथम में सम्बधित प्रपत्रों का अपलोंड ना किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नही खोला जायेगा। ई-निविदा खुलनें की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्य दिवस मे खोली जायेगी। ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार /विभाजित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। विवरण निम्न प्रकार है- ई-निविदा संख्या, कार्य/सामग्री का विवरण, खुलने की दिनांक, आमंत्रित एवं खोलने का समय धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य के क्रम में पढ़ा जाये। 1. वि0पा0म0/मु0/ टी-234/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालूखेडी का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण का कार्य। दिनांक 15.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 13000/-, रू. 1770/- (कर सहित)। 2. वि0पा0म0/मु0/ टी-235/2019-20 : : अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के प्रयोगार्थ 01 अदद डीजल चालित वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु। दिनांक 15.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2500/-, रू. 590/- (कर सहित)। 3. वि0पा0म0/मु0/टी-236/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड-प्रथम, सहारनपुर के प्रयोगार्थ 01 अदद डीजल चालित वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु। दिनांक 15.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2400/-, रू. 590/- (कर सहित)। 4. वि0पा0म0/मु0/ टी-237/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 220 के0वी0 उपकेन्द्र नरा पर उपलब्ध 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 आइसोलेटर्स के स्पेयर्स की रिपेयरिंग का कार्य। दिनांक 15.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:45 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2000/-, रू. 590/- (कर सहित)। 5. वि0पा0म0/मु0/ टी-238/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र पुरकाजी पर 132 के0वी0 बधाईकलां बे के निर्माण हेतु स्ट्रक्चर एवं उपकरणों के इरेक्शन तथा सम्बन्धित कार्य। दिनांक 15.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2000/-, रू. 590/- (कर सहित)। 6. वि0पा0म0/मु0/ टी-239/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर के अन्तर्गत 220 के0वी0 उपकेन्द्र नानौता पर 245 के0वी0 आइसोलेटर्स वास्ते रोटेटिंग हैड एसेम्बली की आपूर्ति। दिनांक 16.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 2000/-, रू. 590/- (कर सहित)। 7. वि0पा0म0/मु0/टी-240/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के अन्तर्गत 220 के0वी0 उपकेन्द्र सरसावा के अनुरक्षणार्थ 220 के0वी0 जी नन्दी मेक आइसोलेटर्स वास्ते स्पेयर्स की आपूर्ति। दिनांक 16.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 1800/-, रू. 590/- (कर सहित)। 8. वि0पा0म0/मु0/टी-241/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र गंगोह पर जमा योजना के अन्तर्गत 01 अदद 33 के0वी0 चाऊपुर ढलावली बे के निर्माण हेतु स्ट्रक्वर तथा उपकरणों के इरेक्शन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य। दिनांक 16.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 700/-, रू. 295/- (कर सहित)। 9. वि0पा0म0/मु0/ टी-242/2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र नकुड एवं गंगोह के स्विचयार्ड में स्थापित क्यूबिकल पैनल में गैस किट लगाने सम्बन्धित कार्य। दिनांक 16.01.2020, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:45 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू0 1900/-, रू. 590/- (कर सहित)। **"राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" प्रकाशित नहीं होना है।** **अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मण्डल भोपा रोड, मुजफ्फरनगर फोन नं0:- 0131-2608038 पत्रांक/ No. 2535 / वि0पा0म0 (ETC)/मु0नगर(MZN)/ दिनांक/ DATED 16.12.2019**

---

equitas — एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 769, स्पेन्सर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, टीएन-600 002

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत - अचल सम्पत्ति के लिये

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत मै. एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.8.2019 जारी कर ऋणखाता सं. SEIBSR0203817 में ऊपर वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 8,71,823/- (रुपये आठ लाख इकहत्तर हजार आठ सौ तैईस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

चूंकि ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 12 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 8,71,823/- (रुपये आठ लाख इकहत्तर हजार आठ सौ तैईस मात्र) तथा उस पर आगे की ब्याज तथा अन्य चार्जेज के लिये मै. एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1. श्री अमित राना 2. श्री राजबीर सिंह राना 3. श्रीमती राज कुमारी राना L.No. SEIBSRS0203817	ग्राम चतरगढ़, तहसील एवं जिला सिरसा में खेवत नं. 147, खसरा नं. 61/12 (8-0) में स्थित गैर-कृषि भूमि के रूप में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग, जमाबंदी वर्ष 2012-13 के अनुसार उनका शेयर 5 मरला, क्षेत्रफल माप 151.25 वर्ग यार्ड्स, उस पर वर्तमान एवं भविष्य के सभी सुपर स्ट्रक्चर के साथ। उत्तरः खाली प्लॉट, दक्षिणः गली, पूर्वः खाली प्लॉट, पश्चिमः राजेश का मकान। सिरसा के पंजीकरण उप जिला तथा सिरसा के पंजीकरण जिला में स्थित।

तिथिः 17.12.2019
स्थानः सिरसा

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

निविदा सूचना

केन्द्रीय विद्यालय केशव पुरम दिल्ली, इच्छुक एवं अनुभवी कंपनियों से सुरक्षा गार्ड, कैंटीन, साफ सफाई व माली के कार्य हेतु अस्थाई कर्मचारियों के अनुबंध हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। इच्छुक फर्म 2500 रूपये का भुगतान करके निविदा प्रपत्र के.वी. केशव पुरम दिल्ली के कार्यालय से सभी दिवसों पर विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद सुबह 11:00 से दोपहर 01:00 बजे तक 14 दिनों के अंदर प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विद्यालय की वेबसाइट पर जाएं।

प्राचार्य

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. 13-सीडब्ल्यूएम-यूबीएलएस-2019-20 तिथि 12.12.2019

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्य के लिये ई-निविदा आमंत्रित हैः

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत
कैरिएज मरम्मत वर्कशॉप, दक्षिण पश्चिम रेलवे, गडाग रोड, हुबली-580020 में आरडीएसओ STR No. WD-12-BOXN (रिहैव) 2006 (रेव-1) के अनुसार 100 नग BOXN वैगन्स के इंड वाल, साइड वाल तथा फ्लोरिंग का सम्पूर्ण नवीकरण।	रु. 5,03,00,000/-

बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 6.1.2020 के 15.00 बजे

विवरण के लिये www.ireps.gov.in पर लाग आन करें

मुख्य वर्क शॉप प्रबंधक, कैरिएज मरम्मत वर्कशॉप दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली

PUB/353/AAAL/PRB/SWR/2019-20

टाटा कैपिटल फाइनाँसियल सर्विसेस लिमिटेड

7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14 अक्टूबर, 2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर बयाज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋण खाता सं.	देनदार/सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	राशि एवं मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण
20263422 एवं 20414156	1. ऑरिएण्टल एण्टरप्राईजेज, द्वारा उसके पार्टनर उदित खुल्लर तथा प्रतीक खुल्लर, 2. प्रतीक खुल्लर, पुत्र नरिन्दर खुल्लर 3. उदित खुल्लर, पुत्र नरिन्दर खुल्लर, 4. नरिन्दर कुमार खुल्लर द्वारा उसके सांविधिक उत्तराधिकार, 5. मधु खुल्लर, पत्नी नरिन्दर कुमार खुल्लर	14 अक्टू. 2019 को रु. 1,92,98,356.93 /- (रुपये एक करोड़ बानवे लाख अन्ठानवे हजार तीन सौ छप्पन तथा पैसे तिड़ानवे मात्र)	16 दिसम्बर, 2019	डीएलएफ सिटी फेज-II के नाम से विदित आवासीय कॉलोनी, ग्राम शाहपुर, मध्य मार्ग, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा-122022 में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 52, एरिया माप 300 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित सम्पूर्ण वेस्मेन्ट एवं भूतल, कवर्ड एरिया माप 2600 वर्ग फीट "उक्त फ्लोर" जिसका विशेष रूप से विवरण बिक्री प्रलेख तिथि 15.4.2015 में दिया गया है। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. पी-1/13, पूर्वः मध्य मार्ग प्लॉट नं. 53, पश्चिमः मध्य मार्ग, प्लॉट नं. 51

स्थानः दिल्ली
तिथिः 16 दिसम्बर, 2019

प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

सिडबी नई दिल्ली में 3/4 बीएचके का एक आवासीय परिसर सर्वेंट रूम सहित लीज़ या लीव एंड लाइसेंस आधार पर लेने के लिए बोलियाँ आमंत्रित करता है। अतिरिक्त जानकारी/बोली के फार्मेटों हेतु हमारी वेबसाइट **https://sidbi.in/en/tenders** या Central Public Procurement Portal (CPP Portal) देखें। बोलियाँ 07 जनवरी 2020 को अपराह्न 03.00 बजे तक जमा की जा सकती है। विज्ञापन /बोली दस्तावेज़ में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है, तो उसे केवल सिडबी की वेबसाइट पर सूचित किया जायेगा।

इण्डियन ओवरसीज बैंक

असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा

रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008 फोनः 011-25758124, ईमेलः iob1997@iob.in

शुद्धिपत्र

यह नीलामी बिक्री सूचना के लिये 5.12.2019 को **फाइनांसियल एक्सप्रैस तथा जनसत्ता** में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है जिसमें एक सुधार की गई है जो इस प्रकार हैः
1. **मै. फोर ग्रुप** की खाता में 20.12.2019 को आयोजित होने के लिये निर्धारित ई-नीलामी वापस ली गई है।

यह नीलामी बिक्री सूचना के लिये 11.12.2019 को **फाइनांसियल एक्सप्रैस तथा जनसत्ता** में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है जिसमें एक सुधार की गई है जो इस प्रकार हैः
1. **मै. जय गोपाल जी ट्रेड लिंक्स** की खाता में ई-नीलामी की तिथि 30.12.2019 से बढ़ाकर 6.1.2020 कर दी गई है तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 4.1.2020 है।

टिप्पणीः अन्य सभी खाताओं/विवरणों/नियमों एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 17.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू) IV
एस.टी.पी. कोण्डली, दिल्ली-110096
प्रैस एनआईटी सं. 11(2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	सोनिया विहार पांड के घरेलू अपशिष्ट सीवेज का शोधन। 2019_DJB_185649_1	वस्तु दर	13.12.2019	30.12.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://delhi.govtprocurement.com पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/658

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू) IV

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. नं. 26/2016

केनरा बैंक बनाम राकेश शर्मा

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 26.11.2019 के अनुसार 29.01.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी:
यह बिक्री वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ऑन लाइन ई-नीलामी होगी।
नीलामी की तिथि एवं समय : 29.01.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
फ्लैट नं. बी-705, मण्डेश्वरी सहकारी आवास समिति लि., प्लॉट नं. डी-35ए/2, सेक्टर-48, केसर अपार्टमेन्ट्स, नोएडा-201301, उ.प्र. में।	रु. 49,69,687.50 (रुपये उनचास लाख उनहत्तर हजार छः सौ सतासी एवं पचास पैसे मात्र)	रु. 4,96,968.75 (रु. चार लाख छियानबे हजार नौ सौ अड़सठ एवं पचहत्तर पैसे मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टलः https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 26/2016 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा जिसके साथ पहचान के स्व- सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति अधिकतम 27.01.2019 के 5.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 26/2016' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauction-tiger.net देखें एवं/अथवा श्री रणजीत कुमार, मुख्य प्रबंधक, श्री सुमित कुमार, अधिकारी, केनरा बैंक एआरएम-II शाखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली, लैंडलाइन नम्बरः 23323891/23723121, मो.नं. 9773670093, 9643475460, ई-मेलः cb-3038@canarabank.com से सम्पर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद-3800006 (गुजरात), सम्पर्क व्यक्तिः श्री नितीश झा, सम्पर्क सं. 9265562821, 7082880393, 0796120051, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, manoj@auctiontiger.net से प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मै. ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद-3800006 (गुजरात), सम्पर्क व्यक्तिः श्री नितीश झा, सम्पर्क सं. 9265562821, 7082880393, 0796120051, ईमेल आईडीः delhi@auction-tiger.net, manoj@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. जो इच्छुक बोलीदाता 27.01.2020 के 5 बजे अप. तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 29.01.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
10. बोलीदाता रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "आरसी नं. 26/2016" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाए।
12. सफल उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली "आर.सी. खाता 26/2016" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा तथा संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी- I, डीआरटी-I, दिल्ली आर.सी. नं. 26/2016 के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा शेष 75% बोली राशि के साथ 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क का रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।)
13. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
14. रिकवरी अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

(संजू स्नेही)
रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली

"प्रपत्र आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में
तथा
वरदान बिल्डर्स एंड टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U70101DL1989PTC035957), जिसका पंजीकृत कार्यालय 25, नेहरू नगर मार्केट अपर फ्लैट, नई दिल्ली-110065, भारत में स्थित है, के विषय में
...याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा एक आवेदन, 14 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न असाधारण सामान्य बैठक में इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तराखंड राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को तथा उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनियों को इसके पंजीकृत कार्यालय तथा श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी, वीएस एसोसिएट्स, ए-52, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार, दिल्ली-110092 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
वरदान बिल्डर्स एंड टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
वीर कृष्ण शर्मा
(निदेशक)
डीआईएन : 08549122

तिथि : 17-12-2019
स्थान : दिल्ली

पंजाब एंड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)
पदम सिंह गेट, गांधी रोड, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर
ई-मेलः k0370@psb.co.in, फोन नं. 05738-248284

परिशिष्ट IV — तिथिः 13.12.2019

[नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब एंड सिंध बैंक, पदम् सिंह गेट, खुर्जा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 2.9.2019 जारी कर ऋणधारकों श्री सुरेन्द्र सिंह, पुत्र राजवीर सिंह एवं श्रीमती अनीता, पत्नी सुरेन्द्र सिंह, निवासीः 839, न्यू शिवपुरी, गली नं. 3 आरएसएस कार्यालय खुर्जा के सामने, पी एंड टी खुर्जा जिला बुलन्दशहर एवं गारन्टर श्री अमर पाल सिंह, पुत्र दीवान सिंह, निवासीः 1052, सराय नसरुल्ला खान, ज्ञान लोक कॉलोनी, खुर्जा, पी एंड टी खुर्जा, जिला बुलन्दशहर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 19,97594/- (रु. उन्नीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ चौड़ानवे मात्र) के साथ बैंक के मासिक दर पर 1.9.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवासाय न करें तथा इन समपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 19,97594/- (रु. उन्नीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ चौड़ानवे मात्र) के साथ उस पर ब्याज के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल समपत्ति का विवरण

एच. नं. 839, न्यू शिवपुरी, गली नं. 3, आरएसएस कार्यालय खुर्जा के सामने, पी एंड टी खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर में 84 वर्ग यार्ड्स के एरिया में स्थित भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा (उप-रजिस्ट्रार खुर्जा के कार्यालय में पजीकृत एवं वर्ष 2018 के लिये बुक नं. 1, जिल्द नं. 9712, पेज 287 से 332 में प्रविष्ट बिक्र प्रलेख सं. 379 तिथि 9.1.2018

चौहद्दीः
उत्तरः एलसी वर्मा का मकान — दक्षिणः 14.6 फीट चौड़ा रास्ता
पूर्वः विक्रेता का प्लॉट — पश्चिमः योगेन्द्र शर्मा का प्लॉट।

तिथिः 17.12.2019
स्थानः खुर्जा

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब एंड सिंध बैंक के लिये

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)
निगमित कार्यालयः 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्तिमार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016,
जन - जन के लिए भण्डारण

ई-टेन्डर आमंत्रण सूचना (एनआईटी सं. सीडब्ल्यूसी/एफडी/आईसीईएक्स/2019-20) हेतु शुद्धिपत्र

इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. (आईसीईएक्स) में इक्विटी स्टेक की बिक्री के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध है। बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06.01.2020 अपराह्न 03.00 बजे तक बढ़ा दी गई है।
विस्तृत जानकारी के लिए www.cwceprocure.com अथवा www.cewacor.nic.in पर लागऑन करें।

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ग्रोमेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

क्र.	विवरण	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ग्रोमेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06/01/1983
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U24300DL1993PTC051592
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	मकान नम्बर 12, पहली मंजिल आईबीटी नई दिल्ली साउथ दिल्ली -110017, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ तिथि	माननीय NCLT, नई दिल्ली (कोर्ट- VI) द्वारा आवेदन संख्या IB-2001/ND/2019 में आदेश की घोषणा की तारीख 13 दिसंबर, 2019 (16 दिसंबर, 2019 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	10 जून 2020 (दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	पंकज कुमार सिंघल IBBI/IPA-002/IP-N00532/2017-2018/11561
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	(संचार के लिए नहीं) पताः ए-233, ग्राउंड फ्लोर, मुकुर कॉलोनी, अशोक विहार, फेज-IV, दिल्ली -110052 ईमेलः apllegalindia@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	(संचार के लिए) पताः ऊपर की तरह ईमेलः cirp.grometindia@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	01/01/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	वेबलिंकः http://www.ibbi.gov.in/home/downloads इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस नई दिल्ली -110001

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **13 दिसम्बर, 2019** को **ग्रोमेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने के आदेश दिया है।

ग्रोमेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **01 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के सम्मुख वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए, प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए (श्रेणी का उल्लेख) में निर्देशित करना-लागू नहीं

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) के विनियमों 2016 के अध्याय III के अनुसार दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावे का प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

फॉर्म बी - कर्मकार और कर्मचारियों को छोड़कर परिचालक लेनदारों के दावों के लिए
फॉर्म सी : वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा के लिए
फॉर्म सीए : एक श्रेणी में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए
फॉर्म डी : श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए
फार्म ई : श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए
फॉर्म एफ : वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के अलावा लेनदारों द्वारा दावों के लिए

उपर्युक्त प्रपत्र वेबसाइट www.ibbi.gov.in (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
पंकज कुमार सिंघल
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
ग्रोमेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 18 दिसम्बर 2019
स्थान : दिल्ली

जीएसटी परिषद की बैठक आज

राजस्व कमी को दूर करने के लिए दरें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

माल व सेवाकर (जीएसटी) परिषद की बुधवार को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर विचार किया जा सकता है। जीएसटी की मौजूदा दर व्यवस्था के तहत उम्मीद से कम राजस्व प्राप्ति के चलते कर ढांचे में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हुई है। राजस्व प्राप्ति कम होने से राज्यों को क्षतिपूर्ति भुगतान में विलंब हो रहा है। जीएसटी प्राप्ति में कमी की भरपाई करने के लिए जीएसटी दर और उपकर में वृद्धि किए जाने के सुझाव दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने हालांकि उपकर की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि किए जाने का विरोध किया है। राज्य सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच उपभोक्ता के साथ साथ उद्योगों को भी कामकाज में दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने जीएसटी और उपकर की दरों की समीक्षा के बारे में सुझाव मांगे हैं।

राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के वास्ते परिषद ने विभिन्न सामानों पर दरों की समीक्षा करने,उल्टे कर ढांचे को ठीक करने के लिए दरों को तर्कसंगत बनाने, राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान में लागू किए जा रहे उपायों के अलावा अन्य अनुपालन उपायों के बारे में सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे एक पत्र में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने कहा है कि राज्यों को जीएसटी परिषद से पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें उनसे राजस्व संग्रह बढ़ाने के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन सामानों को जीएसटी से छूट दी गई है उन्हें कर के दायरे में लाने समेत राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। मित्र ने पत्र में लिखा है- यह बहुत खतरनाक स्थिति है। हमें ऐसे समय जब उद्योग और उपभोक्ता दोनों ही काफी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जब मांग और कारोबार में वृद्धि के बिना ही मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका बनी हुई है, ऐसे समय में कर ढांचे में किसी भी तरह का बदलाव करना या कोई नया उपकर लगाना ठीक नहीं होगा। हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (परियोजना) डब्ल्यू-I
कमरा सं. 511, वरुणालय फेज-I, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
ईमेल आईडीः ee1.djb@gmail.com
एनआईटी सं. 07/(2019-20)

क्रम सं.	कार्य का नाम	निविदा राशि	धरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क (रु.) (अप्रतिदेय)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय	निविदा आईडी
1.	छत्तरपुर कंस्टीच्युएन्सी (एस-46) के अंतर्गत i) सीएचटी (बी/पी) सुल्तान अपार्टमेन्ट, सैदुल्लाजब गाँव, ii) सीएचटी, जं-ब्लॉक, पर्यावरण कॉम्प्लैक्स, iii) सीएचटी डीवीपी, ग्राउण्ड नेव सराय एक्स्टें, iv) सीएचटी हरिजन बस्ती, नेव सराय, v) सीएचटी नेव सराय एक्स्टें. (इन्दिरा एन्क्लेव के निकट) में 5 नग, ट्यूब वेल्स का री-बोरिंग।	2956956/-	59200/-	500/-	13.12.2019	23.12.2019 के 3.00 बजे अप. तक।	2019_DJB_185546_1

इस संदर्भ में एनआईटी में की गई कोई संशोधन शुद्धि पत्र के साथ अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर अपलोड की जोयगी।

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी) हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/671 कार्यपालक अभियंता (परि.) डब्ल्यू-I

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

शाखा कार्यालयः बल्लभगढ़, हरियाणा-121004
फोनः 0129-2300991, 2211710
ईमेलः br.8220@syndicatebank.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/कों तथा गारन्टर/रों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीलामी तिथि 3.1.2020 को ''जैसा है जहाँ है'', जो भी वहाँ है तथा उपचार-रहित आधार'' पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः

ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं पता तिथि के साथ बकाया राशि	गिरवी रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने के लिये खाता सं. तथा आईएफएस कोड
ऋणधारकः मै. एस.एस. इंजीनियरिंग प्रॉप. श्री संजय शर्मा पताः प्लॉट नं. 10, निकट डिस्पोजल गुरुद्वारा रोड, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद (हरि.) 12.12.2019 को रु. 5281906.69 (रुपये बावन लाख इक्यासी हजार नौ सौ छः एवं पैसे उन्हत्तर मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज एवं लागतों	श्री सुन्दर सिंह, पुत्र श्री मोती राम के नाम में प्लॉट नं. जी/242, त्रिखा कॉलोनी, टिगाँव रोड (सेक-2 के पीछे), बल्लभगढ़, हरियाणा में खसरा नं. 137/22, 23, माया सीही तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, प्लॉट एरिया 120 वर्ग यार्ड्स का इक्विटैवल मार्टगैज	रु. 23,31,000/- रु. 2,33,100/- 01.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक	खाता नं. 82203020000017 सिंडिकेट बैंक, बल्लभगढ़ शाखा आईएफएस कोडः SYNB0008220
ऋणधारकः मै. पीएनसी पैकेजिंग प्रॉप. कान्ता शर्मा, पत्नी श्री तरुण शर्मा, पताः इन्द्रा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स, नहर पार, वजीरपुर रोड, फरीदाबाद (हरि.) 12.12.2019 को रु. 85,28,932.19 (रुपये पच्चासी लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ बत्तीस तथा पैसे उन्नीस मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज एवं लागतों	श्रीमती कान्ता शर्मा, पत्नी श्री सतीश कुमार शर्मा के स्वामित्व में खसरा नं. 74, किल्ला नं. 19/1 मिन मौजा टिगांव, जटोला सरपंच वाली गली, ओल्ड वाटर वर्क्स के सामने, मंझावली रोड, टिगांव, जिला फरीदाबाद माप एरियाः 398 वर्ग यार्ड्स में शामिल एक मंजिला आवासीय मकान, माप 398 वर्ग यार्ड्स में शामिल आवासीय मकान की सम्पत्ति।	रु. 30,91,000/- रु. 3,09,100/- 01.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक	खाता नं. 82203020000017 सिंडिकेट बैंक, बल्लभगढ़ शाखा आईएफएस कोडः SYNB0008220
ऋणधारकः मै. विजय नैफ्को एग्रा. प्रा. लि. प्रतिनिधित्व द्वारा निदेशक श्री विजय चौधरी, पंजी. कार्यालय-33, भारत नगर, न्यू फ्रैंडस कॉलोनी, नई दिल्ली-21 12.12.2019 को रु. 2,22,50, 762.94 (रुपये दो करोड़ बाईस लाख पचास हजार सात सौ बासठ तथा पैसे चौड़नवे मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज एवं लागतों	औद्योगिक प्लॉट नं. ब्लॉक-1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कोटवान, निकट कोसीकलान, जिला मथुरा (उ.प्र.), एरिया 1000 वर्ग यार्ड्स में साइट पर मशीनरी	रु. 26,01,000/- रु. 2,60,100/- 01.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक	खाता नं. 82203020000017 सिंडिकेट बैंक, बल्लभगढ़ शाखा आईएफएस कोडः SYNB0008220

ई-नीलामी से संबंधित विवरण इस प्रकार हैः

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 3.1.2020 को 11 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
ई-नीलामी वेबसाईट का पता : https://synidcatebank.auctiontier.net
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 2.1.2020 के 4.00 बजे अप. तक
न्यनतम बोली वृद्धि राशि : रु. 20,000/- के गुणकों में।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाइट अर्थात् www.synidcatebank.in में दी गई लिंक देखें

तिथिः 18.12.2019, स्थानः बल्लभगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

---

fincare Small Finance Bank

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. **www.fincarebank.com**

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below schedule.

Loan Account no	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date
19660000003576	MRS. PUNAM	Ground Floor, Shop No.10, Sec-10-A,Khandasa Road, Gurugram, Hr,122001	23/12/2019
19660000015713	Mr. KAPIL		
19660000025384	Mr. KAPIL		
19660000076477	MS. RAKESH MUSKAN		
19660000082315	MS. MANISH GANDASS		
19660000035715	MR. SUSHIL KUMAR SHARMA	Ground Floor, Sco No. 11 &12, Huda Market Sector-15, Part-II, Gurugram, Hr, 122003	26/12/2019
19660000054079	MR. MANJEET		
19660000055317	MR. ARUN AZAD		
19660000055427	MR. PURU AZAD		
19660000055457	MR. PARUSH AZAD		
19660000051504	MS. SHIWALI KANWAR	Ground Floor, Plot No.10, Block-b-1A, Sector-51, Noida, Up, 201301	27/12/2019
19660000069120	MR. SUJIT BANERJEE		
19660000076627	MRS. MANPREET KAUR		

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form which is made available before the commencement of auction.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, **CIN: L65910KL1997PLC011300**, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, **mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों **(30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथिः 26.12.2019

Jhalrapatan-(RA): MUL-280, 377, 386, 413, 442, 443, 463, 485, 488, 494, 498, 508, 574, 575, 578, 590, 604, 633, 642, 658, 660, 678, 689, 731, 750, 751, 765, 777, 881, 906, 956, **Jhalwar-(RA):** MSL-1747, MUL-158, 315, 366, 404, 411, 418, 430, 435, 438, 457, 526, 563, 602, 603, 659, 660, 755, 762, 778, 785, 795, 796, 817, 821, 830, 832, 835, 836, 844, 845, 853, 877, 900, 906, 950

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **27.12.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Above Oriental Bank of Commerce, Bus Stand Road, Jhalrapatan, Pin - 326023** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

नीलामी की तिथिः 26.12.2019

Ramganj Mandi-(RA): MAL-791, 889, MSL-5984, 6049, MUL-372, 790, 791, 792, 808, 851, 872, 877, 889, 925, 972, 1015, 1029, 1099, 1125, 1178, 1195, 1197, 1215, 1228, 1260, 1389, 1481, 1563, 1610, 1611, 1614, 1615, 1702, 1709, 1722, 1727, 1734, 1764, 1786, 1801, 1804, 1902, 2139

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. Muthoot Finance

कॉर्पोरेट कार्यालयः 1201 एवं 1202, 12वाँ तल, 'ए' विंग, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ऑफ. वेस्टर्न एक्स्प्रैस हाइवे, गोरेगाँव (पूर्व), मुम्बई-400063

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. (एमएचआईएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर निम्न ऋणधारक (कों) (''उक्त ऋणधारक'') को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना/ओं में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान का निर्देश दिया था जो इस प्रकार नीचे वर्णित है।

उपरोक्त के सिलसिले उक्त ऋणधारक को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त ऋणधारकों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत देय नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित 2% पी.एम. की दर से आगे के ब्याज के साथ यहाँ नीचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर एमएचआईएल को भुगतान करें। ऋण के नियत पुनर्भुगतान के लिये प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणधारकों द्वारा एमएचआईएल के पास अधोलिखित परिसम्पत्तियाँ गिरवी रखी गई हैंः

क्र. सं.	ऋणधारक(कों)/सह-ऋणधारक(कों) का नाम/ऋण खाता सं./शाखा	कुल बकाया देयता (रु.)	माँग सूचना तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1	विजय पाल सिंह/शशि देवी/056-05600166/गाजियाबाद	रु. 10,18,857/- (रुपये दस लाख अठारह हजार आठ सौ सत्तावन मात्र)	10.9.2019	खसरा नं. 596, गंगा विहार, दादरी, गौतम बुध नगर, नोएडा-उत्तर प्रदेश-203207
2	दुलाल सरकार/अर्चणा साहा सरकार 058-05800064/नोएडा	रु. 2,77,353/- (रुपये दो लाख सतहत्तर हजार तीन सौ तिड़ेपन मात्र)	26.9.2019	खसरा नं. 377, ग्राम-कुलेसरा, तहसील दादरी, जिला-गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में एमएचआईएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो एमएचआईएल लागतों तथा परिणामों के लिये उक्त ऋणधारकों की जोखिम पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले/नियमों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई करेगा।

अधिनियम के अंतर्गत उक्त ऋणधारकों को एमएचआईएल की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त परिसम्पत्तियों को अंतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करता है तो वह अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कैद एवं/अथवा दंड का भागी होगा।

हस्ता./-
स्थानः उत्तर प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 18.12.2019 मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. के लिये

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 693/2018 **बिक्री उद्घोषणा नोटिस** **दिनांकित : 31.10.2019**

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम भूपेंद्र सिंह

सीडी नं. 1 श्री भूपेंद्र सिंह पुत्र करन पाल सिंह, सी -12/238, प्रथम तल, यमुना विहार, दिल्ली -110091
सीडी नं. 2 मैसर्स वैल्यू इंफ्राकॉन (इंडिया) प्रा. लि., 715, नवरंग हाउस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, और: एच -198, द्वितीय तल, सैक्टर-63, नोएडा, यू.पी.-201301

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण- III, दिल्ली ओ.ए सं 234/2016/डीआरटी- III दिल्ली में आपके द्वारा देय रू. 68,10,358/- (रु. अड़सठ लाख दस हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र) दिनांक 20.01.2016 से प्रभावी 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं ओ ए फाईलिंग की तिथि से लागतो का प्रमाण-पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।**

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा **30.01.2020 को अर्पा. 03.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती हैं)** द्वारा मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि. **उद्योग विहार फेज-2, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, हरियाणा (इंडिया), फोन नं. +91-7291981124/25/26**, के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री विनोद चौहान, जिसका मोबाइल नंबर 09813887931, ई-मेल : support@bankeauctions.com, वेब: https://www.bankeauctions.com से सम्पर्क करें।**

अन्य विवरण हेतु **सी एच बैंक के उप प्रबंधक, श्री दिनेश कालरा, मो. 8826922664 से सम्पर्क करें।**

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावे को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उद्घोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1 सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	सम्पत्ति नं. ए-073, 7वां तल, सुपर क्षेत्रफल 1450 वर्ग फीट, meadows विस्टा, राज नगर, एक्सटेंशन, एनएच-58, गाजियाबाद यू.पी. में स्थित	रु. 26,50,000/- (रु. छब्बीस लाख पचास हजार मात्र) धरोहर राशि : 2,65,000/- (रु. दो लाख पैंसठ हजार मात्र)
2.	सम्पत्ति नं. ए-063, 8वां तल, सुपर क्षेत्रफल 1450 वर्ग फीट, meadows विस्टा, राज नगर, एक्सटेंशन, एनएच-58, गाजियाबाद यू.पी. में स्थित	रु. 26,50,000/- (रु. छब्बीस लाख पचास हजार मात्र) धरोहर राशि : 2,65,000/- (रु. दो लाख पैंसठ हजार मात्र)

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।

2. बोली, **कम से कम प्रत्येक सम्पत्ति हेतु रू. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।

3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi के पक्ष में सीलबंद लिफाफे में दिल्ली** में देयगोग्य हो, **को दिनांक 28.01.2020 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाइल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वंय की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे हैं, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व की पुष्टि करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रसीद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) **वसूली अधिकारी- I, डीआरटी- III, दिल्ली** के कार्यालय में जमा करना होगा।

6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी- III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी- I, डीआरटी- III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**

8. इच्छुक बोलीदाताओं हेतु **सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 24.01.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**

9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय कटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में सभी दावे जब्त हो जाएंगे।

10. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।

11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

12. सम्पत्ति के किसी भी भाग पर राजस्व / भार या विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के समक्ष में है इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान में नहीं है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पहले, अपने स्वयं के हित में बिजली / पानी / हाउस टैक्स या किसी अन्य भार इत्यादि हेतु के बकाया राशि की स्वंय जाँच कर लें।

13. असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफन्ड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी- III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आरसी अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा।

14. सीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रामाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(अनिल कुमार यादव)

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को दिया गया। **वसूली अधिकारी- I, ऋणवसूली अधिकरण- III, दिल्ली**

इण्डियन ओवरसीज बैंक

पंजाबी बाग शाखा (0687), 1/52, नॉर्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी, नई दिल्ली-110026

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों की माँग सूचना

स्थान : पंजाबी बाग, नई दिल्ली तिथि : 07.09.2019

क्र.सं.	कर्जदार	क्र.सं.	जमानती
1.	श्री आदित्य शंकर एवं श्रीमती शालिनी		

प्रिय महोदय

संदर्भः इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाबी बाग शाखा में आपकी साख सुविधाएं

1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी पंजाबी बाग शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं :
बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्र. सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज की दरें (ओवरड्यू ब्याज सहित)	07.10.2019 तक कुल बकाया
1.	गृह ऋण सं. 068703464000034	रु. 38,00,000/- (रुपये अड़तीस लाख मात्र)	8.85%	रु. 39,07,981/- (रुपये उनतालीस राख सात हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) अनडेबिटेड ब्याज + दण्डात्मक ब्याज (यदि कोई हो)

क्रम सं. 1 में कर्जदारों/मार्टगैजरों के नाम में स्थित सम्पत्ति की गिरवी/हाइपोथेकेशन/हायर परचेज/लीज (जो भी लागू हो) द्वारा नीचे वर्णित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है।

2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूतियों का विवरण
1. गिरवी	सम्पत्ति सं. 168, द्वितीय तल, ब्लॉक-बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075 उत्तर : प्रवेश/गली, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : सम्पत्ति सं. बी-167, पश्चिम : सड़क

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ब्याज के भुगतान में उपर्युक्त कर्जदारों द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 30.09.2019 को आपके ऋण खाता को गैर-प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 में आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 39,07,981/- (रुपये उनतालीस लाख सात हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) + अनडेबिटेड ब्याज + दण्डात्मक ब्याज (यदि कोई हो) एवं उपर्युक्त तिथि से भावी ब्याज की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. हम श्री आदित्य शंकर एवं श्रीमती शालिनी (कर्जदार) को पुनः सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
6. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उत्तरदायी हैं।
7. कृपया ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
8. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
9. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
10. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
11. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अधिकृत प्राधिकारी
इण्डियन ओवरसीज बैंक

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दिवानी)
अज अदालत- अपर जिला न्यायाधीश, मुकाम झालावाड़ (राजस्थान)

मन्दिर श्रीरंगजी श्रीमननारायण जर्ये मोहनलाल सोनी वगैराह - अपीलांट
बनाम
श्रीमती अनिता दाउदयाल वगैराह - रेस्पोंडेन्ट

दीवानी अपील नं. 4 सन् - 2009
बनाम

2/1- पूजा रघुवंशी पत्नी महेन्द्रप्रताप (विधवा) जाति स्वर्णकार निवासी हाऊस नम्बर 11, गली नम्बर 9 वेस्ट आजाद नगर पूर्वी दिल्ली
2/2- सिपरन रघुवंशी पुत्री महेन्द्रप्रताप जाति स्वर्णकार निवासी हाउस नम्बर 11 गली नम्बर 9 वेस्ट आजाद नगर पूर्वी दिल्ली
2/3- प्रियांशी रघुवंशी पुत्री महेन्द्रप्रताप जाति स्वर्णकार निवासी हाउस नम्बर 11 गली नम्बर 9 वेस्ट आजाद नगर पूर्वी दिल्ली
2/4- कृष्णा पुत्र महेन्द्रप्रताप रघुवंशी जाति स्वर्णकार निवासी हाउस नम्बर 11 गली नम्बर 9 वेस्ट आजद नगर पूर्वी दिल्ली
2/9- माधवी शंकर पत्नी विशाल शंकर निवासी पी-232, प्रशांत विहार नई दिल्ली-110085

चूंकि अपीलान्ट ने इस अदालत में तारीख 28 अप्रैल 2009 को मन्दिर श्री रंगजी श्रीमननारायण जर्ये मोहनलाल वगैराह बनाम अनिता दाउदयाल वगैराह दायर की जिसमें दाउदयाल जो कि बाद में फौत हो गया है और चूंकि अपीलान्ट मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आम मुतवफ्फी रेस्पोंडेन्ट दाउदयाल मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप उक्त कायम मुकामना बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बवर्ज जवाब देही 15 जनवरी 2020 की आलत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने मुकद्दमा आपकी गैर हाजिर में सुना व फैसला किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 13 माह 12 सन् 2019 को जारी किया गया।

आदेशानुसार
मोहर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश झालावाड़ (राज.)

इण्डियन ओवरसीज बैंक

परिसम्पत्ति की वसूली प्रबंध शाखा
रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
फोनः 011-25758124, ई-मेलः iob1997@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जैसा कि यहां नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार बैंक के बकाए तथा ब्याज की वसूली के लिए ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाए के भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेब पोर्टल http://auctions.magicbricks.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

ऋणधारक का नाम एवं पता	मै. एयरवर्थ ट्रैवल एंड टूर्स प्रा. लि., 506, मनीशा बिल्डिंग, 75-76, नेहरु, प्लेस नई दिल्ली-110019
मॉर्टगैजर/गारंटरों का नाम एवं पता	1. श्री गौरव मेहरा एवं श्रीमती सोनिला मेहरा 11, बाबर रोड, 2 रा तल,, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-01, साथ हीं: अपार्टमेन्ट नं. सी-3/जी 01, जी एफ, द प्राणायाम, सेक. 82-85, फरीदाबाद-121004, साथ हीं: फ्लैट नं. 85, 2रा तल, डीडीए एमआईजी कैटगरी II, पॉकेट II, सेक्टर-12, द्वारका-110075, साथ हीं: 508, माउन्ट कैलाश अपार्ट.III, टावर ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली-65, साथ हीं: 506, मनीशा बिल्डिंग, 75-76, नेहरु, प्लेस नई दिल्ली-110019
एनपीए की तिथि	16.08.2014
मांग सूचना तिथि	22.03.2019
मांग सूचना में मांगी गई राशि	13.03.2016 को रु. 44,41,89,027/- तथा आगे का ब्याज एवं लागत
कब्जा सूचना की तिथि	24.05.2017 एवं 13.06.2017
कब्जा सूचना में मांग की गई राशि	13.06.2017 को रु. 54,01,12,129/- के साथ आगे का ब्याज एवं लागतों
* स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट बकाया (सम्पत्ति कर, वाटर सीवरेज, बिजली बिल आदि	क्रेता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
अचल सम्पत्ति का विवरण	
लॉट नं. 1. फ्रीहोल्ड फ्लैट नं. जी-01, भू तल, टावर-3, ब्लॉक सी, प्राणायाम अपार्टमेन्टस, सेक. 82 एवं 85, फरीदाबाद, हरियाणा, सुपर एरिया 1857 वर्ग फीट। लॉट नं. 2. फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नं. 85, केटगरी-II, 2 रा तल, पॉकेट-II, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली, कवर्ड एरिया 750 वर्ग फीट (लगभग) (सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है।)	
आरक्षित मूल्य	लाट नं. 1: रु. 71.31 लाख लॉट नं. 2: रु. 75.76 लाख (आईटी अधिनियम की धारा 194 Iए के अनुसार 1% टीडीएस आरक्षित मूल्य में शामिल है।
नीलामी की तिथि एवं समय	6.1.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के असीमित विस्तार के साथ।
ईएमडी	लॉट नं. 1: रु. 7.14 लाख लॉट नं. 2: रु. 7.58 लाख
बोली गुणक	रु. 10,000/-
स्वतः विस्तार समय	5 मिनट
ज्ञात अधिभार यदि कोई हो	ज्ञात नहीं
निरीक्षण तिथि एवं समय	बैंक की पूर्व-अनुमति के साथ
ईएमडी के साथ बोली के लिये आन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	4.1.2020 (5.00 बजे अप.)

*** बैंक के बकाए को अन्य सांविधिक बकाए पर वरीयता दी जाएगी।**

* इस सूचना को ऋणधारक/ गारन्टरों/ मार्टगेजरों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली-2002 के नियम-8 (6) के अंतर्गत 15 दिनों की सूचना मानी जाए।

नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया देखेंः https://www.iob.in/e-Auctions.aspx, https://auctions.magicbricks.com

सम्पत्ति के निरीक्षण/ ई-नीलामी से सबंधित विस्तृत विवरणों के लिये इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एआरएम शाखा, रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008 से कार्यावधि के दौरान सम्पर्क करें अथवा श्री अमन दीप सिंह (एएम): 964330180, बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मैजिक ब्रिक्स रिअलिटी सर्विसेस लि., auction हेल्पलाईन नं. 9212346000, मोहित शर्मा, मो. 9837778407, auction हेल्पलाईन ईमेल आईडी auction@magicbricks.com तथा mohit.sharma5@magicbricks.com से सम्पर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी,**
तिथिः 17.12.2019 **इंडियन ओवरसीज बैंक**

www.readwhere.com

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (पश्चिम)-I
ओ.एण्ड.टी. बेरीवाला बाग, सुभाष नगर, नई दिल्ली-110064
प्रेस निविदा सूचना सं. 70/डब्ल्यू-I (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	ई-प्राप्त सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	पश्चिम के अंतर्गत वार्ड नं. 18एस, एसी 30, जनकपुरी में डी-2 ब्लॉक, जीवन पार्क में उप-विभाजित प्लॉटों में नये वाटर लाइन का प्रावधान तथा बिछाना। निविदा आईडी: 2019_DJB_185615_2	रु. 30,10,178/-	26.12.2019 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता/-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/665 — कार्यपालक अभियंता (डब्ल्यू) I

झारखंड में प्रियंका आज मांगेंगी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

झारखंड विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणामों की उम्मीद कर रही कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पांच जनसभाओं के बाद अब महासचिव प्रियंका गांधी को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया है। प्रियंका बुधवार को आदिवासी बहुल पाकुर व बरहेत विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ होंगे।

झारखंड में चुनाव प्रचार का प्रबंधन संभाल रहे कांग्रेस नेताओं की मानें तो सूबे के आदिवासी बहुल इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुओ) का अच्छा खासा प्रभाव है जबकि पाकुर सीट कांग्रेस के ही पास है। वहां से आलमगीर आलम पिछले विधानसभा में चुनाव जीते थे। इसबार झामुओ और कांग्रेस एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं और संथालपरगना के इस इलाके की 16 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस चार सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभाएं इस तरह से आयोजित की गई हैं कि बाकी क्षेत्रों पर भी उसका असर हो।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड में अब तक पांच जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने गोड्डा में हुई जनसभा में देश भर में महिलाओं से हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर जो बयान हाल ही में दिया था उसको लेकर सड़क से संसद तक हंगामा हुआ और भाजपा की ओर से माफी भी मांगी गई जिसे राहुल ने साफ ठुकरा दिया। कांग्रेस प्रबंधकों का दावा है कि राहुल की जनसभाओं में भी अच्छी भीड़ जुटी और प्रियंका गांधी की जनसभा से भी उन्हें काफी उम्मीदें हैं।

कांग्रेस के सचिव प्रणव झा ने कहा कि अब तक हुए विभिन्न चरणों में कांग्रेस गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जनसभाओं में जुटी भीड़ से साबित हो गया कि कांग्रेस को लोगों का भरी समर्थन हासिल है। अब प्रियंका गांधी की चुनावी सभाओं से भी बेहद फायदा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रियंका की सभाओं के आयोजन को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी, धन खरीद का अधिकतम मूल्य सबसे ज्यादा निर्धारित किए जाने आदि फैसलों का झारखंड में भी व्यापक असर है और जाहिर तौर पर उनकी मौजूदगी एक प्रकार से झारखंड के मतदाताओं के लिए एक प्रकार का आश्वासन भी होगी।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, पंजीकृत **कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 23.12.2019

Rania-(HA): MAL-3718, 4397, 4402, MSL-10840, 10911, 11058, MUL-1720, MWS-484, 490, 761, 766, 950, 963, 984, 1016, 1024, 1210, 1246, 1306, 1320, 1341, 1375, 1377, 1384, 1396, 1444, 1448, 1502, 1506, 1519, 1536, 1538, 1548, 1567, 1586, 1590, 1593, 1602, 1604, 1621, 1629, 1633, 1654, 1725, 1768, 1770, 1788, 1791, 1803, 1805, 1824, 1878, 1936, 1954, 1960, 1964, 1990, 2056, 2060, 2176, 2205, 2245, 2313, 2384, 2497, 2576, 2618, 2746

नीलामी की तिथि: 24.12.2019

Mandi Kalanwali-(HA): MAL-499, MBL-506, MGL-594, 808, 1029, 1032, 1037, 1061, 1129, 1169, 1274, 1306, 1348, MSL-1618, 1655, 1703, 1715, MUL-63, 74, 159, 216, 228, 229, 280, 288, 309, 310, 311, 363, 365, 408, 456, 529, 622, 642, 683, 723, 740, 742, 762, 785, 837, 892, 950, 966, 1014, 1028, 1062, 1063, 1064, 1066, 1089, 1110, 1111, 1123, 1134, 1158, 1165, 1171, 1188, 1199, 1248, 1249, 1263, 1264, 1275, 1276, 1299, 1300, 1313, 1327, 1341, 1362, 1366, 1376, 1424, 1465, 1474, 1480, 1499, 1500, 1509, 1511, 1553, 1580, 1583, 1584, 1588, 1608, 1610, 1641, 1645, 1657, 1659, 1660, 1698, 1699, 1704, 1775, 1795, 1821, 1862, 1922, 1951, 1952, 2036, 2064, 2378

नीलामी की तिथि: 26.12.2019

Mandi Dabwali-(HA): MAL-1525, 1647, 1663, 1684, 1731, 2052, MGL-1308, MSL-5468, 5728, 5750, 9015, 9016, 9174, 9210, 9211, 9223, 9246, 9428, 9443, 9472, 9511, 9521, 9628, 9635, MUL-15, 261, 262, 325, 417, 443, 445, 614, 628, 646, 713, 836, 867, 871, 874, 936, 961, 966, 970, 983, 1000, 1021, 1044, 1071, 1092, 1150, 1154, 1186, 1208, 1224, 1248, 1275, 1288, 1311, 1316, 1343, 1368, 1372, 1380, 1395, 1401, 1426, 1432, 1434, 1465, 1538, 1552, 1553, 1639, 1640, 1645, 1647, 1648, 1668, 1670, 1707, 1725, 1728, 1749, 1752, 1753, 1754, 1755, 1768, 1844, 1849, 1858, 1889, 1915, 1923, 1924, 1925, 1937, 1946, 1961, 1988, 1994, 2025, 2037, 2058, 2076, 2096, 2198, 2201, 2330, 2346

नीलामी की तिथि: 27.12.2019

Ellanabad-(HA): MAL-964, 1015, 1116, 1242, MSL-2362, MUL-296, 698, 709, 717, 730, 833, 843, 989, 1083, 1095, 1141, 1176, 1197, 1243, MWS-50, 96, 99, 117, 120, 211, 308, 360, 410, 516, 543, 591, 598, 643, 663, 748, 751, 753, 771, 772, 797, 798, 805, 816, 826, 827, 831, 840, 844, 861, 863, 869, 873, 893, 894, 910, 916, 957, 964, 978, 996, 999, 1005, 1036, 1043, 1045, 1049, 1063, 1108, 1110, 1123, 1126, 1131, 1183, 1285, 1310, 1428, 1469, 1501, 1518, 1739, 1781

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 27.12.2019

Ellanabad-(HA): MWS-1163

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, पंजीकृत **कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 23.12.2019

Faridabad-Neelam Flyover: MAL-1773, MUL-697, 850, 876, 888, 891, 964, 967, 990, 1001, 1008, 1012, 1084, 1114, 1125, 1149, 1150, 1167, 1185, 1192, 1218, 1231, 1238, 1260, 1282, 1295, 1296, **Faridabad-Nehru Ground:** MHP-11, MUL-50, 472, 2289, 2933, 2945, 3021, 3096, 3097, 3104, 3108, 3133, 3135, 3230, 3307, 3435, 3437, 3446, 3549, 3563, 3602, 3605, 3654, 3658, MWS-11, 18, 93, 96, 107, 168, 224, 265, 315, 329, 418, 462, 484, 579, 582, 585, 588, 607, 615, 616, 619, 631, 635, 764, 800, 828, 834, 835, 844, 890, 954, 976, 1017, 1018, 1041, 1062, 1079, 1088, 1108, 1112, 1116, 1153, 1156, 1191, 1225, 1234, 1249, 1267, 1279, 1297, 1364, 1431, 1501, 1521, 1527, 1548, 1567, 1614, 1622, 1633, 1675, 1679, 1734, 1748, 1776, 1796, 1806, 1864, 1868, 1926, 1930, 1951, 1968, 1970, 1985, 1991, 1993, 2012, 2013, 2073, 2075, 2076, 2080, 2100, 2102, 2109, 2134, 2135, 2137, 2138, 2147, 2158, 2199, 2249, 2253, 2254, 2276, 2297, 2308, 2338, 2340, 2341, 2354, 2374, 2393, 2398, 2487, 2503, 2528, 2541, 2609, 2687, 2795, 2803, 2836, 2910, 2922, 2966, 3145, **Faridabad Sector-15:** MUL-511, 514, 590, 597, 615, 616, 630, 648, 697, 739, 746, 750, 862, 865, 922, 946, 1008, **Faridabad Sector-29:** MAL-1357, MUL-1430, 1431, 1479, 1520, 1521, 1529, 1530, 1567, 1572, 1590, 1713, 1735, 1750, 1779, 1781, 1782, 1784, 1785, 1877, MWS-53, 54, 57, 77, 131, 145, 172, 205, 226, 233, 236, 241, 242, 280, 285, 319, 333, 341, 349, 352, 356, 372, 459, 480, 486, 499, 556, 589, 637, 643, 677, 727, 748, 766, 767, 832, 840, 843, 851, 877, 884, 895, 898, 923, 962, 1013, 1087, 1097, 1112, 1164, 1227, 1319, 1364, 1441, 1501, 1584, 1809, 1982, **Faridabad-NIT:** MUL-1210, 1231, 1272, 1401, 1468, 1532, 1552, 1574, 1598, 1600, 1644, 1657, 1780, 1791, 1795, 1797, 1886, 2033, 2050, 2053, 2108, 2114, 2135, 2202, 2206, 2222, MWS-54, 61, 126, 407, 490, **Faridabad Sector-16:** MSL-13238, MUL-874, 1079, 1083, 1100, 1132, 1152, 1161, 1162, 1205, 1222, 1223, 1256, 1282, 1312, 1355, 1363, 1366, 1367, 1415, 1488, 1499, 1501, 1502, 1503, 1517, 1531, 1565, 1590, 1597, 1603, 1631, 1634, 1667, 1668, 1713, 1742, 1751, 1756, 1781, 1812, 1818, 1825, 1827, 1842, 1861, 1915, 1948, 1998, 2032, 2035, 2047, 2069, 2078, 2099, 2105, 2106, 2107, 2154, 2161, 2162, 2198, 2370, 2879, **Faridabad Sector -21C:** MUL-232, 634, 760, 847, 866, 867, 869, 956, 993, 994, 1004, 1009, 1022, 1023, 1071, 1100, 1107, 1162, 1170, 1175, 1214, 1260, 1264, 1269, 1280, 1297, 1303, 1322, 1389, 1400, 1426, 1596, **Old Faridabad-(HA):** MSL-10527, 10634, MUL-863, 941, 942, 956, 1021, 1067, 1109, 1147, 1191, 1194, 1269, 1285, 1359, 1360, 1367, 1396, 1411, 1436, 1455, 1465, 1495, 1496, 1521, 1530, 1552, 1579, 1589, 1608, 1609, 1616, 1621, 1622, 1632, 1646, MWS-63, 116, 187, 191, 303, **Faridabad Sector-17-(HA):** MUL-549, 582, 584, 602, 603, 651, 663, 676, 682, 697, 708, 815, 824, 832, 926, **Ballabhgarh-(HA):** MSL-12988, MUL-1031, 1044, 1058, 1142, 1152, 1178, 1216, 1257, 1273, 1282, 1337, 1375, 1415, 1491, 1540, 1642, 1653, 1663, 1686, 1712, 1720, 1727, 1770, 1917, 1919, 1944, 1961, 1987, 1996, 1999, 2077, 2096, 2124, MWS-22, 58, 266, **Neelam Flyover Sector 20:** MUL-1202, 1253, 1279, 1299, 1348, 1354, 1367, 1534, 1562, 1590, 1656, 1661, 1723, 1764, 1772, 1787, 1789, 1812, 1821, 1882, 1906, 1920, 1926, 1927, 1987, 2035, 2074, 2093, 2107, 2112, 2134, 2167, 2174, 2188, MWS-72, **Faridabad -Sector-55-(HA):** MUL-977, 993, 1166, 1173, MWS-34, 144, 174, 211, 227, 251, 253, 325, 381, 418, 685, 736, 751, 764, 856, 884, 987, 1033, 1092, 1104, 1365, **Faridabad Sector-22:** MUL-676, 705, 735, 797, 830, 864, 910, 1059, 1085, 1144, 1237, 1320, 1326, 1341, 1358, 1365, 1390, 1391, 1468, 1473, 1502, 1516, 1517, 1523, 1544, 1562, 1576, 1595, 1654, **Faridabad Sector-34:** MUL-804, 860, 887, 1084, 1100, 1152, 1164, 1189, 1196, 1233, 1251, 1261, 1282, 1283, 1284, 1318, 1368, 1369, 1370, 1371, 1425, 1584, 1606, 1652, 1674, 1752, 1773, 1807, 1820, 1919, **SGM Nagar:** MUL-309, 342, 347, 359, 456, 457, 480, 496, 546, 600, 629, 668, **Parvatiya Colony:** MUL-476, 574, 588, 594, 623, 657, 669, 690, 696, 773, 791, 796, 797, 799, 812, 827, 854, 864, 879, 890, 910, 919, 924, 939, 984, 1023, 1043, 1063, 1092, 1141, 1183

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहां दिनांक **24.12.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Ground Floor, Premises No. 1 & 2, Susbana Palace, SEC 20 B, Ajronda Chowk, Near Neelam Flyover, Faridabad - 121001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, पंजीकृत **कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 24.12.2019

Delhi-Dilshad Colony: MSL-27594, MUL-1751, 1806, 1831, 1855, 1861, 1900, 1978, 1994, 2045, 2048, 2084, 2100, 2156, 2295, 2299, 2313, 2364, 2400, 2443, 2457, 2473, 2481, 2495, 2526, 2592, 2605, 2615, 2638, 2645, 2652, 2691, 2710, 2718, 2751, 2771, 2786, 2797, 2810, 2873, 2914, 2923, 2954, 2971, 2981, 2997, 3038, 3081, 3083, 3118, 3142, 3143, 3172, 3205, 3217, 3326, 3327, 3328, 3355, 3387, 3418, 3429, 3495, 3696, 3777, 4188, MWS-48, 54, 78, **Shahdra Bhola Nath Nagar:** MUL-648, 679, 747, 789, 799, 801, 814, 895, 901, 937, 969, 984, 1025, 1045, 1134, 1165, 1226, 1227, 1232, 1241, 1248, 1281, 1283, 1371, 1419, 1483, **Rohtash Nagar Shahdra:** MUL-783, 820, 878, 957, 971, 1060, 1075, 1130, 1152, 1167, 1185, 1187, 1228, 1254, 1255, 1302, 1312, 1313, 1314, 1349, 1357, 1361, 1380, 1406, 1428, 1440, 1451, 1457, 1460, 1469, 1492, 1508, 1564, 1576, 1699, **Delhi-Maujpur:** MHL-76, MUL-867, 892, 893, 894, 895, 988, 1037, 1046, 1099, 1111, 1113, 1114, 1116, 1169, 1187, 1202, 1250, 1380, 1422, 1423, 1430, 1471, 1519, 1604, 1605, 1626, 1773, **Kabeer Nagar Shahdra:** MUL-1020, 1463, 1475, 1606, 1607, 1639, 1667, 1704, 1729, 1763, 1770, 1880, 1906, 1932, 1936, 1960, 1982, 2032, 2081, 2099, 2102, 2110, 2125, 2159, 2165, 2181, 2198, 2202, 2206, 2221, 2231, 2243, 2250, 2276, 2277, 2303, 2312, 2316, 2327, 2349, 2377, 2391, 2395, 2412, 2458, 2484, 2487, 2490, 2493, 2516, 2532, 2533, 2543, 2552, 2553, 2555, 2565, 2570, 2608, 2638, 2653, 2658, 2663, 2664, 2679, 2730, 2750, 2789, 2876, 2885, 2900, 2916, 2928, **Yamuna Vihar:** MAL-1016, 1428, MUL-1482, 1484, 1485, 1487, 1488, 1490, 1491, 1521, 1555, 1557, 1571, 1576, 1596, 1620, 1633, 1655, 1682, 1742, 1756, 1768, 1790, 1792, 1793, 1794, 1808, 1839, 1991, 2018, 2024, 2036, 2118, 2178, 2276, 2278, 2291, 2292, 2306, 2311, 2328, 2366, 2460, 2468, 2477, 2508, 2538, 2556, 2573, 2600, 2675, 2690, 2724, 2725, 2726, 2727, 2792, 2841, 2845, 2853, 2861, 2876, 3073, **North Gonda:** MAL-1571, MUL-1403, 1424, 1473, 1494, 1502, 1509, 1511, 1531, 1545, 1598, 1642, 1646, 1657, 1660, 1668, 1682, 1691, 1731, 1776, 1778, 1830, 1985, 1991, 2093, 2102, 2144, 2180, 2194, 2195, 2213, 2271, 2278, 2305, 2358, 2375, 2382, 2398, 2426, 2450, 2473, 2476, 2513, 2532, 2543, 2553, 2563, 2575, 2590, 2682, 2737, 2813, 2842, 3022, 3353, **Naveen Shahdra:** MHL-65, MUL-804, 867, 925, 940, 943, 965, 1037, 1044, 1066, 1069, 1103, 1126, 1127, 1128, 1178, 1182, 1188, 1214, 1237, 1246, 1280, 1285, 1293, 1304, 1306, 1351, 1365, 1379, 1393, 1417, 1454, 1455, 1471, 1472, 1477, 1499, 1502, 1506, 1522, 1550, 1573, 1579, 1604, 1630, 1654, 1659, 1666, 1726, 1845, **Durgapuri Chowk:** MAL-868, MSL-11004, 11298, 11343, MUL-1164, 1246, 1254, 1283, 1301, 1323, 1391, 1430, 1434, 1447, 1612, 1613, 1628, 1635, 1639, 1641, 1665, 1674, 1675, 1676, 1695, 1704, 1710, 1742, 1743, 1746, 1805, 1810, 1814, 1821, 1824, 1826, 1832, 1858, 1898, 1913, 1944, 1958, 1982, 1985, 2020, 2050, 2116, 2175, 2231, 2245, 2282, 2299, 2302, 2348, 2350, 2351, 2353, 2419, 2476, 2509, 2534, 2922, 2942, **Kartar Nagar Road Pushta-4:** MAL-1412, MUL-1369, 1371, 1407, 1437, 1441, 1472, 1549, 1571, 1608, 1629, 1652, 1659, 1731, 1773, 1791, 1792, 1794, 1828, 1843, 1867, 1885, 1894, 1898, 1935, 1969, 1987, 2000, 2001, 2005, 2087, 2097, 2103, 2104, 2106, 2121, 2125, 2190, 2196, 2209, 2235, 2236, 2276, 2277, 2326, 2418, 2424, 2430, 2459, 2508, 2509, 2539, 2549, 2557, 2574, 2577, 2580, 2581, 2593, 2606, 2625, 2637, 2638, 2643, 2652, 2672, 2693, 2697, 2699, 2702, 2739, 2740, 2754, 2765, 2766, 2802, 2806, 2813, 2815, 2936, 3163, 3290, **Dilshad Garden-DDA Mkt. Complex:** MUL-310, 416, 540, 779, 904, 916, 928, 989, 1031, 1040, 1053, 1090, 1131, 1139, 1213, 1219, 1257, 1266, 1305, 1323, 1393, 1412, 1477, 1481, 1490, 1501, 1502, 1504, 1547, 1552, 1562, 1656, 1693, 1725, 1748, 1840, 1880, **Shahdara Chhota Bazar:** MUL-543, 560, 571, 612, 626, 826, 848, 937, 963, 968, 1000, 1084, **Shahdara-Loni Road:** MAL-784, MUL-859, 860, 939, 944, 974, 988, 1017, 1032, 1040, 1043, 1060, 1065, 1074, 1090, 1098, 1112, 1153, 1155, 1174, 1195, 1284, 1334, 1340, 1353, 1355, 1361, 1398, 1476, 1501, 1505, 1511, 1513, 1518, 1531, 1538, 1556, 1566, 1570, 1578, 1600, 1601, 1612, 1615, 1620, 1623, 1635, 1640, 1662, 1753, 1798, 1837, 1873, 1906, 2036, **Khajuri Khas:** MUL-492, 498, 560, 562, 593, 694, 736, 738, 765, 799, 801, 816, 830, 857, 868, 915, 923, 928, 934, 948, 1001, 1062, 1093, 1101, 1102, 1192, 1214, 1288, **Karawal Nagar:** MUL-1355, 1451, 1463, 1520, 1526, 1532, 1538, 1619, 1625, 1626, 1627, 1635, 1676, 1737, 1740, 1760, 1766, 1798, 1814, 1821, 1841, 1880, 1886, 1914, 1959, 1962, 1979, 1993, 2029, 2053, 2060, 2096, 2170, 2172, 2179, 2200, 2212, 2219, MWS-12, 43, 73, 146, 194, 230, 266, 288, 302, 354, 396, 447, 498, 502, 548, 552, 673, 898, 1163

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहां दिनांक **26.12.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, 1/5876-A/2, Loni Road, Kabul Nagar, Delhi - 110032** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

TATA टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400 013.

संशोधन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.12.2019 को इसी समाचार पत्र में **''अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना''** शीर्षक से **ऋणी राधा गुप्ता** के प्रकाशित विज्ञापन में त्रुटीवश: कंपनी का नाम **टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड** के स्थान पर **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनांस लिमिटेड प्रकाशित हो गया है, जिसे टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड पढ़ा जावें।** शेष विवरण यथावत रहेगा।

ह/-
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल फाईनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सैक्टर – 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक की निम्नलिखित प्रतिभूतियों के शेयर सर्टिफिकेट खो गए/गुम हो गए हैं तथा इन शेयर धारकों ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बैंक को आवेदन किया है। कोई व्यक्ति, जो इन शेयरों के बारे में दावा रखता हो, अपना दावा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, नई दिल्ली – 110058 के पास इस तिथि के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा बैंक आगे कोई सूचना दिए बिना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की कार्यवाही करेगा।

डीओसी सं.	फोलियो सं.	शेयर धारक का नाम	सर्टिफिकेट सं.	विशिष्ट सं.	शेयर की संख्या
3862	00530531	लाल चंद सिंह	335273	161527101 -161527200	100
3863	00277346	सर्वजीत कौर बहल	526220	180621801 -180621900	100
3864	00150277	सुमन जैन	328245	160824301 -160824400	100

स्थान : गुरुग्राम — महाप्रबंधक
दिनांक : 17.12.2019 — मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग

अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर दायर याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने मुसलिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने संबंधी केंद्र की 26 साल पुरानी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि समूचे भारत की आबादी के परिप्रेक्ष्य में धर्म पर विचार किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य में आबादी के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए दिशानिर्देश के वास्ते भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने उपाध्याय की याचिका खारिज करते हुए कहा– समूचे भारत के आधार पर धर्म पर विचार करना चाहिए। इसमें क्या परेशानी है अगर कश्मीर में मुसलिम बहुमत में हैं लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यक हैं। उपाध्याय ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि किसी भी धार्मिक समुदाय को किसी राज्य विशेष में उनकी आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने दावा किया था कि आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन उन्हें वहां अल्पसंख्यकों के लाभों से वंचित किया जा रहा है।

पीठ ने कहा– भाषाएं तो राज्य के आधार पर सीमित हैं। धर्म की तो राज्य सीमाएं नहीं हैं। हमें इस मामले में अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। लक्षद्वीप में मुसलिम तो हिंदू कानून का पालन करते हैं। पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि शीर्ष अदालत के कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक समूह के अल्पसंख्यक होने का निर्धारण उसकी अखिल भारतीय आबादी के आधार पर किया जा सकता है। अटार्नी जनरल इस मामले में अदालत की मदद कर रहे थे।

इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहन पराशरण से पीठ ने ऐसे फैसलों के बारे में जानना चाहा जिनमें कहा गया है कि राज्य की आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने के सवाल पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय के लिए दिशानिर्देश कैसे बनाए जा सकते हैं। जजों ने टिप्पणी की– हम नहीं समझते कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। राज्यों के सृजन के लिए भाषाओं को आधार बनाया गया है लेकिन धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। अतः राज्य की आबादी के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

HDFC हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
शाखा : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल70100एमएच1977पीएलसी019916, वेबसाइट : **www.hdfc.com**

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (क्रियान्वयन) विनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित क्रियान्वयन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अधीन।

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित क्रियान्वयन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लिमिटेड)** के अधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार और प्रतिभूति हित (क्रियान्वयन) विनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत यहां सूचीबद्ध ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) को मांग सूचनाएं देते हुए संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में उल्लिखित राशियों का भुगतान करने का आग्रह किया। अधोहस्ताक्षरी ने इन सूचनाओं को कथित ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) के अंतिम ज्ञात संबंधित पतों पर चिपकाने की व्यवस्था की। कथित सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं और कथित ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों), यदि इच्छुक हों अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति किसी कार्य दिवस में सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त के संदर्भ में कथित ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि ऋण करार और ऋणी के क्रियान्वित/लिखित अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर उनके नाम उल्लिखित राशियों के साथ-साथ निम्नलिखित कॉलम (ग) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या प्राप्ति की तिथि तक 18% सालाना की दर से मांग सूचनाओं में उल्लिखित ब्याज की राशि का **एचडीएफसी लिमिटेड** को भुगतान कर दें। ऋण का नियत पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कथित ऋणी की **एचडीएफसी लिमिटेड** के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत संपत्ति गिरवी रखी है :

ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति/संपत्तियों को वापस हासिल करने के लिए उपलब्ध समय की ओर कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) का नाम	कुल बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत सम्पत्ति(यों)/ अचल सम्पत्ति(यों) का विवरण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
1.	श्री चक्रवर्ती राकेश	31 जुलाई, 2019 को रुपये 13,68,979/-*	11 सितंबर, 2019	फ्लैट नं. 1105, 11वीं मंजिल, आदित्य अरबन होम्स, टॉवर ई, क्र. सं. 2243, 2244, 2246, 2247, 2375, बम्हेटा एनएच-24, गाजियाबाद – 201001
2.	श्री आयुश दुबे (खाता सं.: 610353302)	31 अक्टूबर, 2019 को रुपये 82,19,440/-*	02 नवम्बर, 2019	फ्लैट नं. डी2/402, 4वीं मंजिल, बेलमोन्ट पार्क-डिविन II, क्र.सं. 287/2(पीईकेआई), 286/1/2, 2828/1/1(केए), 288/3, 286/1/1(केएच), 288/1/1, 286/1/1(जीए), एडीएम 5.76, ग्राम केलोद हाला, नजदीक आईडीएज स्कीम-78 पार्ट-II, इंदौर, मध्य प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
3.	श्री रतन लाल डे एवं सुश्री प्रीती डे (खाता सं.: 587647301)	31 अक्टूबर, 2019 को रुपये 6,20,228/-*	04 नवम्बर, 2019	ए3, टाईप नं. बीएल-1/5, मतकल नीमता पीएच-II हाउसिंग प्रोजेक्ट, ए3 ब्लॉक-1, होल्ड नं0-191, रविन्द्र सरनी एसटी जे. एल. नं. – 08, मौजा-दक्षिण निमता, कोलकाता और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
4.	श्री देव नाथ पाठक (खाता सं.: 612498331)	30 सितम्बर, 2019 को रुपये 15,56,230/-*	31 अक्टूबर, 2019	फ्लैट-ई/यूएच-308, तीसरी मंजिल, टॉवर – ई, आदित्य अरबन होम्स, सर्वे नं. 2243, 2244, 2246, 2375, बम्हेटा, एनएच-24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
5.	श्री सौरव सिंह एवं श्री ऋषव सिंह (खाता सं.: 610984711)	30 सितम्बर, 2019 को रुपये 33,63,440/-*	31 अक्टूबर, 2019	फ्लैट नं. बी-1001, 10वीं मंजिल, इलेजेन्ट विल्ले ब्लॉक बी, प्लॉट नं. जीएच-06, टेक जोन-IV नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
6.	श्री रवि वाधवा (खाता सं.: 608864007)	31 अक्टूबर, 2019 को रुपये 34,23,799/-*	01 नवम्बर, 2019	फ्लैट नं. 404, 4वीं मंजिल, एसडीएस एनआरआई रेजीडेंसी टॉवर टी-5, जीएच-04ए, सेक्टर 45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
7.	श्रीमती ईशु गुप्ता (स्व0 नरिन्दर कुमार (कर्जदार) की पत्नी/कानूनी उत्तराधिकारी) (खाता सं.: 636290177)	30 नवम्बर, 2019 को रुपये 85,43,088/-*	12 दिसम्बर, 2019	प्लॉट नं. बी-76, में संपूर्ण भू-तल, उप्पल्स साउथएंड, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गांव, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
8.	श्री हरप्रीत सिंह क्वात्रा एवं सुश्री सुरिन्दर क्वात्रा (खाता सं.: 602211738, 617151143, 624256074, 623718040 एवं 617881971)	30 सितम्बर, 2019 को रुपये 31,02,853/-*	16 अक्टूबर, 2019	फ्लैट नं. 1902, 19वीं मंजिल, टॉवर 8, श्री सी लोटस पांचे, प्लॉट जीएच-05, सेक्टर 110, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
9.	श्री अनिल कुमार यादव (ऋण खाता सं.: 614305602 और 609048729)	31 जुलाई, 2019 को रुपये 8,73,038/-*	05 सितम्बर, 2019	फ्लैट नं. 334, उपरी मंजिल, ब्लॉक-सी, सेक्टर ओमीक्रोन-Iए, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

*साथ ही, 18% सालाना ब्याज जैसा कि लागू है, संबंधित खर्च, हर्जाना, शुल्क आदि जो पुनर्भुगतान और/या प्राप्ति तक दिए गए।

यदि इसके बाद भी ऋणी **एचडीएफसी लिमिटेड** को उपरोक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो एचडीएफसी लिमिटेड उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति/अचल संपत्ति पर कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्यवाही शुरू करेगी और संबंधित नियम लगाएगी जिसके किसी जोखिम जैसे खर्च और दुष्परिणाम के लिए केवल ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) जिम्मेदार होगा।

कथित अधिनियम के तहत **एचडीएफसी लिमिटेड** की लिखित अनुमति के बिना ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों) के लिए बिक्री, लीज या अन्य किसी माध्यम से प्रतिभूत संपत्ति/अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है। इस अधिनियम के प्रावधानों या इनके अंतर्गत बने नियमों का खुद उल्लंघन करने या उल्लंघन को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कैद और/या जुर्माना किया जा सकता है।

दिनांक : 17 दिसम्बर, 2019 — कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
स्थान : नई दिल्ली — हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय : रेमन भवन, एचटी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई– 400020

सभी गांवों में 2022 तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

2022 तक देश के सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान' की शुरुआत की गई है। इसके तहत अगले कुछ सालों में सात लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके तहत मोबाइल टॉवर की संख्या दस लाख तक पहुंचाई जाएगी जो वर्तमान में साढ़े पांच लाख के आसपास है।

केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद और संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने मंगलवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हमारा उद्देश्य मोबाइल और इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि 2022 तक देश के हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा और देश में मोबाइल टॉवर की संख्या दस लाख हो जाएगी। इस अभियान के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और विकास के लिए डिजिटल ढांचा तैयार होगा।

COURT NOTICE
In the court of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgements as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-030787-2016
NEXT DATE: 04-01-2020
M/s Crystal Crop Protection Pvt Limited
V/s
Naresh Mandal
Notice To: Naresh Mandal Prop M/s Mandal Trading, Araria Road, Raniganj, Distt Araria - 854334 Bihar
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **04-01-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law in your absence. For details logon to
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgements as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-052881-2017
NEXT DATE: 06-01-2020
M/s Hero Ecotech Limited
V/s
Gaurav Gupta
Publication Issued To: Gaurav Gupta Address- Prop Of M/s Bon Ton, Plot No. 275, Sec-4, Opp. Ram Prastha Green, Vaishali, Ghaziabad, U.p
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **06-01-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law in your absence. For details logon to
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

www.readwhere.com

नागरिकता कानून भारतीयों की नागरिकता नहीं छीनेगा : नायडू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बांग्लादेश के प्रशिक्षु राजनयिकों से मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का उद्देश्य धर्म के आधार पर उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देना है। किसी धर्म के भारतीयों से उनकी नागरिकता छीनना इसका मकसद नहीं है।

नायडू ने कहा कि भारत जानता है कि म्यांमा के रखाइन राज्य से लाखों की संख्या में विस्थापित लोगों के आने से बांग्लादेश पर कितना अधिक भार है और इन विस्थापित लोगों के प्रति ढाका ने जो मानवीय रुख दिखाया है, वह सराहनीय है।

उप राष्ट्रपति के सचिवालय की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार, उन्होंने कहा कि विस्थापित रोहिंग्या लोगों को म्यामां वापस भेजने में, म्यांमा के साथ उसके द्विपक्षीय प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन पर बांग्लादेश भरोसा कर सकता है।

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में पूर्वोत्तर में प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन और गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उप राष्ट्रपति ने यह बयान आया है। नायडू ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने पड़ोस में शांति व स्थिरता और अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत संबंध चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कश्मीर मुद्दे का अब समाधान हो चुका है। उन्होंने सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी संगठनों को प्रशिक्षित करने, उन्हें मदद देने, उकसाने और वित्त पोषित करने के पड़ोसी देश के प्रयासों की भर्त्सना की।

उन्होंने प्रशिक्षु राजनयिकों से कहा कि दुनिया अब बहु ध्रुवीय हो गई है और अब नई वैश्विक सच्चाई को दर्शाने के लिए बहुपक्षीय संगठन के नए सिरे से गठन का वक्त है। नायडू ने कहा कि भारत के लिए बांग्लादेश बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश हमारे लिए खास है। इसलिए आपका भारत दौरे पर आना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है।' उन्होंने कहा कि भारत का हमेशा यह मानना है कि मजबूत, स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश भारत के हित में है और वर्ष 2041 में विकसित देश बनने की ओर आपकी यात्रा में हम आपके साझेदार बनना चाहते हैं।

हिंसक प्रदर्शनों पर रेल राज्य मंत्री ने दिया विवादित बयान

बेंगलुरु, 17 दिसंबर (भाषा)।

नागरिकता (संशोधन) कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है।

रेल राज्य मंत्री ने हुब्बली में कहा, 'यदि कोई व्यक्ति रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तब मैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से 'सख्त कार्रवाई' करने को कहूंगा, ठीक उसी तरह जैसे कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत संघ में हैदराबाद के विलय के दौरान कदम उठाया था।' यह पूछे जाने पर कि सख्त कार्रवाई से उनका मतलब क्या है, रेल राज्य मंत्री ने कहा, 'सख्त कार्रवाई का मतलब है कि देखते ही गोली मार दी जाए।' दरअसल, संवाददाताओं ने नागरिकता (संशोधन) कानून से जुड़े प्रदर्शनों के चलते रेलवे संपत्ति को पहुंचाए जा रहे नुकसान को रोकने के लिए कदमों के बारे में उनसे पूछा था। जिस पर उन्होंने यह बात कही।

ब्रह्मोस मिसाइल के दो संस्करणों का सफल परीक्षण

बालासोर (ओड़ीशा), 17 दिसंबर (भाषा)।

भारत ने बेहद सटीक तरीके से निशाना साधने की क्षमता को परखने के लिए मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के दो संस्करणों का अलग-अलग सफल परीक्षण किया।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि सुबह लगभग साढ़े आठ बजे बालासोर के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) लॉन्च पैड-3 से एक स्वचालित मोबाइल लॉन्चर के जरिए ब्रह्मोस के जमीनी संस्करण का प्रायोगिक परीक्षण किया गया।

उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस के हवाई संस्करण का परीक्षण दोपहर बाद किया गया जिसमें कलाईकुंड वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा में आ रहे लक्ष्य पर निशाना साधकर मिसाइल दागी।

रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक सूत्र ने बताया कि लक्ष्यों पर बेहद सटीक निशाना साधने की मिसाइल की क्षमता को परखने के लिए ये परीक्षण किए गए। परीक्षण सफल रहे और सभी मानक पूरे कर लिए गए।

ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने वाली रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों या जमीन से दागा जा सकता है। 2.5 टन वजनी यह मिसाइल लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — जहां सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शाखा : राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008,
फोन : 011-25822306, 25823304, 25825784, 25711836, ईमेल : d0606@psb.co.in

ई-नीलामी सूचना

चल/अचल बंधक सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना,
ईएमडी (धरोहर राशि) तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 03.01.2020 को सांय 4.00 बजे तक

बैंक के प्रभाराधीन चल एवं अचल आस्तियों की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री। **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारीगण निम्नलिखित ऋण खातों में नीचे दिए विवरण के अनुसार बैंक की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत नीचे खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की गई सूचना के अनुसरण में अधोवर्णित सम्पत्तियों का कब्जा उनको **"जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है"** आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित प्राप्त कर चुके हैं और जबकि बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि की वसूली का प्रस्ताव किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री **https://www.disposalhub.com** वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अच/अचल सम्पत्ति का विवरण

शाखा का नाम एवं खाते/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	ई-नीलामी की तिथि/समय	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि (सुरक्षित ऋण)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
पीएसबी, राजेन्द्रा प्लेस मैसर्स एल फिन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. और श्री मनजीत सिंह ओबेरॉय और सुश्री रूपिंदर कौर और संधीर सिंह ओबेरॉय पुत्र श्री मनजीत सिंह ओबेरॉय	सम्पत्ति नं. 237, ब्लॉक -एच, क्षेत्रफल 324 वर्ग मी., विकासपुरी, नई दिल्ली में स्थित है, यह सम्पत्ति श्री मनजीत सिंह ओबेरॉय पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह ओबेरॉय के नाम पर है। दस्तावेज नं. 12815 अति बुक नं. 1 वाल्यूम नं. 11685, पेज नं. 38 से 40, दिनांक 30.07.2004 को पंजीकृत।	₹ 806.00 लाख ₹ 80.60 लाख ₹ 1,00,000/-	30.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक	04-01-2020 दोपहर 12.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	15.02.2017 रु. 26,06,10,316/- दिनांक 30.11.2019 तक ब्याज सहित प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि	ACCOUNT NO. A/c Name : EMD AUCTION ACCOUNT 06061100068519 Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE, PSIB0000606
	सम्पूर्ण प्रथम तल, द्वितीय तल और तीसरा तल, और साथ में छत/टेरेस के अधिकार सहित, उसके ऊपर के तल का भी अधिकार सहित, फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. डब्ल्यू जेड-के-6, खसरा नं. 56 में से, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, तीनों तरफ से खुला, खसरा नं. 56 में से, गाँव नांगली जालिब, कॉलोनी जिसे अब महावीर नगर कहते है, मेन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मनजीत सिंह के नाम पर है।	₹ 230.00 लाख ₹ 23.00 लाख ₹ 1,00,000/-	31.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक	04-01-2020 अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक		

नियम व शर्तें:-

1. ई-नीलामी **"जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जोभी है"** आधार पर आयोजित की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति/यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन, बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. **बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने की बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।**
4. **इच्छुक बोलीदाता जिन्होने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए हैल्प लाईन न. +91 - 124 4233933, +91 98100 29926, हैल्प लाईन ई-मेल आईडी: csd@disposalhub.com से सम्पर्क कर सकते है और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रेम शंकर सिंह, मो. नं. 9810435681 से बैंक के कार्यदिवस के दौरान सम्पर्क कर सकते है।**
5. एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही, वेलिड यूजर आई डी और पासवर्ड धारक बोलीकर्ता ही ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
6. दिनांक 03.01.2020 समय अप. 04.00 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी ईएमडी जो आरक्षित मूल्य से कम न हो, जमा करने वाले इच्छुक निविदाकार ई-निविदाकरण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त संपत्तियों की ई-नीलामी प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि और समय पर निविदाकारों के बीच परस्पर बोली द्वारा आयोजित की जायेगी। निविदाकार प्रत्येक संपत्ति के लिए कॉलम "बोली वृद्धि राशि" के तहत बतायी राशि के गुणक के अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे। यदि ई-नीलामी समाप्ति के अंतिम 5 मिनटों में कोई बोली की जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ (5 मिनट अवधि के सीमित विस्तारों के तहत) जायेगा। निविदाकार जो ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्ति पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम न हो) जमा करता है वह सफल बोलीकार घोषित किया जायेगा और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से इस प्रभाव की सूचना दी जायेगी जो प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत लेनदार द्वारा अनुमोदन के तहत होगी।
7. सफल बोलीकार की धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री राशि में समायोजन के लिए रोक ली जायेगी और असफल निविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं होगी। सफल बोलीकार को ईएमडी राशि समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य की 25% राशि बोली मूल्य स्वीकार होने की 48 घंटों में प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और बिक्री मूल्य की शेष 75% राशि बिक्री के 15वें दिन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवेक से लिखित में सहमत ऐसी किसी विस्तारित अवधि में जमा करनी होगी। सफल बोलीकार द्वारा भुगतान में चूक पर पूर्व में ऑफर द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा और संपत्ति की पुनः नीलामी की जायेगी और चूककर्ता कर्जदार का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
8. संभावी अर्ह बोलीकार ई-नीलामी की तिथि से पूर्व **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए न तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** जिम्मेदार होगा और इच्छुक बोलीकार स्वयं सुनिश्चित करें कि वे ई-नीलामी में भागीदारी के लिए तकनीकी रूप में सुसज्जित हैं।
9. लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/हस्तांतरण प्रभार, शुल्कों आदि और पूर्व में और भविष्य में किसी को देय सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देयों, करों, दरों, निर्धारण प्रभारों, शुल्क आदि क्रेता को स्वयं वहन करने होंगे।
10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिये किसी या सभी प्रस्ताव (ओं) को स्वीकार या अस्वीकार करने/ई-नीलामी को रोकने/स्थगित/रद्द करने का अधिकार होगा।
11. बोलीकारों को सलाह है कि अपनी निविदा जमा करने और ई-नीलामी में भागीदारी से पूर्व **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** की वेबसाइट **https://www.disposalhub.com/PSB** पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को अच्छी तरह देख-समझ लें।

सरफासी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 30 दिनी बिक्री सूचना

नोटः यदि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया तो उपरोक्त तिथि पर प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी आयोजित करने के संबंध में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत उपर्युक्त ऋण के कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को यह भी एक सूचना है।

तिथि : 17.12.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई-नीलामी द्वारा)

वित्तीय सम्पत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा गया

इस प्रकार आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित बंधक को बंधक/चार्ज किया गया है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है कार्पोरेशन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के अधिकारी, नीचे बताए गए दिनांक पर 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा, जैसा कि कार्पोरेशन बैंक से यहां उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं)। रिजर्व प्राइस (न्यूनतम मूल्य) और कम से कम जमा किये जाने वाले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का भी यहां उल्लेख किया गया है।

क्र. सं0 1	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहांपुर शाखा (1150) A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	ऋणकर्ता- 1 (ए) मैसर्स आदित्य ऑरनामेंटस प्रोप. दीपक कुमार रस्तोगी पता मोहल्ला मतानी, ओ के खन्ना एडवोकेट की बगिया के पास, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001, 1 (बी) श्रीमती विभा रस्तोगी पत्नी श्री दीपक कुमार रस्तोगी पता 138- मतानी, खन्ना जी की बगिया के पास, शाहजहाँपुर -242001, 2 (ए) गोदावरी पत्नी स्वर्गीय बालक राम रस्तोगी पता: मकान नंबर 138, मोहल्ला मतानी, ओ के खन्ना एडवोकेट की बगिया के पास, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001, 2 (बी) गणेश पुत्र बालक राम, पता: मकान नंबर 87, मोहल्ला मतानी, जिया खेल, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001, 2 (सी) विकास रस्तोगी पुत्र गणेश प्रसाद रस्तोगी, पता: मकान नंबर 87, मोहल्ला मतानी, जिया खेल, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001, 2 (डी) प्रकाश रस्तोगी पुत्र गणेश प्रसाद रस्तोगी, पता: मकान नंबर 87, मोहल्ला मतानी, जिया खेल, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001	रुपये- **30,32,145.01** (रुपये तीस लाख बत्तीस हजार एक सौ पैंतालिस और एक पैसा केवल)

सम्पत्ति का विवरण :-संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित मौहल्ला मतानी, तहसील सदर, शाहजहाँपुर संपत्ति दीपक रस्तोगी के नाम क्षेत्रफल 77.32 वर्ग मीटर संपत्ति की सीमायें-पूर्व: सड़क पश्चिम: श्री राम नारायण तिवारी का मकान उत्तर: सड़क दक्षिण: सड़क
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 41,45,000/- (रुपये इकतालिस लाख पैंतालिस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 4,14,500/- (रुपये चार लाख चौदह हजार पांच सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/aditya_ornaments.pdf

क्र. सं0 2	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
कांधला शाखा A/c No - 510101003619604 IFSC Code-CORP0001338	ऋणकर्ता- 1 (ए) मैसर्स दिनेश चंद एंड संस प्रो. श्री अंशुल टंक माता मंदिर के पास कांधला जिला शामली - 247775 (बी) श्री अंशुल टंक पुत्र श्री दिनेश चंद मोहल्ला रायजादगान, कांधला जिला शामली - 247775 गारंटर 2 (ए) श्री दिनेश चंद पुत्र श्री कामता प्रसाद मकान न. 9/197 ए, मौहल्ला रायजादगान, कांधला, जिला शामली - 247775 (बी) श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री जयचंद जैन मकान नंबर 12, मौहल्ला सर्वज्ञान, कांधला, जिला शामली - 247775	रुपये- **5,33,665.00** (रुपये पांच लाख तैंतिस हजार छः सौ पैंसठ केवल)

सम्पत्ति का विवरण :-वाणिज्यिक संपत्ति के सभी भाग और पार्सल क्षेत्रफल 128 वर्गगज (107 वर्ग मीटर) स्थित मौहल्ला सर्वज्ञान, कांधला तहसील कैराना जिला शामली संपत्ति श्री दिनेश चंद के नाम, सीमायें-पूर्व आबचक के बाद राजेन्द्र कुमार का मकान, पश्चिम: रास्ता, कुआं और मंदिर, उत्तर: आबचक के बाद प्यारे लाल का मकान और दक्षिण- रास्ता
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 13,70,000/- (रुपये तेरह लाख सत्तर हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,37,000/- (रुपये एक लाख सैंतिस हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/dinesh_chand_and_sons.pdf

क्र. सं0 3	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
काशीपुर शाखा A/c No - 520101202371391 IFSC Code-CORP0001284	01. ऋणकर्ता- 1 (ए) मैसर्स जय श्री इंडस्ट्री प्रोप. शशि जोशी पता: गणपति एन्क्लेव के पास, निझारा, रामनगर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड -244713	रुपये- **12,40,228.00** (रुपये बारह लाख चालीस हजार दो सौ अठाईस केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति के सभी भाग और पार्सल भूमि स्थित गांव नीझारा, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड खसरा नंबर 77 मिन., क्षेत्रफल 0.010 हेक्टेयर संपत्ति श्रीमती शशि जोशी पत्नी श्री दिनेश चंद्र जोशी के नाम संपत्ति की सीमायें:- पूर्व: रोहित पागिया की भूमि, पश्चिम: 18 फीट सड़क, उत्तर: श्रीमती शशि जोशी का मकान, दक्षिण: अन्नपूर्णा का मकान [बिक्री विलेख, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 3304, पेज नंबर 133/148, क्रम संख्या 1559 दिनांक 08.02.2013 को उप पंजीयक काशीपुर के कार्यालय में पंजीकृत
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 14,50,000/- (रूपये चौदह लाख पचास हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि- 1,45,000/- (रुपये एक लाख पैंतालिस हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jai_shree_industry.pdf

क्र. सं0 4	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
देवबंद शाखा A/c No - 520101265250230 IFSC Code-CORP0000786	ऋणकर्ता- 1 (ए) कमल कुमार पुत्र मामचंद पता: सी/ओ नरेश कुमार सैनी, कैलाश पुरम, देवबंद, सहारनपुर -247554 1 (बी) मामचंद पुत्र अतर सिंह पता: सी/ओ मनमोहन सरदार कबाड़े वाले, पानी की टंकी के सामने, मौहल्ला किला, देवबंद, सहारनपुर -247554	रुपये- **2,15,345.60** (रुपये दो लाख पंद्रह हजार तीन सौ पैंतालिस और साठ पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण :-ईएमजी आवासीय प्लाट क्षेत्रफल 57.72 वर्ग मीटर (69.03 वर्ग गज) - खसरा नंबर 840/4 का हिस्सा और 840/5 स्थित नूरपुर एंडर हदूद, प्रभात नगर कॉलोनी के पास, देवबंद, सहारनपुर। संपत्ति के मालिक श्री कमल सिंह पुत्र मामचंद संपत्ति की सीमायें- पूर्व: श्री विनोद कुमार का प्लॉट पश्चिम: जोगेंदर का मकान उत्तर: सड़क 16 फीट 8 इंच दक्षिण: विक्रेता का बाकी प्लॉट अब खेमचंद और अन्य का प्लाट
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 9,30,000/- (रुपये नौ लाख तीस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि- 93,000/- (रुपये तिरानवे हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:**
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/kamal_kumar.pdf

क्र. सं0 5	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
कांधला शाखा A/c No - 510101003619604 IFSC Code-CORP0001338	ऋणकर्ता:- मैसर्स मलिक बुक स्टोर प्रोपराइटर नितिन मलिक पुत्र श्री धर्मपाल सिंह पता हिन्दू इंटर कॉलेज के सामने रेलवे रोड, कांधला जिला शामली - 247775 गारंटर:- महेन्द्र सिंह पुत्र श्री परखा, ग्राम किवाना थाना कांधला तहसील और जिला शामली - 247775	रुपये- **4,68,073.50** (रुपये चार लाख अड़सठ हजार तिहत्तर और पचास पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: ईएमजी कमर्शियल दुकान नंबर 11/159/(6 और 7), मौहल्ला मुंदगन, बाई पास रोड कांधला संपत्ति श्री महिंद्र सिंह पुत्र श्री परखा के नाम क्षेत्रफल 37.3 वर्गमीटर। संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: विक्रेता की दुकान, पश्चिम: मुन्ना मिस्त्री की दुकान, उत्तर: बाय पास रोड और दक्षिण: क्रेता की दुकान, थाना कांधला तहसील और जिला शामली
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 1486000/- (रुपये चौदह लाख छियासी हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 148600/- (रुपये एक लाख अड़तालिस हजार छः सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/malik_book_store.pdf

क्र. सं0 6	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
देवबंद शाखा A/c No - 520101265250230 IFSC Code-CORP0000786	ऋणकर्ता: -1 (ए) मूल चंद पुत्र फग्गन सिंह, पता: मकान न. 241/4, मौहल्ला चकबंदी, खंड -2, देवबंद, सहारनपुर -24454 1 (बी) शकुंतला पत्नी मूल चंद, पता: मकान न. 241/4, मौहल्ला चकबंदी, खंड -2, देवबंद, सहारनपुर -24454 गारंटर: 2 (ए) नरेश कुमार पुत्र श्याम सिंह, पता: मकान न. 31/71, मौहल्ला और गांव सकबाड़ी, देवबंद, सहारनपुर -247554	रुपये- **8,58,509.00** (रुपये आठ लाख अठावन हजार पांच सौ नौ केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: मकान लाल वाला रोड, सकबदरी बैरून हदूद, (गांधी कॉलोनी), बंधन बैंक के पास, परगना और तहसील देवबंद, संपत्ति श्रीमती शकुंतला देवी के नाम क्षेत्रफल 95.96 वर्गमीटर सीमायें-पूर्व: रकम सिंह का घेर, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: राजपाल का मकान और दक्षिण: रास्ता
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 20,96,000/- (रुपये बीस लाख छियानवे हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,09,600/- (रुपये दो लाख नौ हजार छः सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mool_chand.pdf

क्र. सं0 7	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहाँपुर शाखा A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	ऋणकर्ता:- 1 (ए) मैसर्स पीपीएम इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, पता: 115 बृज विहार कॉलोनी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001 **निदेशक:** 1. श्री प्रांशु कनौजिया, 2. श्री रजयपाल कनौजिया, फर्म का पता: बिसरात रोड, शेखर अस्पताल के पास, शाहजहाँपुर -242001. **गारन्टर 2 :** (ए) श्री रजयपाल पाल कनौजिया पुत्र कन्हैया लाल, पता: मकान नंबर 115, बिजलीपुरा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001, 2 (बी) श्री प्रांशु कनौजिया पता: 115 बिजलीपुरा, बृज विहार कॉलोनी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001	रुपये- **19,708,827.28** (रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख आठ हजार आठ सौ सत्ताईस और अठाईस पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: आवासीय संपत्ति (भूमि) नंबर 2/35 के सभी भाग और पार्सल मौहल्ला आवास विकास कॉलोनी, स्थित गाटा संख्या 288 ग्राम रसकुपा बहादुरपुर, एन. एच0 24 के पास तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर। संपत्ति का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर संपत्ति श्री रजयपाल कनौजिया के नाम संपत्ति सीमायें-पूर्व: 2/36 का प्लॉट, पश्चिम: 2/34 का प्लॉट, उत्तर: 9 मी. चौड़ी सड़क, दक्षिण: 18 मी. चौड़ी सड़क बिक्री विलेख विवरण: पुस्तक संख्या 1, वाल्यूम संख्या 8813, पृष्ठ संख्या 235-246, क्रमांक संख्या 6408 दिनांक 21.05.2014 को उप पंजीयक सदर, शाहजहाँपुर में पंजीकृत
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 90,00,000/- (रुपये नब्बे लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 9,00,000/- (रुपये नौ लाख केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:**
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ppm_infrazone_private_limited.pdf

क्र. सं0 8	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहाँपुर शाखा A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	ऋणकर्ता:- 1 (ए) मैसर्स आर के एसोसिएट्स प्रा. प्रांशु कनौजिया, पता 115, बृज विहार कॉलोनी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001, पंजीकृत कार्यालय का पता अंता बिसरात रोड, शेखर अस्पताल के पास, जिला शाहजहाँपुर -242001. फर्म का पता: ग्राम बिसरात रोड, शाहजहाँपुर -242001. 2 (ए) श्री रजयपाल कनौजिया पुत्र कन्हैया लाल, पता: मकान नंबर 115, बिजलीपुरा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001 2 (बी) श्रीमती सुनीता कनौजिया पत्नी आर पी कनौजिया पता: 115 बृज विहार कॉलोनी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001 2 (सी) प्रांशु कनौजिया, पता: 115 बृज विहार कॉलोनी, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001	रुपये- **2,66,84,732.44** (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख चौरासी हजार सात सौ बत्तीस और चौवालिस पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति नंबर 1- प्लॉट फर्रुखाबाद शाहजहाँपुर रोड, ग्राम-कंदौली, परगना और तहसील जलालाबाद, जिला- शाहजहाँपुर, संपत्ति सुनीता कनौजिया के नाम क्षेत्रफल, 6500 मी. सीमायें:- उत्तर: राम प्रकाश सिंह का खेत, दक्षिण: जगदीश का खेत, पूर्व: फर्रुखाबाद शाहजहाँपुर रोड, पश्चिम: शिव नाथ सिंह का मकान, संपत्ति नंबर 2- व्यावसायिक संपत्ति सराय तालुका चटौना, परगना और तहसील- सदर जिला- शाहजहाँपुरा, संपत्ति श्री प्रांशु कनौजिया के नाम, क्षेत्रफल 91.36 वर्ग मीटर, सीमायें:- उत्तर: डॉ शेरबर का मकान, दक्षिण: पेंट की गई सड़क, पूर्व: जलील खान के कानूनी उत्तराधिकारियों का प्लॉट और पश्चिम: श्री जाबिर का प्लॉट, संपत्ति नंबर 3- अंता चौराहा पर मकान से डॉ0 वसीम हॉस्पिटल रोड, मौहल्ला अम्कानी कर्बला (जिसे ब्रज विहार कॉलोनी के रूप में जाना जाता है) शाहजहाँपुर संपत्ति रजय कनौजिया के नाम क्षेत्रफल 279.37 वर्गमी. सीमायें:-उत्तर: कृपा शंकर अवस्थी का मकान, दक्षिण: अरुण कुमार राजपेपा का मकान, पूर्व: शेखर का मकान और पश्चिम: सड़क
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: संपत्ति नंबर 1 - संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. **34,20,000/-** (रुपये चौंतीस लाख बीस हजार केवल), संपत्ति नंबर 2 - संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. **68,70,000** (रुपये अड़सठ लाख सत्तर हजार केवल), संपत्ति नंबर 3 - संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. **1,10,00,000** (रुपये एक करोड़ दस लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: संपत्ति नंबर 1 - रु. **3,42,000/-** (रुपये तीन लाख बयालीस हजार केवल), संपत्ति नंबर 2 - रु. **6,87,000/-** (रुपये छः लाख सत्तासी हजार केवल), संपत्ति संख्या 3- रु. **11,00,000/-** (रुपये ग्यारह लाख केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/r_k_associates.pdf

क्र. सं0 9	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
ऋषिकेश शाखा A/c No - 161601381200101 IFSC Code-CORP0001616	**ऋणकर्ता:**-1 (ए) मैसर्स एस पी इंजीनियरिंग, पता: 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखंड -248001, पार्टनर: 1. सूर्य प्रकाश भट्ट, पता: ग्राम बनियावाला, कनहरवाला, देहरादून, 2. पवन कुमार सकलानी पुत्र सी आर सकलानी, पता: ग्राम और पोस्ट सकलाना, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड 3. हर्षपट्टी भट्ट, पता: ग्राम बनियावाला, कनहरवाला, देहरादून **गारंटर:** 2 (ए) सूर्य प्रकाश भट्ट, पता: ग्राम बनियावाला, कनहरवाला, देहरादून, 2 (बी) पवन कुमार सकलानी पुत्र सी आर सकलानी, पता: ग्राम और पोस्ट सकलाना, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, 2 (सी) हर्षपट्टी भट्ट, पता: ग्राम बनियावाला, कनहरवाला, देहरादून	रुपये- **65,08,475.00** (रुपये पैंसठ लाख आठ हजार चार सौ पिच्चतर)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: प्लॉट (आवासीय) के सभी भाग और पार्सल क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर। सीमायें- पूर्व: विक्रेता की भूमि- श्री भगवान सिंह और श्री ओम प्रकाश और श्री हरपाल सिंह, पश्चिम: अन्य व्यक्ति की भूमि, उत्तर: रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिण: अन्य व्यक्ति की भूमि खसरा नंबर 302/1, स्थित ग्राम कान्हरवाला, परगना परवादून, ऋषिकेश, देहरादून संपत्ति श्री हर्ष पति भट्ट के नाम। (बिक्री विलेख का विवरण: बही नंबर 1, जिल्द नंबर 03/24, पृष्ठ संख्या 114/181-202, सीरियल नंबर 52 दिनांक 20.01.1999 उप पंजीयक देहरादून में पंजीकृत
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रु. 74,10,000 /- (रुपये चौहत्तर लाख दस हजार केवल), जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि **7,41,000/-** (रुपये सात लाख इक्तालिस हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/s_p_engineering.pdf

क्र. सं0 10	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
देवबंद शाखा A/c No - 520101265250230 IFSC Code-CORP0000786	**ऋणकर्ता:**- 1 श्री शहजाद पुत्र शब्बीर, पता: मौहल्ला- ख्वाजा बख्शी, देवबंद, सहारनपुर यूपी- 247554 **गारंटर:**- 2 श्री मौहम्मद अशफाक पुत्र मौहम्मद इकबाल, पता: मौहल्ला अब्दुल हक देवबंद, सहारनपुर, यूपी, 247554	रुपये- **1,24,098.06** (रुपये एक लाख चौबीस हजार अठानवे और छह पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति: ईएमजी आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 30.3013 वर्ग मीटर एमबीडी 379 का हिस्सा स्थित मौहल्ला दीवान, देवबंद, सहारनपुर संपत्ति का मालिक श्री शहजाद पुत्र शब्बीर संपत्ति की सीमायें- पूर्व: सड़क 7 फीट चौड़ी पश्चिम: दारूल उलूम देवबंद की संपत्ति उत्तर: शाहिद का मकान दक्षिण: श्री सलीम का मकान
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रु 6,50,000/- (रुपये छः लाख पचास हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: मूल्य **रु. 65,000/-** (रुपये पैंसठ हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shahazad.pdf

क्र. सं0 11	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा शमशाबाद रोड शाखा A/c No - 510101006625270 IFSC Code-CORP0001746	**ऋणकर्ता:**- 1. मैसर्स शिवांगी एजेंसी प्रोप. - श्री अंकुश तोमर, पता: चंदन नगर, नाराइच, यमुना नगर, आगरा -282006, 2. श्री अंकुश तोमर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पता: मकान नं. 11 सी./815 चंदन नगर नाराइच, यमुना नगर, आगरा -282006 **गारंटर:** 3. श्रीमती नीलम तोमर पत्नी श्री अंकुश तोमर, पता: मकान नं. 11 सी./915 चंदन नगर, नाराइच, यमुना नगर, आगरा-282,006	रुपये- **9,95,208.00** (रुपये नौ लाख पिच्चानवे हजार दो सौ आठ केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति निर्मित प्लॉट का क्षेत्रफल 77 वर्ग गज यानी 64.37 वर्ग मीटर खसरा नंबर 1498 का भाग पर स्थित चंदन नगर, शोभा विहार के पास, मौजा नाराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा यूपी
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रु 16,00,000/- (रुपये सोलह लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: मूल्य **रु. 1,60,000/-** (रुपये एक लाख साठ हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shivangi_agency.pdf

क्र. सं0 12	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा शमशाबाद रोड शाखा A/c No - 510101006625270 IFSC Code-CORP0001746	**ऋणकर्ता:**-1 (ए) मैसर्स श्री दाऊजी फ्लोर मिल प्रोप. श्री अरविंद कुमार शर्मा, पता: 112, ग्राम बिचोला, पोस्ट- पया फतेहाबाद, आगरा -283111 **गारंटर:** 2 (ए) दाऊ दयाल शर्मा, पता: 52 ए, ग्राम बिचोला, पोस्ट- पया फतेहाबाद, आगरा -2831112 2 (बी) केशव देव पुत्र बाबूराम, पता: 113, गांव और डाक लाली, फतेहाबाद, आगरा -283112	रुपये- **15,80,022.00** (रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार बाईस केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति नंबर 1:- संपत्ति के सभी हिस्से और पार्सल अरविंद शर्मा के नाम [लीज डीड] लेकिन वास्तविक मालिक श्री दाऊदयाल खसरा नंबर 438 क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर स्थित मौजा बिचोला, फतेहाबाद, आगरा। संपत्ति की सीमायें:-उत्तर: चक रोड, दक्षिण: खुली भूमि दाऊदयाल, पूर्व: दामोदर की संपत्ति, पश्चिम- राकेश की खुली भूमि। **संपत्ति नंबर 2-** संपत्ति के सभी हिस्से और पार्सल केशव देव पुत्र बाबू राम के नाम पर, स्थित गाँव लाली फिरोजाबाद संपत्ति का एक एकल मंजिला आवासीय मकान का क्षेत्रफल 201.50 वर्ग मीटर सीमायें:- उत्तर: रास्ता, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: गंगा प्रसाद की संपत्ति, पश्चिम: वीरेंद्र प्रसाद की संपत्ति
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: संपत्ति नंबर 1- संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 6,60,000/-** (रुपये छः लाख साठ हजार केवल) **संपत्ति नंबर 2 -** संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु 16,35,000/-** (रुपये सोलह लाख पैंतीस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि **संपत्ति नंबर 1 - रु. 66,000/-** (रुपये छियासठ हजार केवल) **संपत्ति नंबर 2 - रु.1,63,500/-** (रुपये एक लाख तरेसठ हजार पांच सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dauji_flour_mill.pdf

क्र. सं0 13	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
देहरादून जाखन शाखा A/c No - 510251000444527 IFSC Code-CORP0003280	**ऋणकर्ता:**-1 (ए) श्री सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज प्रोप. सिद्धार्थ, पता: लेन नंबर 9, दून विहार, जाखन, देहरादून -248001 1 (बी) सिद्धार्थ पुत्र इंदिरा सिंह, पता- 141, भागीरथी पुरम, तीसरी मंजिल, लेन नंबर 9, दून विहार, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड -248001	रुपये- **26,40,477.00** (रुपये छब्बीस लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: खाता खतौनी संख्या 14, खसरा नं 81 और 82 के सभी भाग और पार्सल, मौजा थानी गाँव परगना पचवा दून तहसील सदर देहरादून क्षेत्रफल 267 वर्गमीटर। सम्पत्ति सिद्धार्थ के नाम संपत्ति की सीमायें:- पूर्व: साधु राम की भूमि, पश्चिम-रास्ता, उत्तर: सरिता बिष्ट की भूमि, और दक्षिण- अन्य का भूमि
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 61,30,000/-** (इकसठ लाख तीस हजार) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **रु 6,13,000/-** (रुपये छः लाख तेरह हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/siddharth_enterprises.pdf

क्र. सं0 14	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहाँपुर शाखा A/c No - 520101211956070 IFSC Code-CORP0001150	**ऋणकर्ता:**- 01. (ए) मैसर्स एस के एल एंटरप्राइजेज प्रो. सुनीता कनौजिया, अंता बिसरात रोड के पास डॉ. अनवर के सामने शाहजहाँपुर -242001 (यू.पी.) (बी) सुनीता कनौजिया, मकान नंबर -115, शेखर अस्पताल के पास, बृज विहार कॉलोनी, बीजलीपुरा, शाहजहाँपुर -242001 (यू.पी.) **गारंटर:** 2. (ए) श्री रजयपाल कनौजिया, मकान नंबर -115, शेखर अस्पताल के पास, बृज विहार कॉलोनी, बीजलीपुरा, शाहजहाँपुर -242001 (यू.पी.), (बी) सुनीता कनौजिया, मकान नंबर -115, शेखर अस्पताल के पास बृज विहार कॉलोनी, बीजलीपुरा, शाहजहाँपुर -242001 (यू.पी.)	रुपये- **1,22,27,766.15** (रुपये एक करोड़ बाईस लाख सत्ताईस हजार सात सौ छियासठ और पंद्रह पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति संख्या 1- गाटा संख्या 3267 और 3268 का हिस्सा और गाटा संख्या 244, 245 और 246 का हिस्सा शाहजहाँपुर दक्किनी (साइड चुंगी में) और सराय तालुका चताउना (अंतता चौराहा से हनुमंत धाम रोड) शाहजहाँपुर, संपत्ति श्रीमती सुनीता कनौजिया और श्री रजयपाल कनौजिया के नाम। क्षेत्रफल 461.49 वर्ग मीटर सीमायें:- उत्तर: गुलजार तब्बसुम और श्रीमती नीता मेहरोत्रा का मकान दक्षिण: दीपक मेहरोत्रा का मकान, पूर्व: श्री रौनक खान का मकान और पश्चिम: चित्रित सड़क, **संपत्ति संख्या: 2-** गाटा संख्या 328, ग्राम- कुतुबापुर, ई-शेरमऊ, हरदोई रोड, तह.- सदर, जिला- शाहजहाँपुर, संपत्ति श्रीमती सुनीता कनौजिया के नाम क्षेत्रफल 34.5 वर्गमीटर सीमायें:-उत्तर: श्री इमरान का खेत, दक्षिण: पूर्व: और पश्चिम: चक मार्ग
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: संपत्ति का आरक्षित मूल्य **रु. 48,00,000/-** (रुपये अड़तालीस लाख केवल), संपत्ति नंबर 2 - संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. **20,00,000/-** (रुपये बीस लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: संपत्ति संख्या 1 - **रु. 4,80,000/-** (रुपये चार लाख अस्सी हजार केवल)
संपत्ति संख्या 2 - **रु. 2,00,000/-** (रुपये दो लाख केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/s_k_l_enterprises.pdf

क्र. सं0 15	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा शमशाबाद रोड शाखा A/c No - 510101006629270 IFSC Code-CORP0001746	**ऋणकर्ता:**-1 (ए) उन्नति ट्रेडर्स प्रोप. रामवीर, पता: नंदलालपुर, हाथरस रोड, आगरा- 282,006 **गारंटर:** 2 (ए) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी रामवीर सिंह, पता: 11 सी./997, सुदामा पुरी, नाराइच, न्यू चंदन नगर, कुबेर पुर, यमुना ब्रिज, आगरा-282,006, पता: 11 सी./789, सुदामा पुरी, नाराइच, न्यू चंदन नगर, कुबेर पुर, यमुना ब्रिज, आगरा-282006	रुपये- **14,38,883.50** (रुपये चौदह लाख अड़तीस हजार आठ सौ तिरासी और पचास पैसे केवल)

बेची जाने वाली अचल संपत्तियों का विवरण: ईएमजी संपत्ति संख्या 11सी/932डी तथा 11सी/932ई क्षेत्रफल 153.26 वर्ग मीटर और 105.76 वर्ग मीटर शोभा विहार कॉलोनी, चंदन नगर, खसरा नं 1584,1594,1619,1620-1631 से 1637,1639 से 1644 छत्ता वार्ड, नाराइच, एत्मादपुर, आगरा। संपत्ति श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री राम वीर सिंह के नाम निवासी चंदन नगर, हाथरस रोड, नाराइच, एत्मादपुर, आगरा। संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 259.02 वर्ग मीटर है। संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: रास्ता 20' चौड़ा, पश्चिम: श्री ओम प्रकाश का मकान, उत्तर: महारानी देवी की संपत्ति, दक्षिण: श्रीमती बसंती देवी का प्लाट
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 21.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रु. 27,65,000/- (रुपये सत्ताईस लाख पैंसठ हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि **रु. 2,76,500/-** (रुपये दो लाख छियात्तर हजार पांच सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/unnati_traders_0.pdf

दिनांक : 17.12.2019 — स्थान: शाहजहांपुर, देवबंद, ऋषिकेश, कांधला, काशीपुर, मुरादाबाद, आगरा, देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

www.readwhere.com

स्मृति के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सांसद ने बलात्कार मामलों को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के संबंध में ईरानी पर 13 दिसंबर को सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

सूत्रों ने बताया कि टैगोर ने लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। यह भी बताया गया कि लोकसभा महासचिव को नोटिस प्राप्त हो गया है। याचिका में कहा गया है कि लोकसभा में कामकाज और प्रक्रिया के नियमों की नियम संख्या 222 के तहत, मैं, महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा में 13 दिसंबर 2019 को सदन में हस्तक्षेप करते हुए दिए गए बयान के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहा हूं। सांसद ने कहा कि सदन में मंत्री द्वारा कही गई बातें पूरी तरह से गलत थीं। उन्होंने जानबूझकर न केवल सदन के सदस्यों को बल्कि पूरे देश को गुमराह किया है।

पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में प्रस्ताव पर बिफरा भारत, कहा

नागरिकता कानून पर भ्रम फैलाने में पाक विफल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

भारत ने नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि यह पड़ोसी देश द्वारा अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति किए जा रहे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार व उत्पीड़न से ध्यान हटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाने का 'निष्फल प्रयास' है। पाकिस्तान की संसद ने सोमवार को भारत के नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि यह द्विपक्षीय समझौतों के खिलाफ है और भारत से इसमें भेदभावपूर्ण धाराओं को हटाने की मांग की गई।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव में जिन मामलों का उल्लेख किया गया है, वे पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। मंत्रालय ने कहा, 'हम स्पष्ट तौर पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं।' मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पारित यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के मुद्दे पर उसके द्वारा चलाए जा रहे भ्रामक अभियान की ही दिशा में किया गया एक दुष्प्रयास है।

बयान के अनुसार, 'उक्त प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के सतत समर्थन को न्यायोचित ठहराना है। हमें विश्वास है कि पाकिस्तान अपने ऐसे दुष्प्रयासों में विफल होगा।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान द्वारा अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार व उत्पीड़न से ध्यान हटाने के लिए एक निष्फल प्रयास किया गया है। पाकिस्तान में इन अल्पसंख्यकों, चाहे वे हिंदू हों या ईसाई या सिख या कोई अन्य समुदाय, उनकी मौजूदा जनसंख्या ही वास्तविक स्थिति बयान कर रही है।

बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली ने अपने प्रस्ताव में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के उद्देश्यों के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव को भ्रामक बताते हुए जोर दिया कि इस अधिनियम के तहत चुनिंदा देशों के उन विदेशियों को नागरिकता प्रदान की जानी है, जो उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।

सीबीआइ ने सेंगर के लिए उम्रकैद की मांग की

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी साबित भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की और कहा कि यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है।

जांच एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह सेंगर को कानून में निर्धारित उम्रकैद की अधिकतम सजा दे।

अदालत ने सजा पर फैसले के आदेश के लिए सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सीबीआइ, शिकायतकर्ता और दोषी की दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआइ और शिकायतकर्ता के वकील ने सेंगर के लिए अधिकतम सजा की मांग की और कहा कि 'जघन्य अपराधों में लड़कियों की चीख' सुनने पर विचार किया जाना चाहिए।

जांच एजेंसी के लोक अभियोजक अशोक भारतेन्दु ने कहा, 'यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है।

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई-नीलामी द्वारा)

वित्तीय सम्पत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निमाण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी

बिक्री नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा गया

इस प्रकार आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित बंधक को बंधक/चार्ज किया गया है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है कार्पोरेशन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के अधिकारी, नीचे बताए गए दिनांक पर "जैसा है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा, जैसा कि कार्पोरेशन बैंक से यहां उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं)। रिजर्व प्राइस (न्यूनतम मूल्य) और कम से कम जमा किये जाने वाले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का भी यहां उल्लेख किया गया है।

क्र. सं0 1	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा आवास विकास शाखा (1728) A/c No 510101003284304 IFSC -CORP0001728	ऋणी : 1 (ए) मैसर्स सुरेश बाबू शू फैक्ट्री प्रोप. सुरेश बाबू, पता : 45/2 ई/31, राम नगर, जगदीशपुरा, आगरा -282002. गारन्टर 2 (बी) राम रति देवी पत्नी सुरेश बाबू, पता 45/2 ई/31, नगला अजीता, राम नगर, जगदीशपुरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा -282002	रुपये -9,87,585/- (रुपये नौ लाख सत्तासी हजार पांच सौ पिचासी केवल) प्लस अन्य खर्च और आगामी ब्याज।

सम्पत्ति का विवरण :– आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल 45/2 ई/31 नगला अजीता राम नगर, जगदीशपुरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा श्रीमती राम रति देवी के नाम पर। संपत्ति का क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर। संपत्ति का सीमायें:– उत्तर: धन्नी की संपत्ति, दक्षिण: दाता राम की संपत्ति, पूर्व: 3.05 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम: 2.43 मीटर चौड़ी सड़क।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 16,20,000.00 (रुपये सौलह लाख बीस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,62,000.00 (रुपये एक लाख बासठ हजार केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/suresh_babu_0.pdf

क्र. सं0 2	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
बाजपुर शाखा (1632) A/c No 510101006593090 IFSC -CORP0001632	ऋणी - 1 (ए) मैसर्स अम्बे ब्रिक फील्ड, पार्टनर्स- 1. संजय पाठक, 2. समीर पाठक, 3. विश्वामित्र पाठक पता: ग्राम मलखंदपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर -262401, गारंटर 2 (ए) संजय पाठक पुत्र विश्वामित्र पाठक, पता: ग्राम मलखंदपुर, बाजपुर -262401, 2 (बी) समीर पाठक पुत्र विश्वामित्र पाठक, पता: ग्राम मलखंदपुर, बाजपुर -262401, 2 (सी) विश्वामित्र पुत्र विशम्भर नाथ, पता: मकान नंबर 1, मलखंदपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर -262401, 2 (डी) आशा रानी पत्नी विश्वामित्र, पता: मकान नंबर 1, मलखंदपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर -262401, 2 (ई) रमेश गर्ग पुत्र सत्यवान गर्ग, पता: 18 विद्यालय, वार्ड नंबर 09, संजय कॉलोनी, बाजपुर -262401	रुपये– 9,97,889/– (रुपये नौ लाख सत्तानवे हजार आठ सौ नवासी केवल) प्लस अन्य खर्च और आगामी ब्याज।

सम्पत्ति का विवरण :– भूमि संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आशा रानी पत्नी विश्वामित्र के नाम स्थित खसरा नंबर 30/2 मिन क्षेत्रफल 0.607 हेक्ट. मलखंदपुर, बेरिया रोड, बाजपुर।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रुपये 43,66,000/- (रुपये तैंतालिस लाख छियासठ हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: रुपये 4,36,600 (रुपये चार लाख छत्तीस हजार छः सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ambay_brick_field_2.pdf

क्र.सं. 3	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम ऋणी :	बकाया धनराशि
मेरठ शाखा A/c No.: 520101244217137 IFSC : CORP0000505	मैं अंशु टैक्सटाईल्स प्रो0 श्री रोहताश कुमार, पता शॉप नं0–186/2 सुभाष बाजार, निकट कोतवाली मेरठ–250001 गारंटर : श्री साहू सिंह पुत्र श्री नानक चन्द पता, 240/12 जयदेवी नगर गढ़ रोड मेरठ–250001	रुपये 9,80,241/- (रुपये नौ लाख अस्सी हजार दो सौ इक्तालीस मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च

प्रोपर्टी नं0 1 : संपत्ति के सभी भाग एक मकान नं0 240 मापने वाले 197 वर्ग गज की वर्तमान में जय देवी नगर, विशाल मेगा मार्ट के पास, गढ़ रोड, मेरठ के रूप में जाना जाता है, जो लाल सिंह नगर में है जो पूर्व से नीचे के रूप में घिरा हुआ है 49.3 फुट उसके बाद सड़क पश्चिम : 49.3 फुट उसके बाद उत्तर 36 के मालिक की भूमि : प्लॉट मनसा साउथ 36 उसके बाद 12 वाइड रोड ओनर श्री सी सिंह एस/ओ नानक चंद
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रुपये 33,93,000/- (रुपये तैंतीस लाख तिरानवे हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: रुपये 3,39,300 (रुपये तीन लाख उनतालीस हजार तीन सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/anshu_textiles_1.pdf

क्र. सं0 4	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा आवास विकास शाखा (1728) A/c No 510101003284304 IFSC -CORP0001728	ऋणी : 1 (ए) मैसर्स अट्रैक्टिव क्रिएटर्स, पता: 305, भगवान लोक कॉम्प्लेक्स, कारगिल पेट्रोल पंप के पास, सिकंदरा, बोदला, आगरा -282007, पार्टनर्स: 1 (बी) विजय भटनागर पुत्र आर बी एल भटनागर, पता: 16/230, आवास विकास, बोदला, सिकंदरा, आगरा -28007, 1 (सी) पूनम भटनागर पत्नी विजय भटनागर, पता: 16/230, आवास विकास, बोदला, सिकंदरा, आगरा -28007, 1 (डी) अर्पित चित्रांश पुत्र विजय भटनागर, पता: 305, भगवान लोक परिसर, कारगिल पेट्रोल पंप के पास सिकंदरा बोदला, आगरा -282007, पता: 38, मनीषा विहार, शास्त्रीपुरम, आगरा -282007	रुपये–10,51,631.50 (रुपये दस लाख इक्यावन हजार छः सौ इकतीस और पचास पैसे केवल) प्लस अन्य खर्च और आगामी ब्याज।

सम्पत्ति का विवरण :– संपत्ति के सभी भाग और पार्सल दुकान नं. 305, भगवान लोक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पश्चिम पुरी रोड, सिकंदरा, पुष्पांजलि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने आगरा। संपत्ति का क्षेत्रफल 12.13 वर्ग मीटर। संपत्ति स्वामिनी श्रीमती पूनम भटनागर पत्नी विजय भटनागर। संपत्ति की सीमायें –उत्तर दुकान नं. 304, दक्षिण: दुकान नं. 206, पूर्व: आम रास्ता, पश्चिम: अन्य की संपत्ति। बिक्री विलेख का विवरण –संपत्ति बही संख्या 1, जिल्द नं. 5832, पृष्ठ सं. 211/236, क्रम नं. 5983, दिनांक 08.09.2008 में पंजीकृत है।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 13,73,000.00 (रुपये तेरह लाख तिहत्तर हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,37,300.00 (रुपये एक लाख सैंतिस हजार तीन सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/attractive_creaters_2.pdf

क्र.सं.5	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
बुलन्दशहर शाखा (0792) A/c No.: 520101208954066 IFSC : CORP0000792	ऋणी : (अ) अवन्तिका एन्टरप्राईजेज, प्रोपराइटर : श्री पुरुषोत्तम पता : हनुमान मन्दिर के सामने, चौक बाजार, बुलन्दशहर (उ0प्र0)-203001 गारन्टर : (ब) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री सहनारपाल, पता : 489/2, मौहल्ला सात्र, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर।	रुपये 20,83,941/- (रुपये बीस लाख तिरासी हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) – ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

प्रोपर्टी नं0 1 : आवासीय भवन, म0नं0 582 का सम्पूर्ण भाग, **सम्पत्ति का क्षेत्रफल :** 167.22 वर्गमीटर। **सम्पत्ति की सीमायें :** पूर्व-5 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम- श्री सतीश का मकान, उत्तर-श्री ज्ञानचन्द का मकान, दक्षिण-श्रीमती मुन्नीदेवी का मकान। **प्रोपर्टी नं0 2 :** आवासीय भवन का सम्पूर्ण भाग, **सम्पत्ति का क्षेत्रफल :** 20 वर्ग गज। **सम्पत्ति की सीमायें :** पूर्व-पांच मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम-मकान का शेष भाग व अन्य सम्पत्ति, उत्तर-गैलरी, दक्षिण- श्री अशोक का मकान। दोनों सम्पत्ति गड़रियों वाली गली, मादा रोड, परगना, तहसील व जिला बुलन्दशहर में स्थित, मालिक : श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री सहनारपाल।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 20,45,000.00 (रुपये बीस लाख पैंतालिस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,04,500.00 (रुपये दो लाख चार हजार पांच सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/avantika_anterprises_7.pdf

क्र.सं. 6	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206086497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : (1) मै0 फैयाज खान फ्रूट कम्पनी प्रोपराइटर श्री फरियाद खान पता : 39, गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। (2) श्री फरियाद खान पता : 39, गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। गारन्टर : (1) श्री असलम खान पता : गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। (2) श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान पता : गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली।	रुपये 11,72,361/- (रुपये ग्यारह लाख बहत्तर हजार तीन सौ इकसठ मात्र) +ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

प्रोपर्टी नं0 1 : खसरा नं0 248, गोविन्दपुर, बरेली का सम्पूर्ण भाग **सम्पत्ति का क्षेत्रफल :** 86 वर्ग मीटर। नामे श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान। **प्रोपर्टी नं0 2 :** सम्पत्ति के सभी भाग व पार्सल स्थित वार्ड नं0 22 खसरा नं0 248 गोविन्दपुर बरेली, क्षेत्रफल 86 वर्ग मीटर श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान के नाम
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **प्रोपर्टी नं0 1 रिजर्व मूल्य: 8,21,000.00 (रुपये आठ लाख इक्कीस हजार केवल) प्रोपर्टी नं0 2 रिजर्व मूल्य 4,29,000 (चार लाख उनत्तीस हजार केवल) प्रोपर्टी नं0 1 जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 82,100.00 (रुपये ब्यासी हजार एक सौ केवल) प्रोपर्टी नं0 2 –जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 42,900 (रूपये ब्यालिस हजार नौ सौ केवल)**
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/fayyaz_khan_fruit_co_3.pdf

क्र.सं.–7	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रुपये
मेरठ शाखा (0505) A/C No. 520101244217137 IFSC Code CORP0000505	उधारकर्ता: मै0 गोस्वामी भारत गैस प्रो0 श्रीमती ममता गोस्वामी पत्नी रविन्द्र कुमार गिरि मकान नं0 123, गली नं0 1 नेहरूनगर मेरठ–250001 गारंटर : श्री शिवराम गिरि पुत्र श्री कालू गिरि पता, मकान नं0 123 गली नं0 1 नेहरूनगर मेरठ–250001	राशि रु 24,95,400.61/–(रुपए चौबीस लाख पिचानवे हजार चार सौ इकसठ रुपये मात्र) प्लस ब्याज और अन्य खर्च

संपत्ति का विवरण:–सम्पत्ति सं. 1. संपत्ति के सभी भाग और पार्सल की माप 0.1485 हेक्टेयर (1485 वर्गमीटर) का हिस्सा खसरा नं 203/2 के ग्राम जोधीपुर सोवन नेम मेरठ गढमुक्तेश्वर रोड परगना व तहसील गढमुक्तेश्वर जिला हापुड़ जो कि श्री शिवराम गिरि पुत्र श्री कालू गिरि के नाम है। में स्थित है सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार है–पूर्व में श्री अनिल गिरि की भूमि पश्चिम में चक रोड उत्तर में श्री कंवर पाल गिरि की भूमि दक्षिण में गढ मेरठ रोड
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 56,66,000.00 (रुपये छप्पन लाख छियासठ हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 5,66,600.00 (रुपये पांच लाख छियासठ हजार छः सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/goswami_bharat_gas_4.pdf

क्र.सं. 8	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206086497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : (1) मैसर्स हिमाचल कश्मीर एप्पल कम्पनी प्रोपराइटर मो0 इश्तयाक खान। पता : शेड नं0 13, न्यू फ्रूट मंडी, डेलापीर, बरेली- 243001 (2) प्रोपराइटर मो0 इश्तयाक खान पुत्र मो0 मुश्ताक खान। पता : मकान नं0 150, गोविन्दापुर, बरेली -243502 गारंटर : (1) बुंदु खान पुत्र मो0 मुन्ना खान। पता : 155, गोविन्दापुर, बरेली -243502 (2) गारंटर : इंदास खान पुत्र मो0 यार खान पता: बरकातनगर सी.बी. गंज बरेली-243502	रुपये 20,35,554/- (रुपये बीस लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौवन मात्र)-ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण :- सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो कि खसरा नं0 12, गांव गोविन्दापुर, बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सम्बन्धित **सम्पत्ति का क्षेत्रफल** 420.00 वर्गमीटर है। सम्बन्धित **सम्पत्ति की सीमायें** इस प्रकार है:- पूरब दिशा में बगिया हमीद खान, पश्चिम दिशा में रेलवे लाईन, उत्तर दिशा में चक रोड दक्षिण दिशा में चक रोड।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 32,13,000.00 (रुपये बत्तीस लाख तैरह हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 3,21,300.00 (रुपये तीन लाख इक्कीस हजार तीन सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/himachal_kashmir_apple_company_5.pdf

क्र.सं.9	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206086497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : (1) मैसर्स जफर जरी आर्ट, प्रोपराइटर जफर आलम पता : 82, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)-243001 (2) जफर आलम पता : 82, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)- 243001 गारंटर : समन शाह पुत्र छोटे शाह पता : 82-ए, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)-243001	रुपये 5,12,650.00 (रुपये पांच लाख बारह हजार छः सौ पचास मात्र) +ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति जो खसरा नं0 88, 89 एवं 90, गांव परतापुर चौधरी निकट दो मिनार मस्जिद, बरेली में स्थित है।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 9,65,000.00 (रुपये नौ लाख पैंसठ हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 96,500.00 (रुपये छियानवे हजार पांच सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jafar_zari_art_5.pdf

क्र.सं.10	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
रूद्रपुर (1064) Ac/No. 521011216985400 IFSC Code CORP0001064	ऋणी : जगमोहन पुत्र जसवन्त, पता ए-2/37, प्लेटिनम टॉवर, वेस्टा डवलपर्स कालोनी, फुलसुंगा रोड, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-263153 गारन्टर : राजेश पुत्र बिन्दा, पता निकट चैम्पियन पब्लिक स्कूल, गंगापुर रोड, निकट आटा चक्की, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-263153	रुपये 7,30,638.00/- (रुपये सात लाख तीस हजार छः सौ अड़तीस रुपये मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग मकान/फ्लेट सं0- ए- 1/122, प्रथम तल क्षेत्रफल 450 वर्गफुट खसरा सं0-224, 225, 245, 246 जो कि वेस्टा नामक परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलसुंगा, तहसील किच्छा उधमसिंह नगर।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 6,48,000.00 (रुपये छः लाख अड़तालिस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 64,800.00 (रुपये चौंसठ हजार आठ सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jagmohan_5.pdf

क्र.सं.–11	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रुपये
शाहजहानपुर (1150) A/C No. 510101006279808 IFSC CODE: CORP0001150	उधारकर्ता : मै0 माधव एंटरप्राइजेज, जी सर्जीवियर के पास, हथौरा बुजुर्ग, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश –242001 साझेदार : 1. श्री माधव खन्ना पुत्र अशोक कुमार खन्ना, 2. श्रीमती सीमा खन्ना डब्ल्यू पत्नी अशोक कुमार खन्ना पता : जी सर्जीवियर के पास, हथौरा बुजुर्ग, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश –242001 गारंटर : श्रीमती सीमा खन्ना डब्ल्यू पत्नी अशोक खन्ना पता : जी सर्जीवियर के पास, हथौरा बुजुर्ग, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश –242001	राशि रु 6,00,000/– (रुपए छः लाख मात्र) ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च

संपत्ति का विवरण :– संपत्ति सं. 1 गैर कृषि भूमि का एक हिस्सा है गाटा संख्या 773, क्षेत्र उपाय 135.44 वर्ग मीटर ग्राम हथौरा बुजुर्ग, जिला– शाहजहाँपुर में सीमा खन्ना के नाम पर स्थित है। उक्त संपत्ति इस प्रकार है पूर्व हाउस ऑफ सुरेश चंद्र दास, पश्चिम रस्ता, उत्तर सुमन लता की सभा, दक्षिण सुनील मोरिस की सभा।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 26,32,000.00 (रुपये छब्बीस लाख बत्तीस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,63,200.00 (रुपये दो लाख तिरेसठ हजार दो सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/madhav_anterprises_5.pdf

क्र.सं.12	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
विकासनगर (1929) Ac/No. 510251000444459 IFSC Code CORP0001929	ऋणी : मै0 मलिक एण्ड सन्स टायर्स, प्रो0 परवेज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198 गारन्टर : 1 श्री जुनैद पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून- 248198 2 श्री शोकीन पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198 3 जावेद पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198 4 श्रीमति शकीला पत्नी स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198	रुपये 07,48,865.00/- (रुपये सात लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पैंसठ रुपये मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त रिहाईशी जमीन का प्लाट खाता नं0- 326 खसरा नं0 (पुराना 1715) नया खसरा नं0-2095 क्षेत्रफल 280 वर्गमीटर भीमा वाला, परगना पछुआ दून, विकासनगर, देहरादून में स्थित है। परवेज, जुनैद, शौकीन, जावेद पुत्रगण स्व0 श्री महफूज और श्रीमती शकीला पत्नी स्व0 श्री महफूज के नाम पर है।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 21,22,000.00 (रुपये इक्कीस लाख बाइस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,12,200.00 (रुपये दो लाख बारह हजार दो सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/malik_and_son_tyres_1.pdf

क्र.सं.–13	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रुपये
सहारनपुर शाखा (0665) A/C No. 520101208489653 IFSC Code CORP0000665	उधारकर्ता: मै0 नेशनल कैटरिंग स्टोर प्रो0 सायरा बानो मकान नं0 10/376 छत्ता जम्बू दास, टोली गेट, सहारनपुर–2470001 उ0प्र0 गारंटर : आजाद हसन पुत्र श्री नसीर अहमद म0नं0 10/376 छत्ता जम्बू दास, टोली गेट, सहारनपुर–2470001 उ0प्र0	राशि रु 19,43,863.00/–(रुपए उन्नीस लाख तैंतालिस हजार आठ सौ तरेसठ रुपये मात्र) प्लस ब्याज और अन्य खर्च

संपत्ति का विवरण:–सम्पत्ति सं. 1. आवासीय कम कार्मिशियल भवन 2/3 भवन निर्माण क्षेत्रफल 200 वर्गगज प्लाट नम्बर 32 व 33 खसरा नं0 823/2 स्थित धारा कोटला करोन जो कि श्रीमती सायरा बानो सहारनपुर दार अवासी कालोनी निकट गोल्डन कालोनी सहारनपुर उ0प्र0 के नाम पर है। सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार है:– पूर्व में प्लाट नं0 34, पश्चिम में इरशाद का मकान उत्तर में अन्य की जमीन दक्षिण में 15 फुट चौड़ा रास्ता
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 17,10,000.00 (रुपये सतराह लाख दस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,71,000.00 (रुपये एक लाख इकहत्तर हजार केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/national_satering_store_3.pdf

क्र.सं.–14	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रुपये
सहारनपुर (0665) Ac/ No. 520101208489653 IFSC CORP0000665	उधारकर्ता: मैसर्स नेहा प्रोविजन स्टोर प्रॉपराइटर श्री सुखबीर सिंह सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, सहारनपुर पता : गांव एवं पोस्ट सरसावा वायुसेना स्टेशन के सामने, सहारनपुर, उ0प्र0– 247001 गारंटर: श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री फुल सिंह पता गांव एवं पोस्ट सरसावा वायुसेना स्टेशन के सामने, सहारनपुर, उ0प्र0– 247001	राशि रु 24,70,745.00/–(रुपए चौबीस लाख सत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) समस्त ब्याज एवं अन्य खर्च

सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति सं 1 सम्पत्ति का समस्त भाग खसरा संख्या 297 के में स्थित एक मकान संख्या 17 दारा सोराना खुर्द ग्राम सोराना तहसील नाकुर जिला सहारनपुर श्री सुखबीर सिंह और श्री तेजपाल सिंह के नाम पर दर्ज है। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 406.50 वर्गगज है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार है:- पूर्व दिशा में श्रीमति फुलवती (मांगेराम) की सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में श्री कंवर पाल की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में श्री मांगे राम की सम्पत्ति, दक्षिण दिशा में अम्बाला रोड।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 51,30,000.00 (रुपये इक्कावन लाख तीस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 5,13,000.00 (रुपये पांच लाख तेरह हजार केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/neha_provision_0.pdf

क्र.सं.15	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206086497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : मैसर्स रईस खान अरशद खान, प्रोपराइटर इदरीश खान, पता: 66, गोविन्दापुर, निकट इस्लामिया मदरसा बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली श्री इदरीश खान पता: 66, गोविन्दापुर, निकट इस्लामिया बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज बरेली	रुपये 3,80,413/- (रुपये तीन लाख अस्सी हजार चार सौ तेरह रुपये मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं01 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो गांव गोविन्दापुर, बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। **सम्बन्धित सम्पत्ति का क्षेत्रफल** 197.49 वर्गमीटर है।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 23,72,000.00 (रुपये तेईस लाख बहात्तर हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,37,200.00 (रुपये दो लाख सैंतीस हजार दो सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rais_khan_arshad_khan_2.pdf

क्र.सं.16	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
आगरा संजय पैलेस शाखा (0686) A/c No.: 510101006278544 IFSC : CORP0000686	ऋणी : रंजीत सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद पता: 06, बताशा मार्केट, नूरी दरवाजा, आगरा-282002 पता: द्वारा श्री उमेश चंद कश्यप, म.नं. 37, ग्राउंड फ्लोर, ऋषिपुरम कालोनी, सिकन्दरा, आगरा-282007 पता: गांव बस खुशल, पो0 बेरी चाहर, तहसील खैरागढ़, आगरा-283102 गारंटर : मैसर्स श्रीमती राखी चौहान पुत्री रविन्द्र सिंह, पता: नगला सिकन्दर, नगला डल टूंडला, फिरोजाबाद-283204 पता: द्वारा श्री गोपाल द्वारा नाहर सिंह यादव, फ्लैट नं. एफ-3, फर्स्ट फ्लोर, बलदेव आशियाना फ्लोर, गुरुतेग बहादुर एन्क्लेव, गुरु के ताल, सिकन्दरा, आगरा 282007 पता: खसरा नं. 388 शिव कुंज, मौजा बाबरपुर, आगरा–280007	रुपये 6,01,803/– (रुपये छह लाख एक हजार आठ सौ तीन मात्र) ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो कि खसरा नं0 388, शिव कुंज, मौजा बाबरपुर तहसील और जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। **सम्बन्धित सम्पत्ति का क्षेत्रफल** 55.73 वर्गमीटर है। **सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें** इस प्रकार है:- शिव चरन की प्लॉट उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में रमेश का प्लॉट, पश्चिम में अन्य प्लॉट, पूरब में 25 फुट चौड़ा रास्ता है।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 8,27,000.00 (रुपये आठ लाख सत्ताईस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 82,700.00 (रुपये ब्यासी हजार सात सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ranjit_singh_4.pdf

क्र.सं.–17	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
पचपेरा (3452) Ac/ No. 520101259129089 IFSC CORP0003452	ऋणी : मैसर्स रीतू आभूषण केन्द्र प्रोपराइटर श्री संजय कुमार पता : मकान नं0 98, पचपेरा, मेरठ–250406	रुपये 6,39,715/– (रुपये छः लाख उनतालिस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)+ ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग का क्षेत्रफल 70 वर्गगज गांव पचपेरा कॉर्पोरेशन बैंक के समीप पचपेरा बांव में स्थित है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार है– पूरब दिशा में श्री राजेश का मकान, पश्चिम दिशा में श्री राकेश का मकान, उत्तर दिशा में श्री बुंदु का मकान, दक्षिण दिशा में सड़क। सम्पत्ति का मालिक श्री संजय पुत्र श्री धरा रतन निवासी गांव पचपेरा, मेरठ
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 10,58,000.00 (रुपये दस लाख अट्ठावन हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,05,800.00 (रुपये एक लाख पांच हजार आठ सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ritu_abhushan_kendra_3.pdf

क्र.सं.18	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
बाजपुर शाखा (1632) A/c No.: 510101006593090 IFSC : CORP0001632	ऋणी : मैसर्स एस.एस. एसोसियेट, प्रोपराइटर अजहर अहमद पता : नगर पालिका रोड, मेन बाजार, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड -262401 गारंटर : रियाज मो0 खान पुत्र मो0 शेरखान पता: वार्ड नं0 06, ईदगाह के समीप, मजार के पास, गांव मुन्डिया पिस्तौर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड -262401	रुपये 13,99,657.18 (रुपये तेरह लाख निन्यानवे हजार छः सौ सत्तावन एवं पैसे अट्ठारह मात्र)+ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग खसरा नं0 100/8 मिनिमम क्षेत्रफल1500 वर्गफुट (और 139.405 वर्गमीटर) जो गांव भूता, इस्लाम नगर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर में स्थित है। सम्बन्धित **सम्पत्ति की सीमायें** इस प्रकार है:- पूरब दिशा में महेश की जमीन, पश्चिम दिशा में राजेन्द्र का मकान, उत्तर दिशा में हरपाल सिंह का मकान, दक्षिण दिशा रास्ता।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 8,52,000.00 (रुपये आठ लाख बावन हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 85,200.00 (रुपये पिचासी हजार दो सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/s_s_associates_3.pdf

क्र.सं.19	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
शाहजहानपुर शाखा A/C No. 510101006279808 IFSC Code: CORP0001150	ऋणी: मैसर्स शर्मा फर्टीलाईजर प्रोपराईटर सूरज प्रकाश शर्मा, पता मौहल्ला सैनिक कालोनी, निकट पंच पीर, निगोही रोड, शाहजहानपुर उ0प्र0–242001 2(अ) कमलेश रानी पत्नी स्व0 श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर–242001 2(ब) सुनीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर–242001 2(स) संजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल शर्मा पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर–242001 2(द) वेद प्रकाश रावल पुत्र श्री देशराज रावल, पता मकान नं0–126, रामनगर कालोनी, शाहजहानपुर–242001	रुपये 10,49,053/– (दस लाख उनचास हजार तरेपन रुपये केवल)

संपत्ति का विवरण :– समपत्ति का समस्त भाग रिहाइशी प्लॉट ग्राम जलालनगर बाहर चुंगी, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर, जिसका क्षेत्रफल पूरब व पश्चिम में 60 फुट व उत्तर दक्षिण में दोनों तरफ 30 फुट कुल क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर है। सम्पत्ति की सीमाएं – पूरब में कच्चा रास्ता, पश्चिम में कच्ची जमीन, उत्तर में बेचने वाले की जमीन, दक्षिण में बेचने वाले की जमीन। सम्पत्ति की स्वामिनी श्रीमती कमलेश रानी सूरज प्रकाश शर्मा संजय शर्मा तथा सुनीता शर्मा है।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.01.2020, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 27,69,000.00 (रुपये सत्ताईस लाख उनत्तर हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,76,900.00 (रुपये दो लाख छियत्तर हजार नौ सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharma_fertilizers_3.pdf

दिनांक : 17.12.2019 **स्थानः बाजपुर, आगरा, बुलन्दशहर, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, शाहजहांपुर, विकास नगर, रूद्रपुर**

www.readwhere.com

स्त्री-पुरुष असमानता में भारत 112वें स्थान पर

स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी में स्थिति ज्यादा खराब

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

महिलाओं की स्वास्थ्य व उत्तरजीविता और आर्थिक भागीदारी क्षेत्र में स्थिति खराब होने के बीच स्त्री-पुरुष असमानता पर तैयार रिपोर्ट में भारत एक साल पहले के मुकाबले चार पायदान फिसल कर 112वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी इन दो क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत सबसे नीचे स्थान पाने वाले पांच देशों में शामिल है। विश्व आर्थिक मंच की महिला और पुरुषों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते फासले से संबंधित इस वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

भारत पिछले साल इस सूची में 108वें पायदान पर था। विश्व आर्थिक मंच की स्त्री-पुरुष अंतर रिपोर्ट में भारत का स्थान चीन (106), श्रीलंका (102), नेपाल (101), ब्राजील (92), इंडोनेशिया (85) और बांग्लादेश (50) से भी नीचे है। स्त्री-पुरुष के बीच सबसे ज्यादा समानता आइसलैंड में है। स्त्री-पुरुष के बीच अंतर सूचकांक में यमन की स्थिति सबसे खराब है। उसे 153वां स्थान मिला है जबकि इराक को 152वें और पाकिस्तान को 151वें पायदान पर रखा गया है।

विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री-पुरुष असमानता को चार मुख्य कारकों के आधार पर तय किया गया है। इनमें महिलाओं को उपलब्ध आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तीकरण, शैक्षणिक उपलब्धियां और स्वास्थ्य व जीवन प्रत्याशा शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच ने कहा, '2019 में स्त्री-पुरुष के बीच विभिन्न क्षेत्रों में जो अंतर है, उसे पाटने में 99.5 साल लगेंगे। वहीं साल 2018 के मुकाबले इसमें सुधार देखा गया है। इस समय अनुमान लगाया था कि महिला पुरुषों के बीच असमानता को दूर करने में 108 साल लगेंगे।' इस प्रकार, राजनीतिक असमानता को खत्म करने में पिछले वर्ष 107 साल के मुकाबले अब 95 साल लगेंगे। हालांकि, आर्थिक अवसर के मामले में स्थिति खराब हुई है। आर्थिक अवसरों के मामले में स्त्री-पुरुष के बीच व्याप्त अंत को कम करने में 257 साल लगेंगे। पिछले साल इसमें 202 साल लगने का अनुमान जताया गया था।

विश्व बैंक ने अपनी पहली स्त्री-पुरुष अंतर रिपोर्ट 2006 में पेश की थी। उस समय भारत 98वें पायदान पर था। आज भारत की रैंकिंग उससे भी कम है। तब से लेकर, रैंकिंग के लिए उपयोग होने वाले चार में से तीन कारकों में भारत की स्थिति खराब हुई है।

सुरक्षा परिषद कश्मीर मुद्दे पर नहीं करेगी चर्चा

संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

माना जाता है कि चीन ने फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कराए जाने का आग्रह किया है, लेकिन राजनयिक सूत्रों ने कहा कि मुद्दे पर परिषद में चर्चा नहीं होगी।

ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के मित्र चीन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मंगलवार को चर्चा कराए जाने का आह्वान किया है। मामले पर मंगलवार को दोपहर बाद बंद कमरे में परामर्श के दौरान 'अन्य मामलों' के तहत सुरक्षा परिषद में चर्चा होने की पहले उम्मीद थी। हालांकि अब माना जाता है कि मंगलवार को चर्चा के लिए निर्धारित यह मामला बाद में हुए घटनाक्रमों के चलते अब चर्चा के लिए नहीं आएगा। फ्रांस के राजनयिक सूत्रों ने कहा कि कश्मीर पर सुरक्षा परिषद में मंगलवार को चर्चा नहीं होगी। इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, 'हमारी स्थिति बेहद स्पष्ट रही है। कश्मीर मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा होनी चाहिए। हमने हाल में संयुक्त राष्ट्र सहित कई बार यह रेखांकित किया है।'

विश्व भर में 2019 में 49 पत्रकारों की हत्या हुई

पेरिस, 17 दिसबर (एएफपी)।

विश्वभर में 2019 में 49 पत्रकारों की हत्या की गई। यह आंकड़ा पिछले 16 साल में सबसे कम है लेकिन लोकतांत्रिक देशों में पत्रकारों की हत्या की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं।

पेरिस स्थित निगरानी संगठन 'आरएसएफ' ने बताया कि इनमें से अधिकतर पत्रकार यमन, सीरिया और अफगानिस्तान में संघर्ष की रिपोर्टिंग के दौरान मारे गए जो दिखाता है कि पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बना हुआ है। संगठन ने कहा कि पिछले दो दशक में औसतन हर साल 80 पत्रकारों की जान गई है।

इसके प्रमुख क्रिस्टोफ डेलोयर ने कहा कि शांतिप्रिय देशों में पत्रकारों की हत्या की घटनाएं खतरे की घंटी भी है, क्योंकि केवल मेक्सिको में ही दस पत्रकार मारे गए हैं।

उन्होंने कहा, 'लातिन अमेरिका में कुल 14 पत्रकार मारे गए जो पश्चिम एशिया जितना ही खतरनाक स्थान बन गया है।' डेलोयर ने कहा कि संघर्षग्रस्त इलाकों में आंकड़ों में आई कमी खुशी की बात है लेकिन 'लोकतांत्रिक देशों में अधिकतर पत्रकारों को उनके काम के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है।' 'आरएसएफ' के अनुसार भले ही पत्रकारों की जान कम जा रही है लेकिन अधिकतर पत्रकार सलाखों के पीछे हैं। 2019 में करीब 389 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 12 फीसद अधिक है। इनमें से आधे, चीन, मिस्र और सऊदी अरब में कैद हैं।

'आरएसएफ' के अनुसार विश्व भर में 57 पत्रकारों को बंदी भी बना कर रखा हुआ है। इनमें से अधिकतर सीरिया, यमन, इराक और यूक्रेन में बंदी बनाए गए हैं।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेटस एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 12, दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	जेवरी (7981)	श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर 798100NC00000015 और 798100990000018	श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बालेश्वर, श्री सोनू पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर, श्री बिट्टू पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर (स्वर्गीय श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर के सभी कानूनी उत्तराधिकारी) पता: ग्राम दुल्हेड़ा चौहान, परगना दौराला,तेह. सरधना, मेरठ, यूपी - 250110	प्लॉट नं. 25 क्षेत्रफल 75.62 वर्गमीटर मीटर (90.40 वर्ग गज), गाँव- मुकरबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला चौहान, तहसील सरधना, जिला- मेरठ संपत्ति स्वामिनी श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी स्व. श्री बालेश्वर (ऋणकर्ता की माँ), श्री सोनू पुत्र स्व. श्री बालेश्वर (ऋणकर्ता का भाई), श्री बिट्टू पुत्र स्व. श्री बालेश्वर (ऋणकर्ता का भाई) स्वर्गीय श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर (ऋणकर्ता /बंधककर्ता/ मालिक) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी सीमायें:-पूर्व: 37 फीट-प्लॉट नंबर 24 पश्चिम: 37 फीट-प्लॉट नंबर 26 उत्तर: 22 फीट- अन्य की भूमि दक्षिण: 22 फीट- रास्ता 25 फीट चौड़ा	08.05.2019 रु. 17,02,886.86 दिनांक 01.04.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	12.12.2019	श्री संजीव शर्मा
2.	जेवरी (7981)	श्री विजय कुमार पाल पुत्र श्री श्याम लाल 798100NC00000051 और 798100NC00000060	श्री विजय कुमार पाल पुत्र श्री श्याम लाल पता: 130/4, पॉकेट-सी, श्रद्धापुरी, फेस-2, कंकेर खेड़ा, मेरठ यूपी 250,110 मोब. 9634944166, 7249927425	एक ई.डब्लू.एस फ्लैट केवल पहली मंजिल पर, असर नंबर सी -130/8 क्षेत्रफल 33.86 वर्ग मीटर, स्थित पॉकेट-सी, फेस-2, श्रद्धापुरी, कंकर खेड़ा, मेरठ यूपी 250110, संपत्ति श्री विजय कुमार पाल पुत्र श्री श्याम लाल के नाम सीमायें:-पूर्व: फ्लैट नंबर 130/5 पश्चिम: फ्लैट नंबर 131/5 उत्तर: रास्ता 6 मीटर चौड़ा दक्षिण: फ्लैट नंबर 130/5	05.09.2019 रु. 10,02,221/- दिनांक 01.07.2018 से ब्याज व अन्य खर्चे	12.12.2019	श्री संजीव शर्मा

दिनांक:- 13.12.2019 स्थान:- जेवरी प्राधिकृत अधिकारी

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011 -23357171 , 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : म.नं. 36, ब्लॉक : बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058,
दूरभाष : 011-25546073/74/75 70/74, ई-मेल : janakpuri@pnbhousing.com, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकतता पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कथित सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार/जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	HOU/JAN/0815/ 237978	श्री आशीष शर्मा	22.08.2019	22.08.2019 तक रु. 83,19,578.26	12.12.2019 (सांकेतिक)	प्लॉट सं. 2557, भूतल, सेक्टर ए, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

स्थान : जनकपुरी, दिनांक : 17.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.

Corporation Bank
(A Premier Public Sector Bank)

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली उत्तरी, दूसरी मंजिल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, दूरभाष सं. 011-28754615, 28754642
ई-मेल आईडी : DLIREC@CORPBANK.CO.IN वेबसाइट : WWW.CORPBANK.COM

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास नीचे वर्णित बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री निम्नलिखित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से कॉर्पोरेशन बैंक के निम्नलिखित बकायों की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे वर्णित है :

बैंक का नाम तथा पता	गाजियाबाद रामप्रस्थ शाखा, दूरभाष नं. 0120-2643915, 2641568	
कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम	**कर्जदार** : निशा एन्टरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर श्रीमती शालिनी गुप्ता द्वारा प्रतिनिधानित, एल-11, विजय चौक, निकट कुमार साड़ी घर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 (साथ ही : मकान नं. एल-11/12, दूसरी मंजिल, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, निकट कुमार साड़ी घर दिल्ली-110092) **जमानती** : श्री नीरज गुप्ता, मकान नं. एल-11, विजय चौक, निकट कुमार साड़ी घर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	**बकाया राशि-** रु. 25,30,458.00 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 1 : सं. जे-6-ए, किला नं. 62/12, ग्राम खुरेजी खास, जे ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 के भूतल पर प्राइवेट सं. जी-2 पर निर्मित फ्लैट का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : खाली भूमि, उत्तर : 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. 7ए
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 23,15,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 2,31,500/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया **https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/nisha_enterprises.pdf**

कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम	**कर्जदार** : 1. श्री रबीन्द्रनाथ चक्रवर्ती पुत्र श्री सुकुमार चक्रवर्ती, आर-359, सेक्टर-21, नोएडा-201301 2. श्रीमती रूमा चक्रवर्ती पत्नी रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती, आर-359, सेक्टर-21, नोएडा-201301	**बकाया राशि-** रु. 13,11,481.00 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 2 : एचआईजी फ्लैट सं. सी-503, प्लॉट सं. ई08, एक्जोटिका अपार्टमेंट्स, सेक्टर-50, नोएडा, उत्तर प्रदेश
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 75,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 7,50,000/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया **https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/rabindranath_chakraborty_.pdf**

कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम	**कर्जदार** : 1. श्री दिग्विजय सिंह, फ्लैट सं. जी 1, प्लॉट सं. 390, सेक्टर 5, वैशाली, गाजियाबाद, 2. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह, म.नं. डी-20, गली नं. 3, ईस्ट विनोद नगर, सामने नेगी ज्वेलर्स, दिल्ली-110091, 3. श्री केदार नारायण चौधरी पुत्र श्री तेग नारायण चौधरी, 22, गली नं. 3, कुन्दन नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	**बकाया राशि-** रु. 4,36,782.37 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 3 : आवासीय फ्लैट सं. जी-1/390, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 24,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 2,40,000/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया **https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/digvijay_singh.pdf**

कर्जदार तथा जमानती/यों के नाम	**कर्जदार** : मैसर्स दीप्ति पेपर सेल्स, प्रो. श्री सतीश कुमार जैन, 9, मेलाराम मार्केट, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली-110006 साथ ही मैसर्स दीप्ति पेपर सेल्स, प्रो. श्री सतीश कुमार जैन, बीके-25, वेस्ट शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088 **जमानती** : श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री सतीश कुमार जैन, बीके-25, वेस्ट शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088	**बकाया राशि-** रु. 2,66,36,344.28 + इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 3 : शालीमार बाग (पश्चिम), दिल्ली-110088 पर स्थित सम्पत्ति सं. 25, ब्लॉक-बीके का भाग, क्षेत्रफल माप 166 वर्ग मीटर पर निर्मित तीन बेड रूम, एक ड्राइंगरूम-सह-डाइनिंग रूम, एक किचन, दो लैट्रिन एवं कमरों से जुड़ा अलग से बाथरूम से निर्मित सम्पूर्ण प्रथम तल (छत के अधिकार रहित एवं मेजेनाइन फ्लोर के अधिकार सहित)
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.01.2020 को 11.45 बजे पूर्वाह्न से 1.15 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 2,40,50,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 24,05,000/-
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया **https://corpbank.com/sites/default/files /corpbank-page-files/tender/deepti_paper_sales_1.pdf**

तिथि : 17.12.2019 **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **कॉर्पोरेशन बैंक**

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

PRINCE® PIPING SYSTEMS

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Prince Pipes and Fittings Private Limited' on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A (2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently, upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to 'Prince Pipes and Fittings Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu ("**RoC**") on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled "*History and Certain Corporate Matters*" on page 174 of the red herring prospectus dated December 11, 2019 ("**RHP**").

Registered Office: Plot No 1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India;
Corporate Office: 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India.
Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220; **E-mail:** investor@princepipes.com; **Website:** www.princepipes.com
Corporate Identity Number: U26932GA1987PLC006287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION* (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION* (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTES [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

***OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION HAS BEEN REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE IS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.**

QIB Portion: Not more than 50% of the Offer
Retail Portion: Not less than 35% of the Offer
Non-Institutional Portion: Not less than 15% of the Offer

Price Band: ₹ 177 to ₹ 178 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 17.70 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 17.80 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 84 Equity Shares and in multiples of 84 Equity Shares thereafter.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. **Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.**

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE **UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs")**.**
Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being Blocked by ASBA Bank.

**ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders.*
*For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 380 of the RHP. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", and together with BSE, the "**Stock Exchanges**") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.*
***List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For issue related grievance investors may contact: JM Financial Limited - Prachee Dhuri (+91 22 6630 3262) (ppfl.ipo@jmfl.com); Edelweiss Financial Services Limited – Yashraj Shetty (+91 22 4342 8202) (Yashraj.Shetty@edelweissfin.com); Edelweiss Securities Limited – Madhuri Tawde – (+91 22 6826 4903) (Madhuri.Tawde@edelweissfin.com). Link Intime India Private Limited – Shanti Gopalkrishnan (+91 22 4918 6200) (princepipes.ipo@linkintime.co.in). For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in.*

Risks to Investors:

- **The two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 27 public issues in the past three years out of which 5 closed below the issue price on listing date.**
- **The average cost of acquisition of per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is ₹0.10 for Jayant Shamji Chheda, ₹0.62 for Tarla Jayant Chheda, and ₹0.12 for Parag Jayant Chheda and ₹0.12 for Vipul Jayant Chheda, and the Offer Price at the upper end of the Price Band is significantly high at ₹178 per Equity Share.**

BID/OFFER PROGRAMME

BID/OFFER OPENS ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019

BID/OFFER CLOSES ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019

ADDENDUM-CUM-CORRIGENDUM — NOTICE TO INVESTORS

In reference to the RHP filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges, investors should note the following:

(a) Our Company has received an intimation dated December 17, 2019 from two of our Promoter Selling Shareholders, Parag Jayant Chheda and Vipul Jayant Chheda ("**Sellers**") stating that they have entered into a share purchase agreement dated December 16, 2019 ("**SPA**") with Oman India Joint Investment Fund II, a trust registered as a Category II-AIF, acting through its investment manager, Oman India Joint Investment Fund-Management Company Private Limited ("**Purchaser**") in relation to transfer of 2,809,018 Equity Shares by the Sellers on December 18, 2019 ("**Effective Date**"), for cash, at a price of ₹178 per Equity Share, aggregating to approximately ₹500.00 million. Pursuant to the SPA, each of the Sellers has agreed to transfer 1,404,509 Equity Shares to the Purchaser (the "**Transfer**") on the Effective Date. Please note that these Equity Shares do not form part of the Equity Shares proposed to be offered by Sellers, as a part of the Offer for Sale in the Offer. Further, please note that the Equity Shares that will be transferred pursuant to the Transfer, being the pre-Offer equity share capital held by persons other than the Promoters, shall be subject to lock-in, in accordance with Regulation 17 of the SEBI ICDR Regulations, 2018.

(b) Further, our Company has received a no objection certificate dated December 13, 2019 from the Chief Fire Officer, Haridwar, Uttarakhand, in relation to our plant in Haridwar. Accordingly, the table under '*4. Haridwar*' on page 350 of the RHP should be read along with the following as S. No. 8:

S. No.	Details of License	Date of expiry
8.	NOC issued by the Chief Fire Officer, Haridwar, Uttarakhand.	December 13, 2020

(c) Please note that details in footnote number 5 on page 70 of the RHP, should be read as follows:
"Our Company has granted 900,028 options to its eligible employees, in accordance with ESOP 2017 and applicable law, of which 654,092 options are in force as on December 9, 2019. This figure does not factor in the Equity Shares that may be issued pursuant to exercise of such options, once they are vested, or options that may have been forfeited, lapsed or cancelled. For further details, see section titled "Capital Structure" on page 81."

(d) The maximum bid by a Non-Institutional Bidders on page 377 of the RHP shall be read as follows:
"Such number of Equity Shares not exceeding the size of the Offer (excluding the QIB portion), subject to applicable limits."

(e) With respect to point 1 under "VI. Litigation included in complaints" on page 346 of the RHP, after the words "₹ 5.31 million" the following shall be inserted:
"and approximately ₹ 42.75 million, pursuant to these matters"

The above notice is to be read in conjunction with the RHP, Offer related advertisements, Bid cum Application Forms, and the abridged prospectus, and the RHP stands updated to the extent set out above.
All capitalized terms used in this addendum-cum-corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the same meanings as ascribed to such terms in the RHP.

For **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 17, 2019

Prince Pipes and Fittings Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares ("**Equity Shares**") and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The RHP is available or will be made available on the websites of the Securities and Exchange Board Of India ("**SEBI**") at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com as well as on the respective websites of the book running lead managers, i.e., JM Financial Limited at www.jmfl.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "*Risk Factors*" on page 17 of the RHP. Potential investors should not rely on the draft red herring prospectus filed with SEBI for any investment decision.
The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**"), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

www.readwhere.com

खबर कोना

भारत- वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच से पहले विशाखापत्तनम में मंगलवार को अभ्यास के दौरान कुलदीप यादव।

राइनोज बिग बाउट लीग के सेमीफाइनल में

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

इग्राशेव तैमूर की जीत के साथ ही नार्थईस्ट राइनोज ने मंगलवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए बिग बाउट इंडियन मुक्केबाजी लीग (आइबीएल) मैच में पंजाब पैंथर्स को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस जीत के साथ राइनोज के 19 अंक हो गए हैं और वह सेमीफाइनल में पैंथर्स से ही भिड़ेगा। पैंथर्स और बॉम्बे बुलेट्स ने लीग चरण का अंत 18-18 अंकों के साथ किया। लेकिन जजों द्वारा ज्यादा अंक दिए जाने के कारण पैंथर्स को तीसरा स्थान मिला। इसका मतलब है कि सेमीफाइनल में बॉम्बे को गुजरात जाएंट्स से भिड़ना होगा जिसने लीग चरण का अंत 22 अंकों के साथ किया।

मोहन बागान के अध्यक्ष गीतानाथ गांगुली का निधन

कोलकाता, 17 दिसंबर (भाषा)।

मोहन बागान के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गीतानाथ गांगुली का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। क्लब के सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रतिष्ठित वकील रहे 83 साल के गांगुली को इस महीने सड़क दुर्घटना में पैर में चोट लगी थी जब उनकी कार को पीछे से किसी अन्य वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद गांगुली का आपरेशन किया गया था लेकिन वह इससे कभी नहीं उबर सके। क्लब के अधिकारी ने कहा, 'सुबह उनके सीने में दर्द हुआ और अस्पताल जाने के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।'

विश्व कप से पहले वापसी की संभावना तलाश रहे डिविलियर्स : डुप्लेसी

जोहानिसबर्ग, 17 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले वापसी की संभावना तलाश रहे हैं। डु प्लेसी ने कहा कि अगले साल अक्तूबर में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले डिविलियर्स से पिछले तीन महीने से बात चल रही है। उन्होंने कहा, 'लोग चाहते हैं कि एबी खेले और मैं भी यही चाहता हूं।' उन्होंने कहा, 'पिछले दो तीन महीने से उनसे बात चल रही है। टी20 क्रिकेट में ज्यादा समय घर से बाहर नहीं रहना होता। पूर्णकालिक क्रिकेटर होने पर आपको काफी समय बाहर बिताना होता है। इस बारे में बातचीत हुई है और अगली टी20 श्रृंखला तक चलती रहेगी।'

युवराज ने कहा, टी20 टीम विश्व कप से चार महीने पहले तैयार हो

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह और आफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मंगलवार को कहा कि टी20 विश्व कप के लिए विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट से चार महीने पहले तैयार हो जानी चाहिए।

युवराज ने एक चैनल के कार्यक्रम में कहा, ' मुझे लगता है कि टीम को विश्व कप से चार महीने पहले तैयार हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है आपको पता होना चाहिए कि टीम के साथ कौन से 16 या 14 खिलाड़ी जाएंगे। मुझे लगाता है हमे विश्व कप से पहले तैयार रहना चाहिए।' भारतीय टीम विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर कई युवा खिलाड़ियों को आजमा रही है। भारत को 2011 में एकदिवसीय विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज ने इस मौके पर हरफनमौला शिवम दुबे का समर्थन करते हुए कहा कि वे बायें हाथ के ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उनका टीम में रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिवम दुबे के साथ फिटनेस की समस्या है।

युवराज के साथी हरभजन सिंह ने भी ऐसे ही विचार जाहिर किए। उन्होंने कहा, 'टीम पहले से संयोजित होनी चाहिए और खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि वे विश्व कप में खेलेंगे। ऐसा नहीं होना चहिए की किसी के मन में टीम में जगह को लेकर आशंका हो।' उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों को टीम में अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। भूमिका के बारे स्पष्टता होने से टीम के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।'

बोले हरभजन

"*टीम* पहले से संयोजित होनी चाहिए और खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि वे विश्व कप में खेलेंगे। ऐसा नहीं होना चहिए की किसी के मन में टीम में जगह को लेकर आशंका हो।' उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों को टीम में अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। भूमिका के बारे स्पष्टता होने से टीम के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।'

गेंदबाजी में सुधार से वापसी पर निगाहें

टीम इंडिया को गेंदबाजी संयोजन दुरुस्त करना होगा | दोपहर 01:30 बजे से शुरू होगा मैच

विशाखापत्तनम, 17 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दर्ज कर श्रृंखला में वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय टीम को आज दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अपने गेंदबाजी संयोजन में सुधार करना होगा। हालांकि विराट कोहली या रोहित शर्मा को रोकना वेस्ट इंडीज के लिए आसान नहीं होगा।

भारतीय गेंदबाजी पहले मैच में खराब नहीं थी, लेकिन 287 रन बनाने के बावजूद जीत नहीं पाई। एसीए वीडीसीए स्टेडियम पर 320 रन का स्कोर अच्छा माना जा रहा है लिहाजा पांचवें गेंदबाजी विकल्प को उतारा जा सकता है। पिछले मैच में शिमरोन हेटमायेर और शाइ होप के शतकों की मदद से वेस्ट इंडीज ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था।

स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पिछले मैच में नाकाम रहे जिन्होंने दस दस ओवरों में 58 और 45 रन दे डाले और उन्हें विकेट भी नहीं मिले। शिवम दुबे ने 7.5 ओवरों में 68 रन दिए।

भारत के पास रिजर्व खिलाड़ियों में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल हैं लेकिन रोहित और केएल राहुल के शानदार फार्म को देखते हुए उनके खेलने की संभावना कम ही है। मनीष पांडे मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं जो छठे नंबर पर केदार जाधव की ही जगह ले सकते हैं। जाधव ने हालांकि चेन्नई में 33 गेंद में 40 रन बनाए।

विशेषज्ञ पांचवें गेंदबाज के रूप में विकल्प तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर या लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं। इनमें से एक को चुनने पर दोनों हरफनमौलाओं दुबे या रविंद्र जडेजा में से एक को बाहर किया जा सकता है। दुबे पिछले मैच में आठवें नंबर पर उतरे थे।

वेस्ट इंडीज की टीम 1960 के दशक के महान खिलाड़ी बासिल बूचर के सम्मान में बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलेगी।
86 साल के बूचर का सोमवार को निधन हो गया था।

दूसरे एकदिवसीय मैच से पहले मंगलवार को प्रैक्टिस के दौरान ऋषभ पंत

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर।
वेस्ट इंडीज : कीरोन पोलार्ड (कप्तान), सुनील अंबरीश, शाई होप, खैरी पियरे, रोस्टन चेस, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कोटरेल, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, शिमरान हेटमायर, एविन लुईस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, कीमो पाल और हेडन वाल्श जूनियर।

नजरें कोहली और रोहित को पछाड़ने पर

विशाखापत्तनम, 17 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज शाई होप को यकीन है कि दूसरे वनडे के दौरान उनके कुछ साथी खिलाड़ियों की नजरें गुरूवार को होने वाली आइपीएल नीलामी पर लगी होंगी। लेकिन उनका लक्ष्य 2019 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछाड़ना है।

पहले मैच में शतक जमाने वाले होप से जब पूछा गया कि क्या आइपीएल नीलामी उनके जेहन में है, उन्होंने ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि कुछ खिलाड़ियों का ध्यान इस पर होगा लेकिन मेरे लिये यह गौण है। हम यहां भारत के खिलाफ श्रृंखला खेलने आए हैं और वही प्राथमिकता है।' होप इस साल वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में विराट कोहली (1292) और रोहित शर्मा (1268) के बाद तीसरे स्थान पर हैं। होप के नाम 1225 रन हैं।

उन्होंने कहा, 'एक बल्लेबाज के तौर पर आप अधिकतम योगदान देना चाहते हैं और अगर इससे टीम जीतती है तो अधिक संतोष होता है। उम्मीद है कि हम उनके शीर्षक्रम के विकेट जल्दी लेंगे और खुद बड़ा स्कोर बना सकेंगे।' चेन्नई में पहले मैच के दौरान उनका ध्यान एक भी बार आइपीएल फ्रेंचाइजी को प्रभावित करने पर नहीं था।

साल के सर्वश्रेष्ठ जूनियर फ्रीस्टाइल पहलवान बने दीपक पूनिया

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पूनिया को यूनाइटेड विश्व कुश्ती (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने साल का सर्वश्रेष्ठ जूनियर फ्रीस्टाइल पहलवान चुना है। पूनिया ने पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया और इस दौरान सफलतापूर्वक जूनियर से सीनियर सर्किट में जगह बनाने में सफल रहे।

पूनिया सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 साल में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। इसके बाद उन्होंने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदार्पण करते हुए रजत पदक जीता। पूनिया ने कहा, 'मैं बेहद खुश हूं। दुनिया भर के पहलवानों के बीच से चुना जाना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। अपने प्रदर्शन में सुधार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए यह मेरे लिए प्रेरणा का बड़ा स्त्रोत है।' भारतीय पहलवान नूर सुल्तान में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय था।

चोट के कारण पूनिया फाइनल में ईरान के हसन याजदानी के खिलाफ मैट पर नहीं उतर पाए थे।

दीपक नूर सुल्तान में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय था।

कपिल, गायकवाड़ को आचरण अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी डी.के. जैन ने कपिल देव और अंशुमान गायकवाड़ को हितों के टकराव के आरोप में मुंबई में उनके समक्ष पेश होने को कहा है। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं।

सीएसी में कपिल और गायकवाड़ के अलावा महिला टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी शामिल थी जिन्होंने सितंबर में जैन से हितों के टकराव का नोटिस मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। यह नोटिस मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत पर जारी किया गया था। सीएसी का अब कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन इन दोनों पूर्व खिलाड़ियों को 27 और 28 दिसंबर को जैन के सामने पेश होने का नोटिस मिला है।

दिल्ली 215 पर आउट, आंध्र को भी दिए झटके

ओंगोल, 17 दिसंबर (भाषा)।

शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण दिल्ली की टीम रणजी ट्राफी ग्रुप ए क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां पहली पारी में 215 रन पर आउट हो गई लेकिन उसने आंध्र की सलामी जोड़ी को पवेलियन भेजकर पहले दिन का सुखद अंत किया।

पवन सुयाल और नवदीप सैनी ने पांच ओवर के अंदर ही आंध्र के दोनों सलामी बल्लेबाजों डीबी प्रशांत (शून्य) और सीआर गणेश्वर (नौ) को आउट कर दिया। आंध्र ने स्टंप उखड़ने तक दो विकेट पर 16 रन बनाए थे। जी मनीष तीन रन पर खेल रहे हैं जबकि कप्तान हनुमा विहारी को खाता खोलना है।

दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर तीन विकेट 69 रन पर गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज अनुज रावत (29) और तीसरे नंबर पर उतरे हितेन दलाल (19) अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए। कप्तान नितीश राणा (51) और कुंवर बिधूड़ी (22) ने चौथे विकेट के लिए 60 रन जोड़े जो दिल्ली की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी थी।

कर्नाटक ने दृष्टिहीन महिला क्रिकेट में दिल्ली को हराया

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

दीपिका की शानदार पारी के दम पर कर्नाटक ने मंगलवार को दिल्ली को सात विकेट से हराकर दृष्टिहीन महिला राष्ट्रीय टी-20 टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कर्नाटक की टीम ने 117 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए थे लेकिन दीपिका ने वर्षा के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी कर मैच का पासा पलट दिया। दीपिका ने 42 और वर्षा ने 37 रन बनाए। इससे पहले दिल्ली की टीम ने नौ विकेट पर 116 रन बनाए थे।

एक अन्य मैच में ओड़ीशा ने केरल को 180 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। खिताब की प्रबल दावेदार ओड़ीशा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 279 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उसकी तरफ से बसंती हांस्दा ने 82 और मुनी पुर्ती ने 50 रन बनाए। इसके जवाब में केरल की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट पर 99 रन ही बना सकी।

बीडब्लूएफ रैंकिंग

लक्ष्य सेन नौ स्थान के फायदे से करिअर के सर्वश्रेष्ठ 32वें स्थान पर

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्लूएफ) की मंगलवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में पुरुष एकल वर्ग में करिअर के सर्वश्रेष्ठ 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने रविवार को बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय चैलेंज का खिताब जीता था जो पिछले साल टूर्नामेंटों में उनका पांचवां खिताब है।

भारत के 18 साल के लक्ष्य ने ढाका में फाइनल में मलेशिया के लियोंग जुन हाओ को 22-20 21-18 से हराकर खिताब जीता। लक्ष्य ने साल का अपना पहला खिताब सितंबर में बेल्जियम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रूप में जीता। इसके बाद उन्होंने अक्तूबर में डच ओपन सुपर 100 और सारलोरलक्स सुपर 100 का खिताब जीतने के बाद नवंबर में स्काटिश ओपन का खिताब भी अपने नाम किया।

पुरुष एकल में बी साई प्रणीत और किदांबी श्रीकांत क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पर बरकरार हैं। पारूपल्ली कश्यप 23वें स्थान पर बने हुए हैं जबकि उनके बाद एचएस प्रणय (26वें), सौरभ वर्मा (28वें), समीर वर्मा (33वें) और शुभंकर डे (44वें) का नंबर आता है। महिला एकल खिलाड़ियों में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और साइना नेहवाल क्रमशः छठे और 11वें स्थान पर बरकरार हैं। पुरुष युगल में कोई भारतीय जोड़ी शीर्ष 10 में नहीं है। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी 12वें स्थान पर है।

एलिसे पेरी साल की सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी चुनी गई | आइसीसी टीम | वहीं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना गया एलिसा हीली को

स्मृति मंधाना को वनडे और टी20 टीम में मिली जगह

दुबई, 17 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की साल की एकदिवसीय और टी20 टीम में शामिल किया गया है। एकदिवसीय टीम में मंधाना के साथ झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी जगह मिली है जबकि टी20 टीम में उनके साथ हरफनमौला दीप्ति शर्मा है।

23 साल की मंधाना ने 51 एकदिवसीय और 66 टी20अंतरराष्ट्रीय के अलावा दो टैस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने एकदिवसीय और टी20 में 3476 रन बनाए हैं। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ रेकार्ड 148 रन की पारी खेलने वाली आस्ट्रेलिया की एलिसा हीली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना गया।

आस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी को साल की सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी चुनी गई है। इस हरफनमौला खिलाड़ी के नाम 2019 में 73.50 की औसत से 441 रन बनाने के अलावा 13.52 की औसत से 21 विकेट भी है।

आस्ट्रेलिया की ही मेग लैनिंग को एकदिवसीय और टी 20 दोनों टीमो का कप्तान चुना गया है। पेरी को इसके साथ ही सभी प्रारूप को मिलाकर दिए जाने वाले रशेल हेहोई-फ्लिंट पुरस्कार (साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर) के लिए चुना गया। वर्ष के उभरती हुई क्रिकेटर का पुरस्कार थाईलैंड की चानिडा सुथिरयुंग को दिया गया। 26 साल की इस तेज गेंदबाज ने इस साल आइसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में 12 विकेट लिए थे।

एकदिवसीय टीम में मंधाना के साथ झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी जगह मिली है जबकि टी20 टीम में उनके साथ हरफनमौला दीप्ति शर्मा है।

23 साल की मंधाना ने 51 एकदिवसीय और 66 टी20 अंतरराष्ट्रीय के अलावा दो टैस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने एकदिवसीय और टी20 में 3476 रन बनाए हैं।

भारत ने थाईलैंड को हराया, फाइनल में स्वीडन से भिड़ेगा

मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा)।

कृतिना देवी के आखिरी क्षणों में किए गए गोल से भारत ने मंगलवार को आखिरी राउंड रोबिन लीग मैच में थाईलैंड को 1-0 से हराकर तीन देशों के अंडर-17 महिला फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई जहां उनका सामना गुरुवार को स्वीडन से होगा।

मैच का एकमात्र गोल कृतिना ने 90+1 मिनट में किया। उन्होंने तब विरोधी टीम की गोलकीपर पावरिसा होमीयामियेन की गलती का फायदा उठाया। थाईलैंड को उनकी यह गलती महंगी पड़ी क्योंकि मैच ड्रा होने पर उनकी टीम फाइनल में पहुंच जाती। कृतिना के लंबे शाट का थाई गोलकीपर सही अनुमान नहीं लगा पाईं और गेंद गोल के अंदर चली गई।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 31, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com